भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राज्य सरकार के वित्त

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या : 1 वर्ष 2012-13

अनुक्रमणिका

	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सार		vii
अध्याय 1 राज्य सरकार के वित्त		
उत्तर प्रदेश का परिदृश्य	-	1
प्रस्तावना	1.1	1
वर्तमान वर्ष के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश	1.2	2
राजकोषीय सुधार	1.3	4
बजट वर्ष 2011-12	1.4	6
राज्य के संसाधन	1.5	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.6	12
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.7	19
व्ययों की गुणवत्ता	1.8	29
राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.9	33
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें	1.10	37
ऋण संवहनीयता	1.11	40
राजकोषीय असंतुलन	1.12	43
निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	1.13	46
अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	49
विनियोग लेखों का संक्षिप्त विवरण	2.2	49
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन	2.3	50
चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.4	56
बजट अनुमानों का तैयार किया जाना	2.5	59
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय, आवंटन, व्यय एवं उसके परिणाम	2.6	61
निष्कर्ष	2.7	65
संस्तुतियाँ	2.8	65

अध्याय 3
वित्तीय रिपोर्टिंग

उपभोग प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	67
विस्तृत आकस्मिक बिल	3.2	68
स्वायत्त निकायों द्वारा लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना	3.3	68
विभागीय वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रम	3.4	69
दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि	3.5	69
लघु लेखा शीर्ष–800 के अन्तर्गत 'अन्य राजस्व प्राप्तियाँ' एवं 'अन्य व्यय' का दर्शाया जाना	3.6	70
धनराशियों को केन्द्रीय सड़क निधि में हस्तांतरण न किया जाना	3.7	71
नगद अवशेषों में भिन्नता	3.8	71
व्यक्तिगत जमा लेखाओं में धनराशियों का अन्तरण	3.9	71
व्यय के आँकड़ों का मिलान	3.10	72
निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	3.11	73

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1	प्रदेश का परिदृश्य	75
परिशिष्ट 1.2	भाग–क : सरकारी लेखे का रूप एवं ढ़ांचा	76
	भाग–ख वित्त लेखे का प्रारूप	76
परिशिष्ट 1.3	वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	78
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना	83
परिशिष्ट 1.5	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्व आंकड़े	84
परिशिष्ट 1.6	(अ) स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2007-12 के लिए	87
	(ब) करेतर राजस्व वर्ष 2007-12 के लिए	87
परिशिष्ट 1.7	अपरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं का विवरण	88
परिशिष्ट 1.8	अवशेष लेखापरीक्षा प्रस्तरों का विवरण	89
परिशिष्ट 1.9	31 मार्च 2012 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार	90
परिशिष्ट 2.1	अनुदानों/विनियोगों का विवरण,जहाँ प्रत्येक में बचत ₹10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी	91
परिशिष्ट 2.2	अनुदान/विनियोग, जहाँ प्रत्येक के अर्न्तगत व्यय ₹10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था	95
परिशिष्ट 2.3	विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक हुए व्यय के विनियमितीकरण की आवश्यकता	96

परिशिष्ट 2.4	प्रकरण, जिनमें पूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	97
परिशिष्ट 2.5	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में ₹ दो करोड़ से अधिक के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	99
परिशिष्ट 2.6	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	100
परिशिष्ट 2.7	वर्ष 2011-12 में अत्यधिक धनराशियों का समर्पण	105
परिशिष्ट 2.8	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)	111
परिशिष्ट 2.9	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	112
परिशिष्ट 2.10	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण	114
परिशिष्ट 2.11	वेतन एवं भत्तों के लिए अपरिशुद्ध बजट अनुमान	117
परिशिष्ट 2.12	वेतन के अतिरिक्त अपरिशुद्ध बजट प्राक्कलन	118
परिशिष्ट 2.13	राजस्व प्राप्तियों का अपरिशुद्ध अनुमान	119
परिशिष्ट 2.14	व्यय का निष्कर्ष	120
परिशिष्ट 2.15	ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग में मुख्य संकेतक का स्थान	121
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2012 को अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	122
परिशिष्ट 3.2	स्वायत्त निकाय संस्थाओं द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का विवरण	124
परिशिष्ट 3.3	विभागीय वाणिज्यिक एवं अ़र्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशो का विवरण	125
परिशिष्ट 3.4	दुर्विनियोग, गबन आदि के विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का ब्यौरा (जिसमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2012 तक लम्बित थी)	126
परिशिष्ट 3.5	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	127
परिशिष्ट 3.6	वर्ष 2011-12 में विभागवार निस्तारित/अपलिखित किए गए प्रकरणों का विवरण	128
परिशिष्ट 4	**शब्दावली (अतिरिक्त आंकड़े)**	
	गणना का आधार	129
	पदों की व्याख्या	130
	प्रथमाक्षरी	132

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से भी, जहाँ पर आवश्यक था, सूचनाएं प्राप्त की गयी हैं। अध्याय 3-वित्तीय रिपोर्टिंग, वर्ष 2011-12 में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति एवं उसका विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

विभिन्न विभागों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों एवं परिषदों की लेखापरीक्षा तथा राजस्व प्राप्तियों पर अनुमानों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए गये हैं।

कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लेखा–परीक्षित लेखों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा की गयी है। यह विश्लेषणात्मक समीक्षा राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के अनुमान, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 एवं इसके द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2011, बजट अभिलेखों, वर्ष 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं से प्राप्त विभिन्न वित्तीय आंकड़ो पर आधारित है। इस प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गयी है।

अध्याय **1** वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है। इस अध्याय में 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में राज्य के सम्पूर्ण वित्त, पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय, वचनबद्ध व्ययों की प्रवृत्तियाँ एवं लिये गये ऋणों के प्रतिरुप के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा सीधे तौर पर राज्य कियान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित की गयी (बिना राज्य सरकार के बजट के माध्यम से) धनराशियों का एक संक्षिप्त विवरण भी है।

अध्याय **2** विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है। इसमे अनुदानवार विनियोगों, बजट अनुमानों की तैयारियाँ तथा शासन के विभिन्न विभागों द्वारा किस प्रकार से आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किया गया है, का विवरण है।

अध्याय 3 में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा–जोखा किया गया है। टिप्पणियों के समर्थन में विभिन्न स्रोतों से एकत्र किये गये अतिरिक्त आंकड़ों के परिशिष्ट भी इस प्रतिवेदन में संलग्न किये गये हैं। अन्त में राज्य की आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित विशिष्ट मदों की शब्दावली *परिशिष्ट–4* में दी गयी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

राज्य का निष्पादनः राज्य सरकार के पास वित्तीय वर्ष **2011-12** के अंत में राजस्व आधिक्य था। साथ ही, राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से कम तथा कुल देयताएँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के **46.9** *प्रतिशत* से कम बनाये रखा, जैसाकि वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 और द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2011 में निहित है। *राज्य सरकार को अधिनियम में निहित प्रावधानों के पालन हेतु प्राप्तियों और व्ययों का अनुश्रवण करना चाहिये।*

पुनरीक्षित अनुमानों एवं वास्तविक व्यय के आकड़ेः वर्ष **2011-12** की अवधि में पुनरीक्षित बजट में अनुमानित व्यय से कम व्यय होने के कारण पुनरीक्षित अनुमानों एवं वास्तविक व्ययों में व्यापक भिन्नता थी, जो कि यह संकेत देते हैं कि घाटे के मुख्य संकेतकों में सुधार हुआ है। *पुनरीक्षित अनुमानों एवं वास्तविक व्ययों में व्यापक भिन्नता को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन से सम्बन्धित पर्याप्त उपाय शुरू किये जाने चाहिए तथा उनका अनवरत रुप से अनुश्रवण किया जाना चाहिये।*

राजस्व प्राप्तियाँः विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में 18 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जोकि मुख्यतः कर राजस्व (28 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय करों के राज्य के अंश में 16 *प्रतिशत* की वृद्धियों के फलस्वरूप हुई। हालांकि ₹ 1,30,869 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ पुनरीक्षित अनुमानों (₹ 1,37,622 करोड़) के नजदीक था। ₹ 52,613 करोड़ का कर राजस्व, जोकि राजस्व प्राप्तियों का एक प्रमुख घटक है, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित लक्ष्य (₹ 41,811करोड़) से ₹ 10,802 करोड़ अधिक था। करेत्तर राजस्व (₹ 10,145 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (₹ 13,560 करोड) से ₹ 3,415 करोड़ (25 *प्रतिशत*) कम था, परन्तु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक अनुमान (₹ 8,484 करोड) से ₹ 1,661 करोड़ (20 *प्रतिशत*) अधिक था।

राजस्व व्ययः वर्ष 2011-12 की अवधि में राजस्व व्यय वर्ष 2010-11 की तुलना में 15 *प्रतिशत* (₹ 16,209 करोड़) बढ़ गया। राजस्व व्यय के अन्तर्गत विगत वर्ष की तुलना में आयोजनागत व्यय में ₹ 1,576 करोड़ (सात *प्रतिशत*) की मामूली वृद्धि थी जबकि आयोजनेत्तर मद में ₹ 14,633 करोड़ (17 *प्रतिशत*) की वृद्धि थी। आयोजनागत व्यय के अन्तर्गत मामूली वृद्धि राज्य के अवसंरचना तथा सेवाओं के नेटवर्क में मंद विकास को दर्शाता है। कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में राजस्व व्यय विगत वर्ष के 83 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्तमान वर्ष में 84 *प्रतिशत* हो गया। वर्ष 2011-12 की अवधि में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का अधिकांश भाग वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगियों तथा सब्सिडी पर वचनबद्ध व्यय के रूप में उपभोग किया गया। *राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए जोकि अनुत्पादक व्यय से बचने पर आधारित हो तथा साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित हो कि दी जा रही सेवाएँ टिकाऊ एवं व्यवहारिक हैं।*

संसाधन संग्रहः वर्ष 2007-12 की संपूर्ण अवधि में राज्य के स्वयं के राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ रही। वर्ष 2007-11 की अवधि में कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात लगभग सात *प्रतिशत* पर स्थिर रहा, किन्तु वर्तमान वर्ष की अवधि में यह सात *प्रतिशत* से अधिक था। करेत्तर राजस्व–सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 2009-10 के 2.77 *प्रतिशत* से वर्ष 2011-12 में उल्लेखनीय रूप से घटकर 1.47 *प्रतिशत* हो गया।

व्यय उपभोग की दक्षताः कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के वर्ष 2010-11 के 16 *प्रतिशत* का अंश वर्ष 2011-12 में कम होकर 15 *प्रतिशत* हो गया, जबकि कुल व्यय में राजस्व व्यय वर्ष 2010-11 के 83 *प्रतिशत* के अंश से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 84 *प्रतिशत* हो गया। *राज्य व्ययों में यौक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा उचित कदम उठाने चाहिए तथा कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स पर जोर डालना चाहिये।*

राज्य सरकार के निवेशों की समीक्षाः सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों और सहकारी समितियों में राज्य सरकार के निवेशों पर विगत तीन वर्षों में औसत प्राप्ति 0.06 *प्रतिशत* थी, जबकि इसी अवधि में उधारियों पर अदा किया गया औसत ब्याज 6.48 *प्रतिशत* था। इससे यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति बनाए नहीं रखी जा सकती। *अतः राज्य सरकार को अपने निवेशों से बेहतर प्रतिफल वाले स्रोतों की तलाश करनी चाहिए।*

ऋण संवहनीयताः वर्ष 2011-12 के अन्त में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 35 *प्रतिशत* रहा, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा 2014-15 तक निर्धारित 42 *प्रतिशत* की सीमा के अन्दर रखने के उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण था। विगत तीन वर्षों में उधार ली गयी धनराशियों का

लगभग 91 *प्रतिशत* ऋण देयताओं के निर्वहन के लिए प्रयोग किया गया था । *पुनर्भुगतान के बंचिंग से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण पुनर्भुगतान रणनीति सुनिश्चित करनी चाहिये।*

राजस्व अधिशेषः वर्ष 2011-12 में राज्य के राजकोषीय स्थिति में विगत वर्ष के सापेक्ष सुधार हुआ। विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2011-12 की अवधि में राजस्व अधिशेष में ₹ 3,476 करोड़ की वृद्धि हुई तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 1,815 करोड़ की कमी हुई। सिंचाई परियोजनाओं के रख–रखाव की लागत वसूली के लिए प्रयास करने, सिंचाई विभाग की परियोजनाओं के समय पर पूरा किये जाने एवं इन्हें राजस्व का स्रोत बनाये जाने से राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे में सुधार की संभावना है।

भारत सरकार द्वारा राज्य कियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित की गयी धनराशियों की निगरानीः भारत सरकार द्वारा बड़ी धनराशि ₹ 10,683 करोड़ राज्य कियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित की गयी जिसका कि इन अभिकरणों द्वारा अनुचित रुप से उपयोग किये जाने की संभावना है। *भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गयी धनराशियों के उचित लेखाकरण, नियमित अद्यतनीकरण एवं अधिप्रमाणन को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।*

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजट नियंत्रणः वर्ष 2011-12 की अवधि में कुल अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 24,506.15 करोड़ की कुल बचत बजट प्रक्रिया में हुयी कमी को दर्शाता है। नगर विभाग, नियोजन विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग (ऋण, सेवा एवं अन्य व्यय) द्वारा विगत पांच वर्षों से अनवरत बचत अंकित की गयी। वर्ष 2005-11 की अवधि में किये गये ₹ 13,474.10 करोड़ तथा वर्ष 2011-12 की अवधि में किये गये ₹ 1,889.66 करोड़ का व्ययाधिक्य का भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमन किये जाने की आवश्यकता है। धनराशियों के अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्राविधान एवं अत्यधिक अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण भी पाये गये। अनुमानित बचतों को समर्पित न किये जाने के प्रकरण भी प्रकाश में आये। वर्ष के अन्त में व्यय बाहुल्य वित्तीय प्रबंधन की एक गम्भीर समस्या है।

बजट प्राक्कलन की तैयारीः राज्य सरकार द्वारा बजट तैयार करने में बजट मैनुअल के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। बजट मैनुअल में प्रावधानित नियमों के उल्लंघन के कई प्रकरण थे। *बजटीय नियंत्रण प्रणाली राज्य सरकार के सभी विभागों में सुदृढ़ किया जाना चाहिये। राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि बजट तैयार करने में बजट मैनुअल में प्रावधानित नियमों का अनुपालन किया जाए।*

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय का परिणाम, आवंटन एवं व्ययः ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 की अवधि के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को या तो शुरू नहीं किया जा सका अथवा संविदा के क्रियान्वन या परियोजनाओं के अनुमोदन इत्यादि में विलम्ब के फलस्वरुप ये योजनाएँ/कार्यकम पंचवर्षीय योजना के समय के अंत तक अधूरी रही।

वित्तीय रिपोर्टिंगः राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों एवं कार्यप्रणालियों के अनुपालन में कमियाँ थी। अनुदान प्राप्तकर्ताओं से अत्यधिक धनराशि (₹ 20,830 करोड़) के उपभोग प्रमाण–पत्र अप्राप्त थे तथा गबन आदि के अत्यधिक प्रकरण लंबित थे। व्यक्तिगत जमा खातों में मार्च 2012 तक ₹ 1,334 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध थी। ₹ 157 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक बिल प्रतीक्षित थे।

अध्याय I

राज्य सरकार के वित्त

उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य

उत्तर प्रदेश राज्य भारत वर्ष का पांचवाँ सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 2.41 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2012 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की कुल जनसंख्या 20.28 करोड़[1] थी। विगत एक दशक में उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या का घनत्व 690 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के सापेक्ष बढ़कर 828 व्यक्ति प्रति किलोमीटर तक हो गया। ***(परिशिष्ट 1.1)***

उत्तर प्रदेश राज्य की अखिल भारतीय औसत दरों की तुलना में साक्षारता दर एवं शिशु में जन्म दर कम है तथा शिशु में उच्च मृत्यु दर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालो की जनसंख्या अधिक है। राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर विगत दशक में अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों के 14.46 *प्रतिशत* के सापेक्ष 12.77 *प्रतिशत* थी। वर्तमान दशक में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों के सापेक्ष कम थी।

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए वस्तुओं/सामग्रियों के मूल्यों में अस्थिरता एवं आर्थिक मंदी के बीच फरवरी 2011 में बजट प्रस्तुत किया तथा अपने बजट भाषण में समाज के दुर्बल एवं निशक्त वर्गो के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा शैक्षिक उन्नति की आवश्यकता पर जोर देते हुए सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं हेतु ₹ 10,084 करोड़ तथा महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं हेतु ₹ 4,761 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया। अवस्थापना क्षेत्र में राज्य सरकार ने विद्युत क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं हेतु ₹ 8,227 करोड़ का तथा सड़क और सेतु, सिंचाई, नगर विकास, कृषि एवं अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों आदि हेतु भी पर्याप्त बजट प्रावधान प्रस्तावित किया। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में समयबद्ध ढंग से ऊर्जा हानि को कम करने तथा विद्युत संचार हेतु विद्युत वितरण में हो रही हानियों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाये हैं।

वर्ष 2011–12 की अवधि में सकल राज्य घेरलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। वर्ष 2010–11 के ₹ 5,88,467 करोड़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष यह वर्तमान वर्ष में ₹ 6,87,836 करोड़ थी। वर्ष 2007–12 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर 14.37 *प्रतिशत* से 19.78 *प्रतिशत* के मध्य थी। यद्यपि वर्ष 2011–12 की समाप्ति पर राजकोषीय देयताओं का अवशेष ₹ 2,43,229 करोड़ था तथापि, विकास दर विगत वर्ष की तुलना में कम थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय देयता का *प्रतिशत* वर्ष 2007–08 के 48.73 से कम होकर वर्ष 2011–12 में 35.36 *प्रतिशत* रह गया। राज्य की अर्थव्यवस्था में, वर्ष 2004 से राजस्व में आधिक्य रहा और वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में, प्राथमिक घाटा भी पूर्णतः समाप्त हो कर आधिक्य में परिवर्तित हो गया।

यह अध्याय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वर्ष 2011–12 की अवधि के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पांच वर्षों की अवधि का समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य राजकोषीय समूहों का विगत वर्ष की तुलना में समीक्षात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

[1] अस्थायी

यह विश्लेषण राज्य सरकार के वित एवं उसमें निहित सूचनाओं के आधार पर किया गया है। राज्य सरकार के लेखे की संरचना ***परिशिष्ट 1.2*** **भाग–क** और वित्त लेखे की रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2*** **भाग–ख** में दर्शाया गया है।

1.2 वर्तमान वर्ष के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

सारणी 1.1 में राज्य सरकार के विगत वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्तमान वर्ष 2011–12 के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश है तथा ***परिशिष्ट 1.3*** में वर्तमान वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ–साथ राजकोष की समग्र स्थिति प्रस्तुत है।

सारणी 1.1–राजकोषीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण							
	2010-11	2011-12		2010-11			2011-12			
भाग–अ										
मद	योग	योग	मद	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	
राजस्व प्राप्तियाँ	1,11,183.76	1,30,869.70	राजस्व व्यय	86,636.08	21,039.53	1,07,675.61	1,01,269.25	22,615.92	1,23,885.17	
कर राजस्व	41,109.85	52,613.43	सामान्य सेवायें	47,031.83	987.34	48,019.17	52,345.19	601.73	52,946.92	
करेतर राजस्व	11,176.21	10,145.30	सामाजिक सेवायें	23,737.14	15,829.56	39,566.70	29,781.35	17,609.59	47,390.94	
संघीय करों / शुल्कों का अंश	43,464.05	50,350.95	आर्थिक सेवायें	11,502.40	4222.63	15,725.03	13,887.61	4,404.60	18,292.21	
भारत सरकार से अनुदान	15,433.65	17,760.02[2]	सहायता अनुदान एवं अंशदान	4,364.71	-	4,364.71	5,255.10	-	5,255.10	
भाग–ब										
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	पूंजीगत परिव्यय	**691.72**	**19581.08**	**20,272.80**	**838.86**	**20,735.10**	**21,573.96**	
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**485.17**	**133.17**	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**350.94**	**617.28**	**968.22**	**561.09**	**414.48**	**975.57**	
लोक ऋण प्राप्तियाँ[3]	**21,394.08**	**19,652.30**	लोक ऋणों का पुनर्भुगतान	**7,383.08**	-	**7,383.08**	**8,287.61**	-	**8,287.61**	
आकस्मिकता निधि	-	**39.89**	आकस्मिकता निधि	**39.90**	-	**39.90**	**309.64**	-	**309.64**	
लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,27,649.22**	**1,38,449.36**	लोक लेखा संवितरण	**1,17,472.99**	-	**1,17,472.99**	**1,30,970.76**	-	**1,30,970.76**	
प्रारम्भिक अवशेष	**3,405.36**	**10,304.99**	अंतिम अवशेष	**10,304.99**	-	**10,304.99**	**13,446.70**	-	**13446.70**	
योग	**2,64,117.59**	**2,99,449.41**	योग	**2,22,879.70**	**41,237.89**	**2,64,117.59**	**2,55,683.91**	**43,765.50**	**2,99,449.41**	

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2011–12 की अवधि में विगत वर्ष की तुलना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए :

[2] इसमें केन्द्र पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं की धनराशि ₹ 6,337.44 करोड़ सम्मिलित हैं।
[3] आर्थोपाय अग्रिम शुद्ध लेन–देन में सम्मिलित।

- **राजस्व प्राप्तियों** में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 19,685.94 करोड़ (18 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः कर राजस्व (₹ 11,503.58 करोड़, 28 *प्रतिशत*) एवं केन्दीय करों में अंश (₹ 6,886.90 करोड, 16 *प्रतिशत*) के कारण थी। ***₹ 1,30,869.70 करोड़ की राजस्व प्राप्तियॉ ₹ 1,37,622.09 करोड़ के पुनरीक्षित अनुमान से ₹ 6,752.39 करोड़ कम थी।***

- **कर राजस्व** में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 11,503.58 करोड़ (28 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि करों (₹ 8,270 करोड; 33 *प्रतिशत*), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 1,416 करोड़; 21 *प्रतिशत*) एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹ 1,719 करोड़; 29 *प्रतिशत*) का विगत वर्ष के सापेक्ष हुई वृद्धियों में योगदान था। ***₹ 52,613 करोड़ का कर राजस्व तेरहवें वित आयोग द्वारा आंकलित ₹ 41,811 करोड़ की धनराशि से अधिक था।***

- **करेतर राजस्व** में विगत वर्ष के सापेक्ष ₹ 1,031 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) की कमी हुई। ***यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा आंकलित (₹ 1,661 करोड़) एवं राज्य के पुनरीक्षित अनुमान (₹ 3,415 करोड़) से कम थी। यह कमी मुख्यतः विविध सामान्य सेवायें (₹ 1,085 करोड़; 21 प्रतिशत) और शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 606 करोड़, 23 प्रतिशत) में हुई कमियों के कारण थी।***

- **भारत सरकार से सहायता अनुदान** में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,326 करोड़ (15 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। ***भारत सरकार से सहायता अनुदान की धनराशि ₹ 21,276 करोड़ की पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष ₹ 17,760 करोड़ थी। वर्ष 2011–12 की अवधि में प्राप्त सहायता की कुल धनराशि ₹ 17,760 करोड़ में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं की धनराशि ₹ 6,337 करोड़ भी सम्मिलित थी।***

- **केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश** (₹ 50,351करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 6,887 करोड़ (16 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। ***यद्यपि केन्द्रीय अंश पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 51,920 करोड़) से ₹ 1,569 करोड़ कम था।***

- **राजस्व व्यय** में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 16,209 करोड़ (15 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, ***यद्यपि यह पुनरीक्षित अनुमान (₹ 1,29,646 करोड) से कम था।***

- **राजस्व व्यय के अन्तर्गत** आयोजनेतर व्यय में विगत वर्ष के सापेक्ष ₹ 14,633 करोड़ (17 *प्रतिशत*) एवं आयोजनागत व्यय में ₹ 1,576 करोड़ (सात *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। ***आयोजनेतर व्यय, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा आंकलित अनुमान से ₹ 36,848 करोड़ (57 प्रतिशत) अत्यधिक रूप से अधिक था।***

- **पूंजीगत व्यय में** विगत वर्ष के सापेक्ष ₹ 1,301 करोड़ (छः *प्रतिशत*) की वृद्धि ***मुख्यतः सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास में पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि होने के कारण थी।***

- **ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में** विगत वर्ष की तुलना में ₹ 352 करोड़ (73 *प्रतिशत*) की कमी हुई ***जो बजट अनुमान (₹ 537 करोड़) के सापेक्ष ₹ 404 करोड़ (75 प्रतिशत) कम थी। ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण (₹ 976 करोड़) भी पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 1,240 करोड़) से कम था।***

- विगत वर्ष की तुलना में **लोक ऋण प्राप्तियों में** ₹ 1,742 करोड़ (आठ *प्रतिशत*)

की कमी राज्य के ऋण प्रबंधन में सुधार दर्शाता है यद्यपि, विगत वर्ष के सापेक्ष पुनर्भुगतान में ₹ 905 करोड़ (12 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

- **लोक लेखों की प्राप्तियों में** विगत वर्ष की तुलना में ₹ 10,800 करोड़ (आठ *प्रतिशत*) की वृद्धि मुख्यतः उचंत एवं विविध शीर्षों के अवशेषों (₹ 13,491 करोड़, 18 *प्रतिशत*) में हुई वृद्धि के फलस्वरूप थी जो कि निक्षेपो और अग्रिमों (₹ 5,010 करोड, 32 *प्रतिशत*) में हुई कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित थी ।

- **लोक लेखा संवितरण और आकास्मिक निधि से संवितरण में** विगत वर्ष की तुलना में ₹ 13,498 करोड़ (11 *प्रतिशत*) और ₹ 269.74 करोड़ (676 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

- वर्ष 2011–12 के अन्त में **नकद अवशेषों** (₹ 13,447 करोड़) में विगत वर्ष (₹ 10,305 करोड़) की तुलना में ₹ 3,142 करोड़ (30 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

1.3 राजकोषीय सुधार

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, फरवरी 2004 में पारित किया गया था जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास एवं स्थिरता के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। राजकोषीय स्थिरता एवं निरन्तरता, प्रचुर मात्रा में राजस्व आधिक्य प्राप्त करके सामाजिक एवं भौतिक ढांचा एवं मानव विकास में सुधार करके कार्यक्षेत्र में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन की रूकावटों को दूर करने, उधार की सीमा, शासकीय प्रतिभूति, ऋण एवं घाटा को सीमित करके राजकोषीय कार्यों में वृहत्तर पारदर्शिता एवं मध्यकालिक राजकोषीय ढांचा एवं उससे सम्बंधित कार्यों में कुशल ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 लागू किया गया। राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व था कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति विधान सभा में रखे जिसमें निर्धारित राजकोषीय सूचकों को पांच वर्षों में प्राप्त करने का परिवर्तनीय लक्ष्य निर्धारित हो एवं अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नियम बनाये। अधिनियम को अक्टूबर 2006 में अधिसूचित किया गया। अधिनियम में प्रावधानित राजकोषीय सिद्धान्त को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गयेः–

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले पांच वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य पर लाया जाना।

- 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अनधिक तक कम किया जाना। यद्यपि, अर्थव्यवस्था में व्यापक मन्दी को देखते हुये भारत सरकार ने राज्यों को उनका वित्तीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4 *प्रतिशत* की सीमा तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की थी।

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले 14 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करना कि अन्तिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 *प्रतिशत* से अधिक न हो।

- सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं दी जाये।

- इसके अतिरिक्त, आन्तरिक गड़बड़ियों या दैवीय आपदाओं से उपजी अप्रत्याशित मांग को इस शर्त के साथ कि आपदा को प्रदान की गई वास्तविक राजकोषीय लागत से अधिक न हो, को छोड़कर, राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा को नही लांघ सकता है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 में संशोधन किया तथा स्वयं के लिए वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 की अवधि में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ विकसित किया जिसका मुख्य उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना एवं धीरे–धीरे वर्ष 2014–15 तक ऋण के स्तरों में कमी लाना था। **सारणी 1.2** में विस्तृत विवरण दिया गया है।

सारणी 1.2 : राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल देयता (*प्रतिशत* में)
2011-12	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 *प्रतिशत* से अधिक नहीं**	46.9
2012-13	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 *प्रतिशत* से अधिक नहीं**	45.1
2013-14	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 *प्रतिशत* से अधिक नहीं**	43.4
2014-15	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3*प्रतिशत* से अधिक नहीं**	41.9

स्रोत : उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना

यद्यपि उपर्युक्त निमितज्ञ सरकार की मध्यावधि राजकोषीय सहंवनीयता के लिए उपयुक्त है फिर भी, सम्भावित परिणाम लघु आर्थिक स्थिति द्वारा ही निरूपित होती है।

सारणी 1.3 में तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य हेतु वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य का निष्पादन प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 1.3 : वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य का निष्पादन

मुख्य राजकोषीय लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक आकड़े (₹ करोड़ में)
राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+)	शून्य घाटा	(+) 6,984
राजकोषीय घाटा (–)/जी.एस.डी.पी.(*प्रतिशत*)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं अर्थात ₹ (-) 20,635 करोड़	(-) 15,433
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल देयता	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 46.9 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 3,22,595 करोड़	2,43,229

स्रोत : उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्रित अधिसूचना

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य था एवं राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल देयताओं में कमी भी थी। इससे यह संकेतित है कि राजस्व, राजकोषीय घाटा एवं कुल देयताओं के संदर्भ में राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

राज्य सरकार द्वारा यह सूचित (सितम्बर 2012) किया गया कि प्राप्तियों एवं व्ययों का नियमित अनुश्रवण किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि उपरोक्त लक्ष्यों का उल्लघंन न हो।

1.4 बजट वर्ष 2011-12

1.4.1 पुनरीक्षित अनुमान

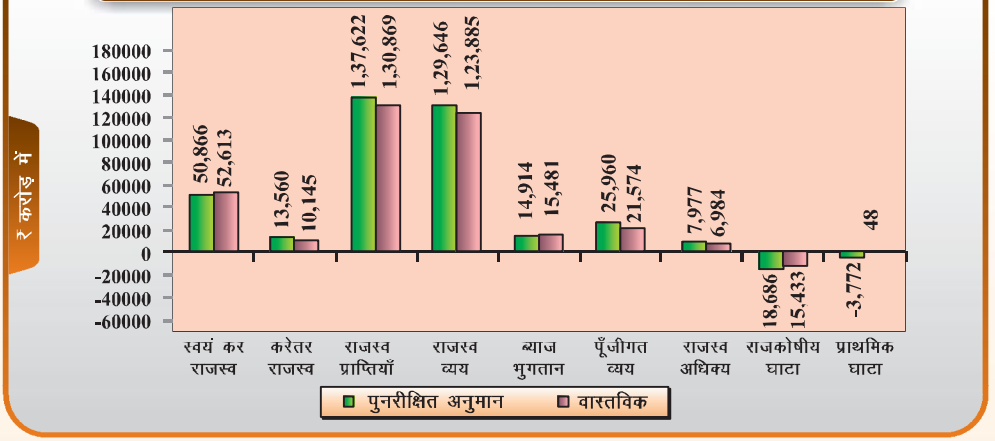
पुनरीक्षित अनुमान राज्य सरकार की नीति मानदण्डों की ओर इंगित करता है। राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों में मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त होने वाले संघीय करों/शुल्कों (₹ 73,196 करोड़) में राज्य के अंश में वृद्धि लाना तथा व्ययों में सामाजिक सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 51,259 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय: ₹ 6,835 करोड़) और कुछ सीमा तक आर्थिक सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 20,291 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय: ₹ 17,260 करोड़) की ओर केन्द्रित करना था। राज्य सरकार ने अपने बजट अनुमानों में राजकोष के अंतर्गत राजस्व आधिक्य और राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे का आंकलन किया था।

1.4.2 पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक आंकड़े

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट, राजस्व और व्यय के एक वित्तीय वर्ष के अनुमानों का विवरण है। राजस्व और व्यय के अनुमानों में शुद्धता के महत्व को व्यापक रूप से समग्र आर्थिक प्रबन्धन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन, प्राप्तियों एवं वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की ओर संकेत करते हैं। यह विचलन तथा राजकोषीय उद्देश्यों की पूर्ति न हो पाना या तो ऐसी घटनाओं के घटित होने जिसका कि पूर्व में अनुमान न किया जा सका हो अथवा बजट की तैयारियों के स्तर पर ही व्ययों/प्राप्तियों का कम/अधिक अनुमानित किया गया हों।

वर्ष 2011–12 के पुनरीक्षित बजट अनुमानों एवं कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के वास्तविक आंकड़े **चार्ट 1.1 और परिशिष्ट 1.4** में दिए गये हैं।

चार्ट : 1.1 : चयनित राजकोषीय प्राचल : पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक स्थिति



स्रोत : बजट एवं वित्त लेखे

- वर्ष 2011–12 की अवधि में **वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ** (₹ 1,30,869 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (₹ 1,37,622 करोड़) से ₹ 6,752 करोड़ कम थी यद्यपि, वर्ष की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत **स्वयं के कर राजस्व** में पुनरीक्षित अनुमान

से ₹ 1,747 करोड़ (तीन *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई और **करेतर राजस्व** में ₹ 3,415 करोड़ (25 *प्रतिशत*) की कमी थी। **स्वयं के कर राजस्व** में वृद्धि, बिक्री, व्यापार आदि कर (₹ 1,543 करोड़, पांच *प्रतिशत*) एवं भू–राजस्व (₹ 245 करोड़, 100 *प्रतिशत*) में वृद्धियों के कारण हुई । वर्तमान वर्ष में पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष **करेतर राजस्व** में कमी मुख्यतः अन्य करेतर राजस्व (₹ 2,485 करोड़) में कमी होने के कारण हुई ।

- वर्ष 2011–12 की अवधि में पुनरीक्षित बजट अनुमान के सापेक्ष **राजस्व व्ययों** में ₹ 5,760 करोड़ की कमी हुई । यह कमी विकास व्ययों (सामाजिक सेवाओं: ₹ 3,868 करोड़; आठ *प्रतिशत* एवं आर्थिक सेवाओं : ₹ 1,998 करोड़; 10 *प्रतिशत*) में पायी गई।

- **सामाजिक सेवाओं** के अंतर्गत कमी मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (₹ 1,869 करोड़) तथा सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 1,107 करोड़) में कम व्यय होने के कारण हुई। इसी प्रकार, **आर्थिक सेवाओं** के अंतर्गत कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं (₹ 850 करोड़) तथा सिंचाई बाढ़ नियंत्रण (₹ 792 करोड़) के व्यय में कमी तथा परिवहन मद के अंतर्गत ₹ 103 करोड़ के आधिक्य व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई है।

- वर्ष 2011–12 की अवधि में **ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा** पर हुआ व्यय पुनरीक्षित बजट अनुमान ₹ 23,514 करोड़ से ₹ 594 करोड़ (तीन *प्रतिशत*) अधिक था।

- **पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में पूँजीगत व्यय** में ₹ 4,386 करोड़ (17 *प्रतिशत*) की कमी थी। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में ₹ 1,648 करोड़ (24 *प्रतिशत*) तथा आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में क्रमशः ₹ 2,016 करोड़ (12 *प्रतिशत*) एवं ₹ 721 करोड़ (39 *प्रतिशत*) कम व्यय होने के कारण हुई।

- पुनरीक्षित अनुमान (₹ 7,977 करोड़) के सापेक्ष **राजस्व आधिक्य** ₹ 993 करोड़ (12 *प्रतिशत*) कम था, जबकि **राजकोषीय घाटे** में बजट अनुमान (₹ 18,686 करोड़) के सापेक्ष ₹ 3,253 करोड़ (17 *प्रतिशत*) का सुधार हुआ। साथ ही, पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹ 3,772 करोड़ का **प्राथमिक घाटा** ₹ 48 करोड़ के **प्राथमिक आधिक्य** में परिवर्तित हो गया ।

 चार्ट 1.1 से यह भी देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 की अवधि में किये गये व्ययों का पैटर्न तैयार किये गये मूल बजट से भिन्न था। ***परिशिष्ट 1.4*** में वर्ष 2011–12 की अवधि में विभिन्न सेक्टरों/सब–सेक्टरों के अंतर्गत बजट अनुमान एवं उनके वास्तविक आकड़ों में व्यापक भिन्नता का विस्तृत विवरण दिया गया है।

1.4.3 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन प्राप्त अनुदान

राज्य सरकार के विभिन्न अंगों में सुधार हेतु तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार हेतु अनुदानों की अनुशंसाएँ की थी। **सारणी 1.4** में कुछ अनुदानों की वित्तीय स्थिति दी गयी है।

सारणी 1.4: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा दिये गये अनुदानों की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या एवं नाम	धनराशि	स्थिति		
		अभ्यर्पण	बचत	योग
13 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	50.00	--	34.36	34.36
14 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	992.77	--	55.87	55.87
37 नगर विकास विभाग	429.35	--	259.37	259.37
40 नियोजन विभाग	118.00	--	118.00	118.00
42 न्याय विभाग	106.11	81.16	-	81.16
58 लोक कार्य विभाग	62.50	--	62.50	62.50
92 संस्कृति विभाग	25.00	--	25.00	25.00
94 सिचांई विभाग (कार्य)	341.00		326.25	326.25
योग	**2,124.73**	**81.16**	**881.35**	**962.51**

स्रोत : वर्ष 2011–12 के विनियोग लेखे

इस प्रकार उपरोक्त **सारणी 1.4** से यह देखा जा सकता है कि तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा (₹ 2,124,73 करोड़) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये अनुदानों की कुछ धनराशियाँ, जिसका कि बजट में प्रावधान किया गया था, में से ₹ 962.51 करोड़ की धनराशि जो कि कुल धनराशि का 45 *प्रतिशत* है, या तो राज्य सरकार को अभ्यर्पित (₹ 81.16 करोड़) की गयी थी अथवा वित्तीय वर्ष 2011–12 की समाप्ति पर सरकार के लेखे में व्यपगत (₹ 881.35 करोड़) हो गयी थी।

1.5 राज्य के संसाधन

1.5.1 *वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन*

राज्य सरकार के संसाधनों के अंतर्गत दो स्रोत राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, राज्यों के संघीय करों एवं शुल्क तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत प्रकीर्ण पूंजीगत प्राप्तियां तथा विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों के साथ ही साथ लोक लेखे से उपार्जित प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

सारणी 1.5 और **चार्ट 1.2** वर्ष 2007–12 की अवधि में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति तथा **चार्ट 1.3** वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य के संसाधनों के संघटकों को प्रदर्शित करता है।

सारणी 1.5: विकास में रुझान और कुल प्राप्तियों की संरचना

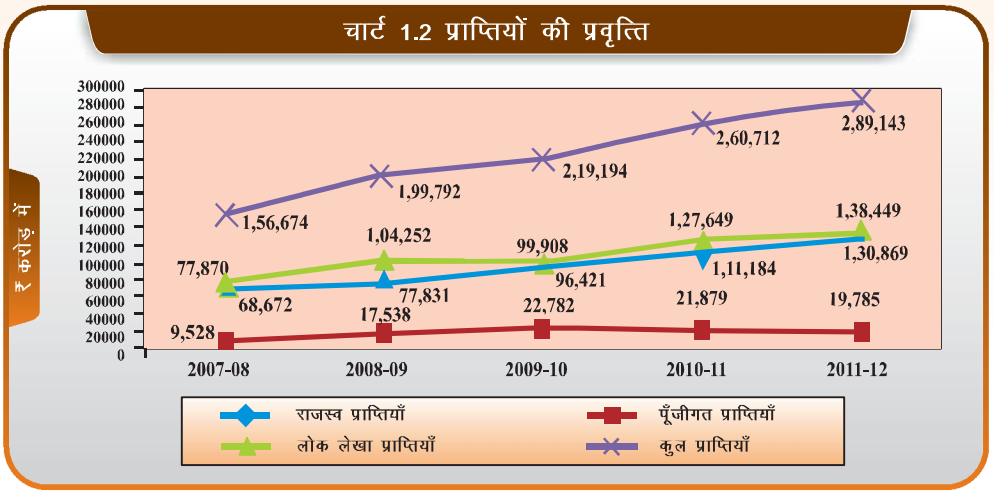
(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
I राजस्व प्राप्तियां	**68,672**	**77,831**	**96,421**	**1,11,184**	**1,30,869**
II पूंजीगत प्राप्तियां	**9528**	**17,538**	**22,782**	**21,879**	**19,785**
ऋण एवं अग्रिमों की अदायगी	449	778	293	485	133
लोक ऋण प्राप्तियां	9,079	16,760	22,489	21,394	19,652
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 22	85	34	(-)5	-8
बिना ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	26	73	(-) 62	66	-73
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	14.37	15.27	19.20	19.78	16.89
III आकस्मिकता निधि	**604**	**171**	**83**	**-**	**40**

IV लोक लेखा प्राप्तियां	**77,870**	**1,04,252**	**99,908**	**1,27,649**	**1,38,449**
अ–लघु बचतें एवं लोक लेखा, इत्यादि	5,312	6,511	8,156	9,857	9,539
ब–आरक्षित निधियां	4,019	3,628	5,825	8,577	10,255
स–जमा तथा अग्रिम	19,450	22,656	17,260	15,560	10,551
द–उचन्त एवं विविध	35,808	52,278	40,084	75,907	89,398
य–प्रेषण	13,281	19,179	28,583	17,748	18,706
V कुल प्राप्तियां	**1,56,674**	**1,99,792**	**2,19,194**	**2,60,712**	**2,89,143**

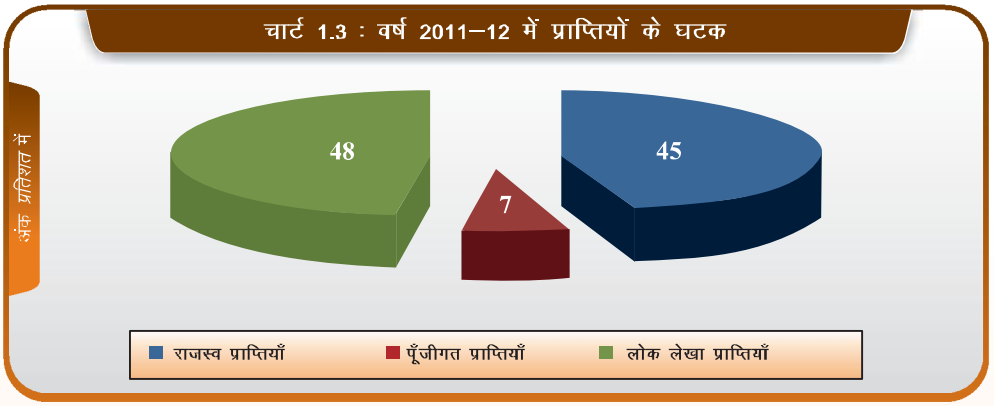
स्रोत : वित्त लेखे

चार्ट 1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत : वित्त लेखे

चार्ट 1.3 : वर्ष 2011–12 में प्राप्तियों के घटक



स्रोत : वित्त लेखे

वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,89,143 करोड़ थी। इन कुल प्राप्तियों में ₹ 1,30,869 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ, ₹ 19,785 करोड़ पूँजीगत प्राप्तियाँ, ₹ 40 करोड़ आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ और शेष ₹ 1,38,449 करोड़ लोक लेखा प्राप्तियाँ थी । पुनः राज्य की कुल प्राप्तियों में ₹ 1,32,469 करोड़ (85 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जोकि वर्ष 2007–08 की प्राप्तियों की धनराशि ₹ 1,56,674 करोड़ के स्तर से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 2,89,143 करोड़ हो गयी, जिसमें इस समयावधि में राजस्व प्राप्तियों में 91 *प्रतिशत*, पूँजीगत प्राप्तियों में 108 *प्रतिशत* एवं लोक लेखा प्राप्तियों में 78 *प्रतिशत* की वृद्धियाँ हुई। ₹ 1,38,449 करोड़ की वृद्धि में मुख्यतः ₹ 62,197 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों की धनराशि एवं लोक लेखा प्राप्तियों की ₹ 60,579 करोड़ की धनराशि शामिल थी।

राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का 45 *प्रतिशत* अंश था, जबकि लोक लेखा प्राप्तियों का 48 *प्रतिशत* और पूँजीगत प्राप्तियों का सात *प्रतिशत* अंश था। ₹ 40 करोड़ की अल्प धनराशि आकस्मिकता निधि से प्राप्त किया गया था।

पूँजीगत प्राप्तियो के अंतर्गत पूँजीगत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2007–08 के (ऋणात्मक) 22 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2011–12 में (ऋणात्मक) आठ *प्रतिशत* हो गयी। इसके अतिरिक्त, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली भी वर्ष 2007–08 के ₹ 449 करोड़ के स्तर से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 133 करोड़ के स्तर पर हो गयी। लोक लेखा प्राप्तियों के अंतर्गत उचन्त और विविध प्राप्तियों में 150 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों का विकास दर विगत वर्ष के 66 प्रतिशत से घटकर वर्तमान वर्ष में (ऋणात्मक) 73 *प्रतिशत* हो गया ।

1.5.2 राज्य बजट से इतर राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित धनराशियाँ

भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों[4] को सीधे धनराशियाँ हस्तान्तरित की जाती है। चूंकि ये धनराशियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से हस्तान्तरित नहीं होती है, जिससे कि वार्षिक वित्त लेखे में इनका लेखा–जोखा सीधे समाहित नहीं होता है। इसलिए राज्य प्राप्तियों/व्ययों तथा अन्य राजकोषीय मापकों को कम आकलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्व्यन अभिकरणों को सीधे हस्तांरित धनराशियों के साथ उनके उपभोग में कमियों से बचने हेतु उपयुक्त नियत्रंण–तंत्र की आवश्यकता है, जिसकी अनुपस्थिति में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा राजकोषीय प्रचालन एवं जवाबदेही में आवश्यक पारदर्शिता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित की गई धनराशियों की स्थिति **सारणी 1.6** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.6: राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित धनराशियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम/परियोजना	राज्य में क्रियान्वयन अभिकरण	2010-11	2011-12
1	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	ग्राम विकास आयुक्त	5,266.59	4,240.48
2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	उ. प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,लखनऊ	1,278.83	213.77
3	सर्व शिक्षा अभियान	निदेशक, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना बोर्ड	3,104.63	2,097.33
4	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1,691.21	505.90
5	ग्रामीण आवास इंदिरा आवास योजना	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	1,151.00	1,680.43
6	ग्रामीण पेयजल– त्वरित पेयजल आपूर्ति योजना	प्रबंध निदेशक उ. प्र. जल निगम, लखनऊ	421.60	802.32

[4] राज्य क्रियान्वयन अभिकरण में सम्मिलित संगठन/संस्था या स्वयं सेवी संस्थाएं जिसे राज्य सरकार के द्वारा राज्य के विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से धनराशियों की प्राप्ति हेतु प्राधिकृत किया गया हो। उदाहरणस्वरुप–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, लखनऊ।

7	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	222.33	271.78
8	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	जिलाधिकारी	207.00	276.00
9	एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	151.73	168.91
10	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	निदेशक, पंचायती राज संस्थान, लखनऊ	225.94	169.20
11	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	राजकीय शहरी विकास अभिकरण,उ0प्र0	73.24	57.73
12	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	43.18	63.26
13	हथकरघा	निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र	0.61	0.04
14	शोध एवं विकास समर्थन	विभिन्न सांविधिक निकाय आदि, जैसे आई.आई.टी. कानपुर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	477.54	26.53
15	एकीकृत तेलहन,दाल,मक्का विकास	विभिन्न सरकारी स्वायत्त निकाय	5.17	6.67
16	औषधीय पौधे	सरकारी स्वायत्त निकाय	5.08	1.80
17	समाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	समुदाय अनुप्रयुक्त विज्ञान हेतु स्वैच्छिक संस्थान	5.60	85.38
18	नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय अभियान	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	15.34	6.31
19	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	कृषि–वन हेतु राष्ट्रीय शोध केन्द्र	0.47	5.28
20	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	केन्द्रीय एवं राजकीय सांविधिक निकाय,पी.एस.यू. आदि	0.37	1.71
21	पंचायती राज संस्थानों स्वैच्छिक संगठन स्वमदद हेतु सहायता	विभिन्न गैर सरकारी संगठन जैसे शहीद स्मारक समिति	0.98	1.68
		योग	**14,348.44**	**10,682.51**

स्रोत : वित्त लेखे

यद्यपि विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित धनराशि में विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में 26 *प्रतिशत* की कमी आयी है, फिर भी बड़ी मात्रा में धनराशियाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (कुल हस्तांतरित धनराशि का 40 *प्रतिशत*), सर्व शिक्षा अभियान (कुल हस्तांतरित धनराशि का 20 *प्रतिशत*) और इंदिरा आवास योजना (कुल हस्तांतरित धनराशि का 16 *प्रतिशत*) के अंतर्गत हस्तांतरित की गयी थी।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011–12 की अवधि में महत्वपूर्ण कमियाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ₹ 1,026.11 करोड़ (19 *प्रतिशत*), प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ₹ 1,065.06 करोड़ (83 *प्रतिशत*), सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 1,007.30 करोड़ (32 *प्रतिशत*) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ₹ 1,185.31 करोड़ (*70 प्रतिशत*) पायी गयी। इसी प्रकार, विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में महत्वपूर्ण वृद्धियाँ, इंदिरा आवास योजना के अतंर्गत ₹ 529.43 करोड़ (46 *प्रतिशत*) और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत ₹ 380.72 करोड़ (90 *प्रतिशत*) हुई ।

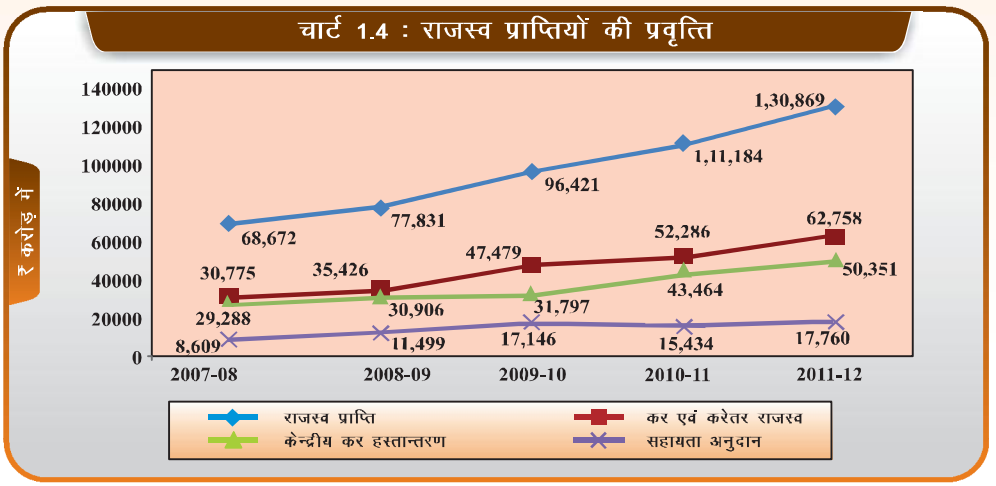
1.6 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। वित्त लेखे के **विवरण–11** में राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

1.6.1 राजस्व प्राप्तियाँ एवं संघटक

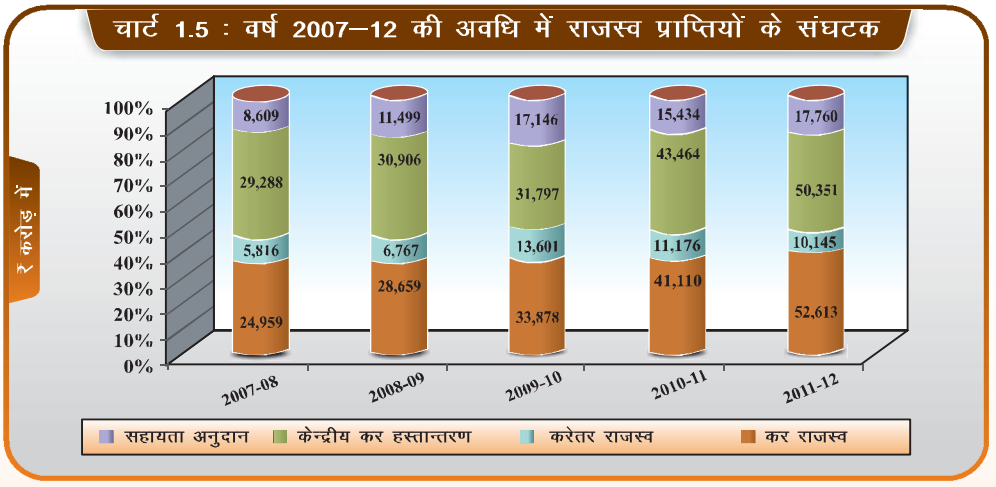
वर्ष 2007–12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों, उनकी प्रवृत्तियों एवं संघटकों का विवरण क्रमशः ***परिशिष्ट 1.5*** एवं **चार्ट 1.4** तथा **1.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4 : राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत : वित्त लेखे

चार्ट 1.5 : वर्ष 2007–12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटक



स्रोत : वित्त लेखे

सामान्य प्रवृत्तियाँ

- विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में ₹ 19,685 करोड़ की वृद्धि हुई । वर्ष 2007–08 की अवधि में प्राप्तियाँ अनवरत रूप से ₹ 68,672 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,30,869 करोड़ हो गयी ।
- वर्ष 2011–12 की अवधि में 48 प्रतिशत राजस्व स्वयं के स्रोत और शेष भारत सरकार के संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (38 *प्रतिशत*) तथा सहायता अनुदान (14 *प्रतिशत*) से प्राप्त हुए।

- वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य के स्वयं के करों के अंतर्गत कर राजस्व एवं करेतर राजस्व क्रमशः 84 *प्रतिशत* एवं 16 *प्रतिशत* थे।
- ₹ 1,30,869 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में सरकार द्वारा पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 1,37,622 करोड़) से ₹ 6,752 करोड़ (पांच *प्रतिशत*) कम थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.7** में प्रस्तुत की गई है।

सारणी 1.7 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	68,672	77,831	96,421	1,11,184	1,30,869
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	13.32	13.34	23.89	15.31	17.70
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में)	19.21	18.88	19.63	18.89	19.03
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.927	0.874	1.244	0.774	1.048
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता	0.594	0.971	0.948	1.079	1.657
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.562	0.901	1.312	0.717	0.633
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	**3,57,557**	**4,12,151**	**4,91,302**	**5,88,467**	**6,87,836**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	14.37	15.27	19.20	19.78	16.89

स्रोतः 2011–12 में उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण

आदर्श रुप से राजस्व की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक होनी चाहिये जिससे कि समयोपरि बजट उचित रूप से संतुलित किया जा सके। सारणी के विश्लेषण में निम्नलिखित बाते सामने आयी :

- विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता में सुधार हुआ। वर्ष 2009–10 और वर्ष 2011–12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की विकास दर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर में समानता थी। हालांकि, वर्ष 2007–08, 2008–09 और 2010–11 की अवधि में उत्प्लावनता में हुई वृद्धि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि के समानुपातिक नहीं थी।
- विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर उत्प्लावनता में मामूली सुधार हुआ।

सहायता अनुदान

भारत सरकार से वर्ष 2010–11 में प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 15,433.65 करोड़ से बढ़कर (15 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 17,760.02 करोड़ हो गया **(सारणी 1.8)**। यह बढ़त मुख्यतः आयोजनेतर अनुदानों (₹ 1,303.74 करोड़) तत्पश्चात् केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं (₹ 1,204.01 करोड़) के अंतर्गत थी तथा कमी केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (₹ 222.71 करोड़) के अंतर्गत थी। भारत सरकार से संघटकवार प्राप्त सहायता अनुदान **सारणी 1.8** में दी गयी है।

सारणी 1.8 : भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आयोजनेत्तर अनुदान	2,894.42	3,142.62	3,947.97	3,092.99	4,396.73
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 0-12 करोड़ से कम अनुदान सहित)	2,795.49	5,195.76	5,624.02	6,772.07	6,813.40
केन्द्र आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	261.90	235.36	3,992.43	435.16	212.45
केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,657.59	2,923.25	3,576.82	5,133.43	6,337.44
योग	**8,609.40**	**11,496.99**	**17,141.24**	**15,433.65**	**17,760.02**
विगत वर्ष की तुलना *प्रतिशत* वृद्धि	9.67	33.54	49.09	(-) 9.96	15.07

स्रोतः वित्त लेखे

विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आयोजनेतर अनुदान के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों में वृद्धि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान तथा विशेष समस्याओं के लिए अनुदान (₹ 169 करोड़) के अधीन थी।

केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

केन्द्रीय कर हस्तान्तरण वर्ष 2007–08 के ₹ 29,288 करोड़ से बढ़कर (72 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 50,351 करोड़ हो गया। यह बढ़त मुख्यतः कारपोरेशन टैक्स (₹10,524 करोड़; 113 *प्रतिशत*), कारपोरेशन टैक्स से इतर करों से आय (₹ 3,828 करोड़; 61 *प्रतिशत*),सीमा शुल्क (₹ 3,194 करोड़; 58 *प्रतिशत*) एवं सेवा कर (₹ 3,085 करोड़; 105 *प्रतिशत*) प्राप्तियों की मदों के अंतर्गत थी।

1.6.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

वर्ष 2007–12 की अवधि में प्रमुख करों एवं शुल्कों के साथ–साथ करेतर राजस्व की प्राप्तियों का सकल संग्रह ***परिशिष्ट 1.6*** में दिया गया है। स्वयं के संसाधन वर्ष 2007–08 के ₹ 30,775 करोड़ से बढ़कर (77 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 62,758 करोड़ हो गये। वर्ष 2011–12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत प्रमुख करों एवं शुल्कों तथा करेतर प्राप्तियों का सकल संग्रह क्रमशः 40 और आठ *प्रतिशत* था।

सारणी 1.9 में 2011–12 की अवधि की वास्तविक राजस्व प्राप्तियों की तुलना तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य सरकार के पुनरीक्षित अनुमानों से की गयी है।

सारणी 1.9: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित और राज्य द्वारा पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

मूल राजकोषीय चर	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	2011–12 के लिए सरकार द्वारा पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक आँकड़े	विचलन आधिक्य (+) एवं कमी (–)	
				तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	2011–12 के लिए सरकार द्वारा पुनरीक्षित अनुमान
				प्रतिशत कोष्ठक में	
राज्य का स्वयं का राजस्व कर	41,811.11	50,866.44	52,613.43	(+) 10,802.32 (25.84)	(+) 1,746.99 (3.43)
करेतर राजस्व	8,483.95	13,559.81	10,145.30	(+) 1,661.35 (19.58)	(-) 3,414.51 (25.18)

स्रोतः तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, राज्य बजट एवं वित्त लेखे

राज्य के स्वयं के कर में वर्ष 2011–12 की अवधि में तेरहवें वित्त आयोग के अनुमान से ₹ 10,802.32 करोड़ (26 *प्रतिशत*) तथा पुनरीक्षित बजट अनुमान से ₹ 1,747 करोड़ (तीन *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

यद्यपि तेरहवें वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में करेतर राजस्व में महत्वपूर्ण सुधार हुआ फिर भी यह राज्य सरकार के पुनरीक्षित अनुमानों को प्राप्त करने में विफल रहा।

कर राजस्व

कर राजस्व के अंतर्गत बिक्री–कर, व्यापार–कर, राज्य उत्पाद कर, वाहनों पर कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क इत्यादि शामिल है। वर्ष 2007–12 की पांच वर्ष की अवधि के कर राजस्व के घटक **सारणी 1.10** और **चार्ट 1.6** में दर्शाये गये हैं।

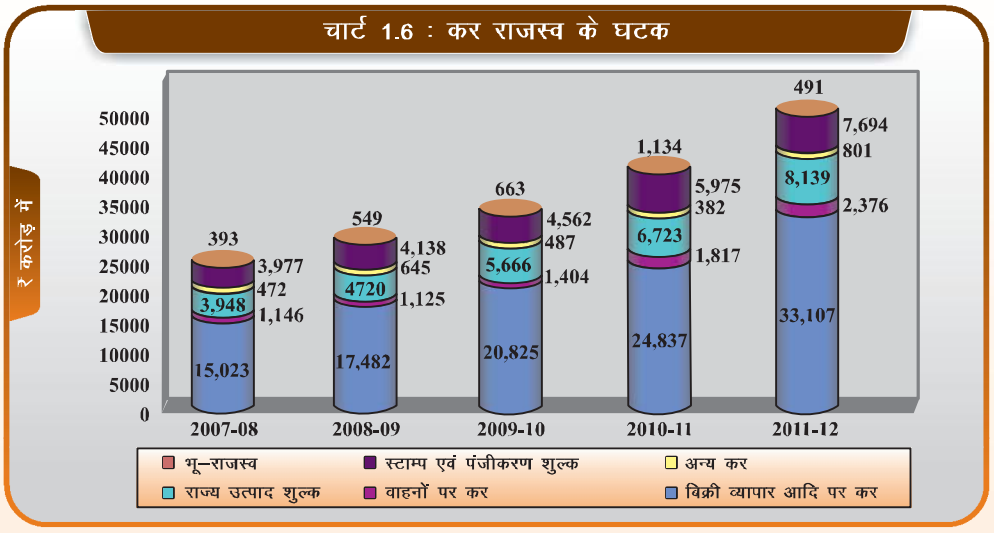
सारणी 1.10 : कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12		
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान की तुलना में प्रतिशत
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	15,023	17,482	20,825	24,837	31,564	33,107	104.89
राज्य उत्पाद	3,948	4,720	5,666	6,723	8253	8,139	98.62
वाहनों पर कर	1,146	1,125	1,404	1,817	2536	2,376	93.69
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	3,977	4,138	4,562	5,975	7629	7,694	100.85
भू–राजस्व	393	549	663	1,134	246	491	195.59
माल एवं यात्री पर कर	110	266	271	242	-	5	500.00
अन्य कर	362	379	487	382	638	801	125.55
योग	**24,959**	**28,659**	**33,878**	**41,110**	**50,866**	**52,613**	**103.43**

स्रोतः वित्त लेखे एवं राज्य बजट

चार्ट 1.6 : कर राजस्व के घटक



स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2011–12 की अविध में राज्य की कर राजस्व की वसूली महत्वपूर्ण थी। वर्ष 2011–12 के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आँकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि थी। यह वृद्धि वर्ष

2010–11 में भी थी। पुनरीक्षित अनुमानों से तुलना करने पर सम्पूर्ण वृद्धि की राशि ₹ 1,747 करोड़ थी और पिछले वर्ष से तुलना करने पर वृद्धि की राशि ₹ 11,503 करोड़ (28 *प्रतिशत*) थी। यह वृद्धि मुख्यतः बिक्री कर की राशि का ज्यादा संग्रहण, देशी और विदेशी मदिरा पर राज्य उत्पाद शुल्क की अधिक वसूली, मोटर वाहनों की बिक्रियों पर करों की वसूली तथा मोटर वाहन अधिनियम के अधीन वाहनों पर कर और ज्यादा गैर न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री के कारण हुई। वृद्धि आंशिक रूप से स्थित प्रभार के राजस्व संग्रहण में कमी और सुधार न्यास, गाजियाबाद और आवासन बोर्ड से बकाया की वसूली से प्रतिसंतुलित हुई ।

करेतर राजस्व

राज्य सरकार को करेतर राजस्व मुख्यतः शिक्षा, ऊर्जा, ब्याज, वानिकी एवं वन्य जीवन, उद्योग, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों से प्राप्त होता है।

विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में करेतर राजस्व में ₹ 10,145.30 करोड़ की प्राप्तियाँ हुई। यह प्राप्तियां मुख्यतः विविध सामान्य सेवाओं ₹ 4,035 करोड़ (40 *प्रतिशत*), शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति ₹ 2,009 करोड़ (20 *प्रतिशत*), अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग ₹ 593 करोड (6*प्रतिशत*), ब्याज ₹ 789 करोड़ (8 *प्रतिशत*), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य ₹ 108 करोड़ (एक *प्रतिशत*) तथा ऊर्जा ₹ 77 करोड़ (एक *प्रतिशत*) से हुईं।

यद्यपि करेतर राजस्व की प्राप्तियों में वर्ष 2011–12 की अवधि में नौ *प्रतिशत* की महत्वपूर्ण कमी हुई। प्राप्तियों में कमी होने का कारण ''अन्य प्राप्तियो'' तथा विविध सामान्य सेवाओं (प्रारम्भिक शिक्षा) में राजस्व के संग्रहण में कमी होना था।

बजट अनुमानों के सापेक्ष राज्य के करेतर राजस्व

वर्ष 2011–12 की अवधि में पुनरीक्षित बजट अनुमानों के सापेक्ष राज्य के करेतर राजस्व **सारणी 1.11** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.11 : पुनरीक्षित बजट के सापेक्ष करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	पुनरीक्षित अनुमान में निर्धारण	वास्तविक प्राप्ति	विचलन (आधिक्य + एवं कमी –) कोष्ठक में *प्रतिशत*
ब्याज प्राप्तियाँ	924.55	789.22	-135.33 (15)
विविध सामान्य सेवाएं	4,522.75	4,035.23	-487.52 (11)
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	4,500.00	2,008.55	-2,491.45 (55)
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	142.40	107.93	-34.47 (24)
ऊर्जा	180.00	76.83	-103.17 (57)
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	900.00	593.28	-306.72 (34)

स्रोतः राज्य बजट और वित्त लेखे

वर्ष 2011–12 की अवधि में पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष करेतर राजस्व के अन्तर्गत विविध सामान्य सेवाओं, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, ब्याज प्राप्तियां तथा ऊर्जा से प्राप्तियों में कमी आयी। यह कमी 11 से 57 *प्रतिशत* के मध्य थी।

पुनरीक्षित बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच व्यापक अंतर बजट तैयार करते समय किये गये अनुमानों के गलत होने का संकेत देते हैं।

विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में करेतर राजस्व में कमी और पुनरीक्षित बजट अनुमान यह इंगित करता है कि राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह एक टिकाऊ प्रगति एवं मध्यम अवधि के माइक्रो इकोनामिक प्रासपेक्ट्स के लिये करेतर राजस्व के स्रोतों का पता लगाए।

करेतर राजस्व के तौर पर परियोजना लागत के अंश का पुस्तकीय समायोजन

निष्पादित होने वाली परियोजना लागत प्रभाजन को नियंत्रित करने हेतु वित्त विभाग द्वारा मार्च 2010 में एक आदेश जारी किया गया था जिसके अनुसार योजना की स्वीकृत लागत का 93.125 *प्रतिशत* कार्यो के कार्यान्वयन के लिए जारी किया जाना था तथा शेष 6.875 *प्रतिशत* (स्थापना पर व्यय) को सम्बन्धित विभाग के प्राप्त लेखा शीर्षो के अंतर्गत पुस्तकीय समायोजन द्वारा करेतर राजस्व के तौर पर जमा किया जाना था। अप्रैल 2010 में उपरोक्त आदेश में परिवर्तन किया गया जिसके अनुसार परियोजना लागत में 6.875 *प्रतिशत* जोड़कर स्वीकृति को जारी किया जाना था। इस प्रकार, यदि परियोजना लागत ₹ 100 थी, तब वित्तीय स्वीकृति ₹ 106.875 की प्रदान की जानी थी।

हमने यह पाया कि वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 की अवधि में लोक निर्माण विभाग में 1054 सड़के एवं सेतु–800 अन्य प्राप्तियाँ–05–प्राप्तियाँ और 0059–लोक निर्माण विभाग–800–सामान्य–103–वसूली प्रभार की *प्रतिशतता* आदि शीर्षो के अंतर्गत करेतर राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4.97 करोड़ की वृद्धि हुई थी।

टिप्पणी के प्रकरण को राज्य सरकार के पास भेजा गया (सितम्बर 2012); उत्तर प्रतीक्षित था। (नवम्बर 2012)।

1.6.3 कम कर/करों की उगाही न होना

वर्ष 2011–12 की अवधि में वाणिज्यिक कर कार्यालय द्वारा किये गये करो के मूल्यांकन तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया कि 2,451 प्रकरण कम करों की उगाही अथवा करों की उगाही न किए जाने से संबंधित थे जोकि वस्तुओं के गलत वर्गीकरण, गलत दरों से करों का निर्धारण तथा अनियमित छूट इत्यादि कारणों से थे जैसा कि **सारणी 1.12** में दिया गया है।

सारणी 1.12 : कम कर या करों की उगाही न किया जाना

क्र0 सं0	वर्गीकरण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	गैर उगाही/कर की कम उगाही/ब्याज	949	39.21
2	गैर उगाही/कर की कम उगाही	230	7.41
3	अनियमित रूप से कर में छूट	263	32.37
4	वस्तुओं के मूल्य का गलत वर्गीकरण	256	13.26
5	वस्तुओं का गलत वर्गीकरण	38	1.68
6	केन्द्रीय बिक्री कर में अनियमितताएं	31	0.86
7	गणना मे त्रुटि	06	0.06
8	सालाना कर की हेराफेरी	14	0.59
9	अन्य अनियमितताएं	664	37.23
	योग	**2,451**	**132.67**

स्रोतः महालेखाकार (ई. एण्ड आर.एस.ए.) उ0प्र0

ऐसे प्रकरणों की संख्या कम करने हेतु सरकार द्वारा उपयुक्त उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

1.6.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि में प्रमुख राजस्व मदों के अन्तर्गत हुई प्राप्तियों, संग्रह हेतु किया गया व्यय एवं व्ययों की सकल संग्रहण से प्रतिशतता एवं साथ ही वर्ष 2010–11 की अवधि हेतु अखिल भारतीय स्तर पर संग्रहण पर हुए व्यय की प्रतिशतता **सारणी 1.13** में दी गई है।

सारणी 1.13 : संग्रह की लागत

विवरण	वर्ष	कुल संग्रह (₹ करोड़ में)	संग्रह पर व्यय (₹ करोड़ में)	सकल संग्रह पर किये गये व्यय की सकल संग्रह के साथ *प्रतिशतता*	वर्ष 2010–11 की अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर संग्रहण पर किए गये व्यय की औसत *प्रतिशतता*
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2009-10	20,825.18	358.43	1.72	-
	2010-11	24,836.52	391.45	1.58	0.75
	2011-12	33,107.34	440.89	1.33	-
स्टॉम्प कर एवं निबंधन शुल्क	2009-10	4,562.23	117.19	2.57	-
	2010-11	5,974.66	147.43	2.47	1.60
	2011-12	7,694.40	149.16	1.94	-

स्रोतः महालेखाकार (ई. एण्ड आर.एस.ए.) उ0प्र0 और वित्त लेखे

राज्य सरकार से संग्रह के उच्च लागत पर विश्लेषण करने तथा इस सन्बन्ध में उपयुक्त उपाय किए जाने की सिफारिश की जाती है। .

1.6.5 राजस्व बकाया

राजस्व की बकाया राशि के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से सूचना मांगी गयी थी। 31 मार्च 2012 की समाप्ति पर कुछ प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 19,358 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें ₹ 11,860 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था। अग्रेतर, वित्तीय वर्ष 2010–11 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की बकाया राशि में ₹ 2,163 करोड़ की सामान्य वृद्धि दर्ज हुई। 31 मार्च 2012 की समाप्ति पर कुछ शीर्षो के अन्तर्गत राजस्व बकाया धनराशि की विस्तृत स्थिति **सारणी 1.14** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.14 : राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	बकाया धनराशि	पांच वर्ष से अधिक अवधि से बकाया	टिप्पणी
बिक्री / व्यापार आदि पर कर	18,960.28	11,803.03	बकाया राजस्व ₹ 18,960.28 करोड़ में से ₹1,576.23 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था। अन्य राज्यों को ₹ 913.17 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। न्यायालय/शासन द्वारा धनराशि ₹ 4,260.46 करोड़ की वसूली स्थगित की गयी है। सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों से ₹ 495.62 करोड़ की वसूली लम्बित थी तथा ₹ 10,146.84 करोड़ की बकाया के वसूली प्रमाण–पत्र जारी किए जाने थे। ₹ 1,498.03 करोड़ की वसूली को बट्टे खाते में डाले जाने की संभावना थी। ₹ 69.93 करोड़ ट्रांसपोर्टरों से बकाया थे।

राज्य आबकारी	54.82	51.87	बकाया राजस्व ₹ 54.82 करोड़ में से ₹ 20.01 करोड़ की वसूली पर न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गयी, ₹ 5.56 करोड़ बट्टेखाते में डाले जाने की संभावना थी। विभाग द्वारा कहा गया कि समस्त धनराशि ₹ 29.25 करोड़ की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर. सी.) जारी कर दिये गये।
मनोरंजन कर	13.37	4.61	कुल बकाया धनराशि ₹ 13.37 करोड़ में से ₹ 5.57 करोड, की वसूली के मांग के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। विभाग द्वारा कहा गया कि शेष ₹ 7.80 करोड़ की पर न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गयी,
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	329.53	विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया	बकाया राजस्व ₹ 329.53 करोड़ में से ₹ 186.59 करोड़ की वसूली को न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गयी। शेष ₹ 142.94 करोड के बकाया राजस्व के संबंध में विभाग द्वारा कोई विवरण नहीं दिया गया है।
योग	**19,358.00**	**11,859.51**	

स्रोतः सम्बन्धित विभाग

राज्य सरकार से बकायों के पर्याप्त संचयन के कारणों का उपयुक्त विश्लेषण करने के पश्चात प्रभावी कार्यवाही आरम्भ करने की सिफारिश की जाती है। .

1.7 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्ययों के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यय करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अन्तर्गत लोक व्ययों को घाटे द्वारा अथवा उधार लेकर पोषित करने में बजट की समस्या आती है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य के स्तर पर वर्तमान में किये जा रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, व्यय की कीमत पर, विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित व्यय की कीमत पर, न किया जाए।

1.7.1 व्यय के संघटक एवं उनमें वृद्धियां

कुल व्ययों में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं। राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले वर्षों के दायित्वों के भुगतान हेतु किया जाता है जिससे कि राज्य सरकार की अवस्थापना एवं दी जा रही सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। दूसरी ओर, पूंजीगत व्ययों द्वारा राज्य सरकार की अवस्थापना एवं उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं (मूर्त परिसम्पत्ति) में वृद्धि होती है।

कुल व्यय

वर्ष 2007–12 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों के सन्दर्भ में कुल व्यय में वृद्धि दर, उसके संघटक, अनुपात एवं उत्प्लावकता **सारणी 1.15** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.15: कुल व्यय की प्रवित्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल व्यय	**82,915**	**99,122**	**1,15,407**	**1,28,917**	**1,46,435**
राजस्व व्यय	65,223	75,969	89,374	1,07,676	123885
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	53,479	58,678	73,673	86,636	101269
आयोजनागत व्यय	11,744	17,291	15,701	21,040	22616
पूंजीगत व्यय	16,950	22,346	25,091	20,273	21574
ऋण एवं अग्रिम	742	807	942	968	976

कुल व्यय की वृद्धि दर	17.49	19.54	16.43	11.71	13.59
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	23.19	24.05	23.49	21.91	21.29
राजस्व प्राप्तियां/कुल व्यय (अनुपात)	82.82	78.52	83.55	86.24	89.37
कुल व्यय के साथ उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.22	1.28	0.86	0.59	0.80
राजस्व प्राप्तियां (अुनपात)	1.31	1.46	0.69	0.76	0.77

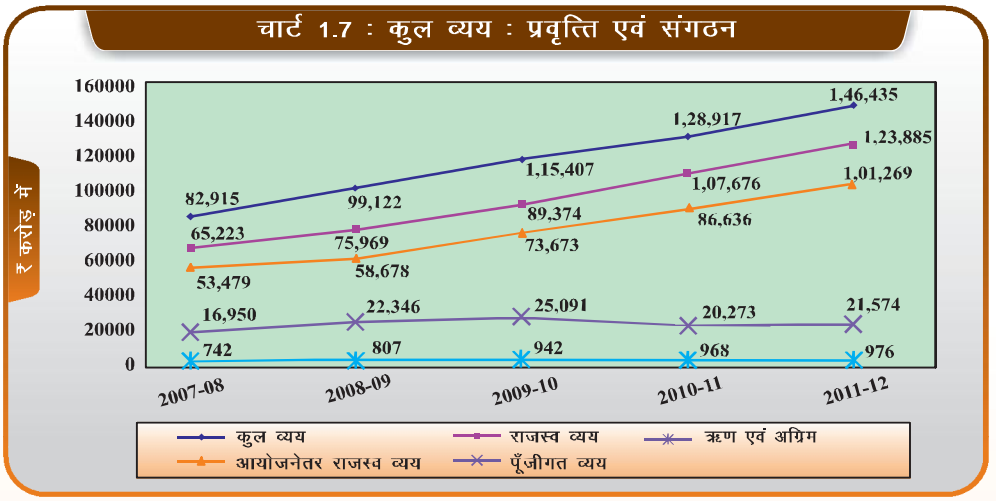
स्रोतः वित्त लेखे

- उपरोक्त सारणी से यह इंगित है कि राज्य सरकार का कुल व्यय वर्ष 2007–08 की अवधि में ₹ 82,915 करोड़ से बढ़कर (₹ 63,520 करोड़, 77 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 1,46,435 करोड़ हो गया। कुल व्यय का विकास दर असामान्य प्रवृत्ति दर्शाता है।

- वर्ष 2007–08 में 83 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ 89 *प्रतिशत* थी

वर्ष 2007–12 की पाँच वर्ष की अवधि के कुल व्ययों की प्रवृत्ति **चार्ट 1.7** में प्रस्तुत है।

चार्ट 1.7 : कुल व्यय : प्रवृत्ति एवं संगठन



स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2007–12 की अवधि में कुल व्यय में स्थिर गति से वृद्धि हुई। वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में 17,518 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें राजस्व व्यय का अंश ₹ 16,209 करोड़ (93 *प्रतिशत*) था।

राजस्व व्यय में वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2011–12 में वृद्धि मुख्यतः सामान्य शिक्षा, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, विद्युत ऊर्जा आदि के अंतर्गत हुई। शीर्षों जिनमें महत्वपूर्ण वृद्धि पायी गई, उनकी विवेचना निम्नवत है:

- **सामान्य शिक्षा** : सामान्य शिक्षा में ₹ 5,037.12 करोड़ (24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि शासकीय प्राथमिक विद्यालयों के अधीन 'सर्वशिक्षा अभियान' एवं बकाया वेतन भुगतान आदि में सहायता देने के कारण हुई । जबकि 'मध्यान्ह भोजन योजना' के अंतर्गत व्यय में ₹ 304.10 करोड़ की कमी हुई।

- **पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभः** पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में ₹ 1,509.22 करोड़ (12 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि उत्तराखण्ड राज्य को पेंशन देयताओं के भुगतान एवं छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने से पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेचुटी तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ में संशोधन के फलस्वरूप बकाया के भुगतान के कारण हुई ।

- **विद्युतः** मुख्य शीर्ष विद्युत के अंतर्गत ₹ 1,349.07 करोड़ (63 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को विद्युत हानि की प्रतिपूर्ति हेतु दी जाने वाली सब्सिडी/सहायता के कारण हुई।

- **ऋण घटाने या उसके परिहार करने के लिए विनियोजनः** ऋण घटाने या उसके परिहार करने के लिए विनियोजन में ₹ 1,303.92 (18 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह ऋण शोधन निधि में अधिक स्थानान्तरण के कारण हुई।

- **ब्याज अदायगियाँः** ब्याज अदायगियों में ₹ 1,265.38 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह बाजार ब्याज पर अधिक ब्याज भुगतान एवं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशिष्ट सुरक्षा के कारण हुई।

- **समाजिक सुरक्षा एवं कल्याणः** सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अंतर्गत चालाए जा रहे, कार्यक्रमों 'समन्वित बाल विकास योजना'; 'वृद्ध कल्याण, असक्त तथा निराश्रितों' में ₹ 1,051 करोड़ (14 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में राजस्व व्यय में कमी हुई। शीर्षो जिनमें महत्वपूर्ण कमियाँ देखी गयी, उनकी विवेचना निम्नवत हैः

- **बिक्री और व्यापार आदि पर करः** इस मद में ₹ 329 करोड़ (26 *प्रतिशत*) की कमी हुई। यह कमी संरक्षित निधि, अन्य विकास तथा कल्याण निधि, उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि को कम धन हस्तांतरण के फलस्वरूप हुई।

- **फसल कृषि–कर्मः** फसल कृषि–कर्म में ₹ 208 करोड़ (12 *प्रतिशत*) की कमी हुई। यह कमी राष्ट्रीय कृषि योजना आदि के लिए दी जाने वाली सब्सीडी घटाने के फलस्वरूप हुई।

वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 पूँजीगत व्यय में वृद्धि मुख्यतः नगर विकास, आवास आदि के अंतर्गत हुई। शीर्षों जिनके अंतर्गत उल्लेखनीय वृद्धि पायी गई, उनकी विवेचना निम्नवत हैः

- **नगर विकासः** जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अंतर्गत नगर स्थानीय निकायों को अधिक अनुदान अवमुक्त किये जाने के कारण नगर विकास में ₹ 641 करोड़ (30 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

- **आवासः** आवास हेतु प्रमुख निर्माण कार्य तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक आयोजना के अंतर्गत अनुदानों के अधिक अवमुक्त किये जाने के कारण आवास में ₹ 561.26 करोड़ (619 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

- **खाद्य भण्डारण तथा माल गोदामः** खाद्य भण्डारण तथा माल–गोदाम में ₹ 555 करोड़ (46 *प्रतिशत*) की वृद्धि खाद्य एवं प्राप्ति/आपूर्ति के कारण हुई।

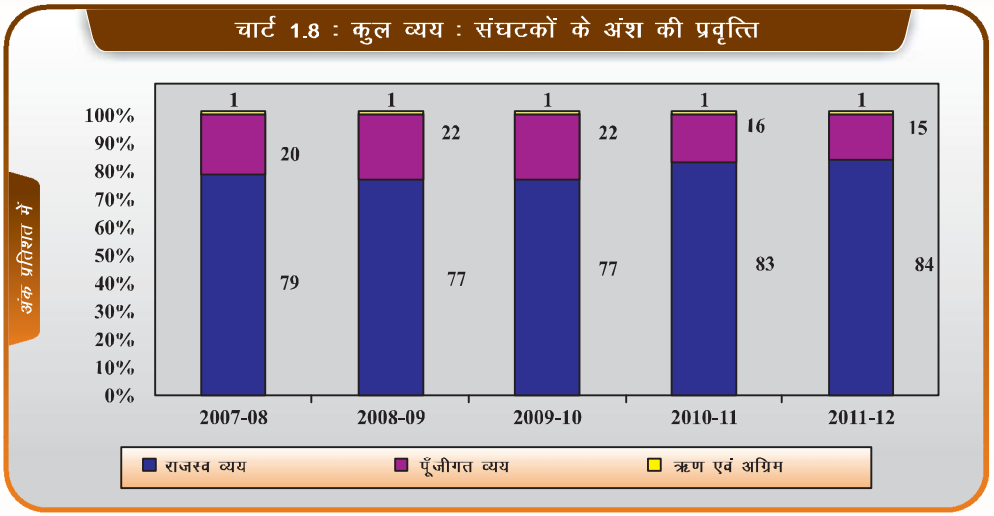
पूँजीगत व्यय में वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में कमी मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति तथा वृहद सिंचाई आदि के कारण हुई। शीर्षों जिनके अंतर्गत मुख्य रुप से कमियाँ पायी गयी, की विवेचना निम्नवत है:

- **शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति** : शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत ₹ 379 करोड़ (52 *प्रतिशत*) की कमी थी जोकि विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों में निर्माण कार्यों पर तथा अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत बहुशिल्प एवं अभियांत्रिक महाविद्यालयों की स्थापना पर व्ययों में कमी के फलस्वरूप हुई।
- **मुख्य सिंचाई** : मुख्य सिंचाई के अंतर्गत ₹ 265 करोड़ (18 *प्रतिशत*) की कमी शारदा सहायक नहर विभाजन परियोजना एवं अर्जुन सहायक परियोजना के अनुरक्षण पर कम व्यय होने के फलस्वरूप हुई।

कार्यकलापवार कुल व्ययों में प्रवृत्तियाँ

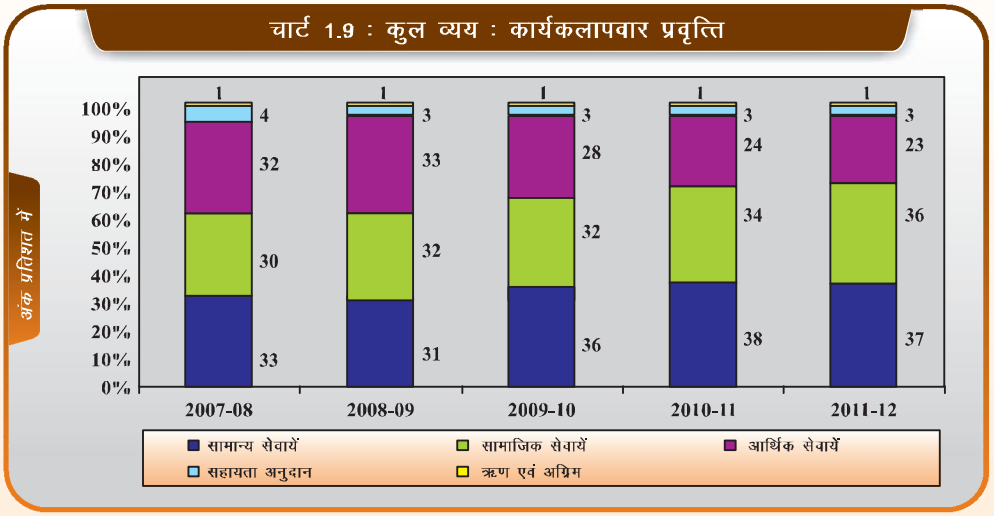
'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापवार–व्यय' के संदर्भ में कुल व्ययों के संघटकों को क्रमशः **चार्ट 1.8** और **1.9** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.8 : कुल व्यय : संघटकों के अंश की प्रवृत्ति



स्रोत : वित्त लेखे

चार्ट 1.9 : कुल व्यय : कार्यकलापवार प्रवृत्ति



स्रोत : वित्त लेखे

कुल व्यय के सापेक्ष यह दृष्टव्य है कि वर्ष 2007–12 की अवधि में राजस्व एवं पूँजीगत व्ययों के अंशों में अन्तर्वर्षीय भिन्नता की प्रवृत्ति है।

तेरहवें वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष वर्ष 2011–12 की अवधि में आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य सेवाओं के अंतर्गत हुए व्ययों की तुलना **सारणी 1.16** में प्रदर्शित है।

सारणी 1.16 : तेरहवें वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	तेरहवें वित्त आयोग के अनुमान	वास्तविक व्यय	विचलन (कोष्ठक में *प्रतिशत*)
सामान्य सेवाएं	31,765.38	52,345.19	20,579.81 (65)
सामाजिक सेवाएं	5,453.40	29,781.35	24,327.95 (446)
आर्थिक सेवाएं	6,307.05	13,887.61	7,580.56 (120)

स्रोतः बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ एवं वित्त लेखे

सारणी से यह देखा जा सकता है कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय क्रमशः 65 *प्रतिशत*, 446 *प्रतिशत* तथा 120 *प्रतिशत* अधिक था। सामाजिक सेवाओं पर किया गया व्यय उल्लेखनीय रूप से अधिक था।

1.7.2 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व खाते से वचनबद्ध व्ययों के अन्तर्गत मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन तथा सब्सिडी मद सम्मिलित हैं। इन सभी मदों के अंतर्गत किये गये व्यय विकासेतर राजस्व व्ययों के प्रमुख अंग हैं जोकि आयोजनेतर राजस्व व्यय का 82 *प्रतिशत* उपभोग करते हैं। **सारणी 1.17** और **चार्ट 1.10** में इन मदों में वर्ष 2007–12 की अवधि के व्ययों की प्रवृत्ति प्रस्तुत है।

सारणी 1.17 : वचनबद्ध व्ययों के मद

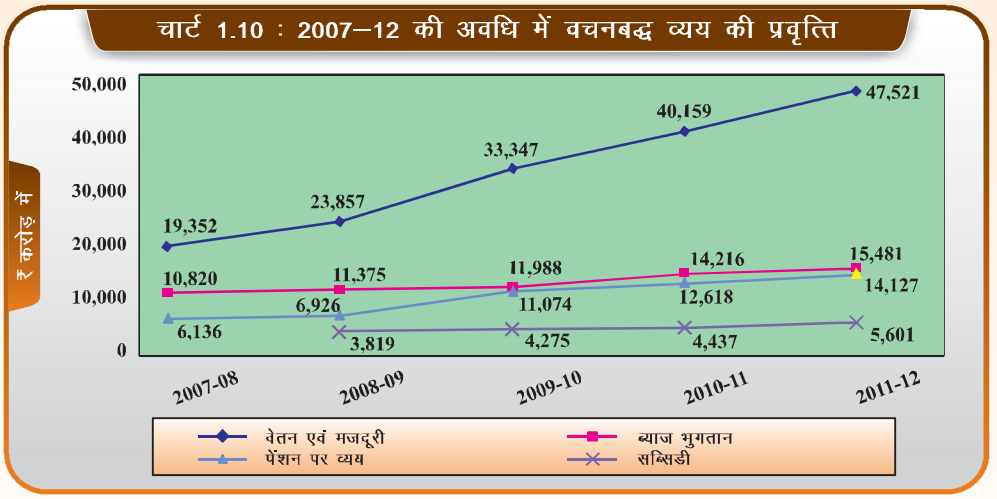
(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्ययों के मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
वेतन एवं मजदूरी जिसमें*	**19,352 (28)**	**23,857 (31)**	**33,347 (35)**	**40,159 (36)**	**47,270**	**47,521 (36)**
आयोजनेतर शीर्ष	18,624	22,834	31,137	36,316		42,244
आयोजनागत शीर्ष**	728	1,023	2,210	3,843		5,277
ब्याज भुगतान	**10,820 (16)**	**11,375 (14)**	**11,988 (13)**	**14,216 (13)**	**14,914**	**15,481 (12)**
पेंशन पर व्यय	**6,136 (9)**	**6,926 (9)**	**11,074 (11)**	**12,618 (11)**	**13,744**	**14,127 (11)**
सब्सिडी	-	**3,819 (5)**	**4,275 (4)**	**4,437 (4)**	**6,670**	**5,601 (4)**
वचनबद्ध व्यय का योग	**36,308 (53)**	**45,977 (59)**	**60,684 (63)**	**71,430 (64)**	**82,598**	**82,730 (63)**

इस मद में "राजस्व प्राप्तियों" से प्रतिशत कोष्टक में अंकित किये गये है।
*सहायता अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित है।
**आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत वह भी वेतन एवं मजदूरी सम्मिलित हैं जिसका कि भुगतान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं से किया गया था।

स्रोतः वित्त लेखे एवं वी.एल.सी. आंकड़े

चार्ट 1.10 : 2007–12 की अवधि में वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति



स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2007–12 की सम्पूर्ण अवधि में राज्य सरकार के वचनबद्ध व्ययों के मदों में वृद्धियों की प्रवृत्ति थी। यह वचनबद्ध व्यय वर्ष 2007–08 के ₹ 36,308 करोड़ के स्तर से 128 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 82,730 करोड़ के स्तर पर थे। यह वृद्धि मुख्य रूप से वेतन, मजदूरी एवं पेंशन मदों के अन्तर्गत थी।

वेतन एवं मजदूरी

आयोजनेतर शीर्षों एवं आयोजनागत शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2007–12 की अवधि में वेतन एवं मजदूरी पर हुए व्ययों का विश्लेषण करने पर वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी। आयोजनेत्तर शीर्षों के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर किया गया व्यय वर्ष 2007–08 के ₹ 18,624 करोड़ के स्तर से बढ़कर (127 *प्रतिशत)* वर्ष 2011–12 में ₹ 42,244 करोड़ हो गया तथा आयोजनागत शीर्षों के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2007–08 में ₹ 728 करोड़ से बढ़कर (625 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 5,277 करोड़ हो गया।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की भर्ती नीति का अनुसरण ऐसे करे कि जिससे कि वेतन कुल राजस्व व्यय के निवल ब्याज एवं पेंशन भुगतान का 35 *प्रतिशत* से अधिक न हो। तेहरवें वित्त आयोग ने मानकीय सीमा तक ही वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप होने वाली वृद्धि को सीमित किया तथा यह अनुशंसा की गई कि मानक सीमा से अधिक हुए व्यय को क्रमशः प्रति वर्ष 10 *प्रतिशत* कम किया जाए, यद्यपि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि में कुल वेतन के रूप में व्यय की गयी धनराशि राजस्व व्यय, निवल ब्याज एवं पेंशन भुगतान के लगभग 50 *प्रतिशत* पर स्थिर था।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान में वर्ष 2007–12 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। पेंशन की धनराशि वर्ष 2007–08 में ₹ 6,136 करोड़ के स्तर से बढ़कर (130 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 14,127 करोड़ के स्तर पर पहुँच गयी। यह वर्ष 2010–11 की तुलना में यह बढ़त ₹ 1,509 करोड़ (12 *प्रतिशत*) की थी यद्यपि, वास्तविक पेंशन भुगतान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित धनराशि (₹ 10,467 करोड़) से ₹ 3,660 करोड़ (35 *प्रतिशत*) अधिक थी।

पेंशन देयताओं के प्रभाव को कम करने के लिए 01 अप्रैल 2005 से या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी थी।

ब्याज भुगतान

कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान वर्ष 2007–08 में 16 *प्रतिशत* के स्तर से घटकर वर्ष 2011–12 में 12 *प्रतिशत* हो गया जबकि यह 2007–12 की अवधि में राजस्व व्यय 12 *प्रतिशत* और 17 *प्रतिशत* के मध्य रहा। वास्तविक ब्याज अदायगी (₹ 15,481 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (₹ 14,914 करोड़) से ₹ 567 करोड़ तथा तेरहवें वित्त आयोग के अनुमान (₹ 15,326 करोड़) से ₹ 155 करोड़ अधिक थी।

सब्सिडी

वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा ₹ 5,601 करोड़ की धनराशि का सब्सिडी के तौर पर भुगतान किया गया जो कि राजस्व प्राप्तियों एवं कुल व्ययों का चार *प्रतिशत* था। कुल भुगतान की गयी सब्सिडी में ₹ 3,776 करोड़ (67 *प्रतिशत*) आयोजनेत्तर एवं ₹1,005 करोड़ (18 *प्रतिशत*) आयोजनागत तथा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं[5] के अंतर्गत ₹ 820 करोड़ (15 *प्रतिशत*) थे। प्रमुख क्रियाकलापों जिनके अंतर्गत सब्सिडी का भुगतान किया गया था, में ऊर्जा (₹ 3,517 करोड़, 63 *प्रतिशत*), कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों (₹ 1,770 करोड़ 32 *प्रतिशत*), उद्योग एवं खनिज (₹ 65 करोड़, एक *प्रतिशत*), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण राहत (₹ 233 करोड़ चार *प्रतिशत*) तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण (₹ 16 करोड़ शून्य *प्रतिशत*) सम्मिलित थे।

पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष सब्सिडी भुगतान का विस्तृत विवरण **सारणी 1.18** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.18 : पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में सब्सिडी भुगतान

विवरण	पुनरीक्षित अनुमान		वास्तविक व्यय		विचलन	
	धनराशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का *प्रतिशत*	धनराशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का *प्रतिशत*	धनराशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का *प्रतिशत*
ऊर्जा	2,985	0.43	3,517	0.51	(-) 532	(-) 0.08
सामान्य	2,951	0.43	2,084	0.30	867	0.13
योग	**5,936**		**5,601**			

स्रोत : वित्त लेखे, राज्य का बजट

सारणी से यह विदित है कि 'ऊर्जा' के अंतर्गत दी गयी सब्सिडी के वास्तविक आँकड़े पुनरीक्षित अनुमान से **₹** 532 करोड़ अधिक थे, जो कि यह संकेत करते है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई थी।

'विद्युत' में होने वाली हानि राज्य सरकार के वित्त पर मुख्य भार है। तदनुसार, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई कि राज्य सरकार समयबद्ध ढंग से हानि को कम करने के लिए कदम उठाये। राज्य सरकार ने यह सूचित (सितम्बर 2012) किया कि विशिष्ट उपभोक्ताओं के लिए दोहरे मीटर प्रणाली विकसित करने हेतु तथा अत्यधिक विद्युत–चोरी वाले क्षेत्रों में नेकेड कन्डक्टर के स्थान पर एरियल बंच कन्डक्टर लगाए जाने हेतु कदम उठाये गये है। तेरहवें वित्त आयोग ने यह भी अनुशंसा दी कि विद्युत के संचरण एवं वितरण में हो रही हानि में कमी लायी जाये। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह भी सूचित (सितम्बर 2012) किया कि राज्य के निश्चित क्षेत्रों में शुरूआती तौर पर फीडर सेपरेशन स्कीम लागू की गई है, जिसके अंतर्गत कृषि फीडर को ग्रामीण फीडर (बिजली और पंखे के संयोजन के लिए फीडर)

[5] राज्य बजट से निधियाँ हस्तान्तरित।

से अलग किया जाना था, यद्यपि उपरोक्त योजना केवल मेरठ मण्डल में ही प्रगति (अगस्त 2012) पर थी।

1.7.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को प्रदत्त अनुदानों एवं ऋणों के रूप में दी गयी सहायता की धनराशि **सारणी 1.19** में सारांशीकृत है।

सारणी 1.19 : स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
शिक्षण संस्थाएं (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय इत्यादि,	10,503.38	10,642.76	10,364.69	17,919.87	18,345.95
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं/ विकास अभिकरण	948.61	1,262.59	2,461.05	1,864.41	3,567.02
जिला परिषद् एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएं	3,549.49	3,504.21	2,369.77	2,878.74	2922.91
चिकित्सालय एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	130.18	121.76	249.65	25.95	14.63
अन्य संस्थाए[6]	228.73	291.16	2,674.87	7,994.17	14,363.80
योग	**15,360.39**	**15,822.48**	**18,120.03**	**30,683.14**	**39,214.31**
सहायता, राजस्व व्यय के *प्रतिशत* में	24	21	20	28	32

स्रोत : वित्त लेखे

स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को दी गयी सहायता एवं अनुदान की धनराशि वर्ष 2007–08 के स्तर ₹ 15,360.39 करोड़ से बढ़कर (₹ 23,853.92 करोड़; 155 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 39,214.31 करोड़ हो गयी। वर्ष 2010–11 के सापेक्ष यह वृद्धि (₹ 8,531.17 करोड़) 28 *प्रतिशत* थी।

राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में यह सहायता 20 *प्रतिशत* और 32 *प्रतिशत* के मध्य रही, जबकि वर्ष 2011–12 की अवधि में यह सबसे अधिक 32 *प्रतिशत* के स्तर पर थी। वर्ष 2011–12 की अवधि में भी राज्य सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता की धनराशि के मुख्य लाभार्थियों में शैक्षणिक संस्थाएं, तत्पश्चात् जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को वरीयता प्रदान की गयी ।

1.7.4 शहरी स्थानीय निकाय

शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका परिषदें एवं नगर पंचायतें सम्मिलित हैं। चौहत्तरहवें संविधान संशोधन (1992) में इन शहरी स्थानीय निकायों को पावर के विकेन्द्रीकरण और अधिक क्रिया–कलापों एवं धनराशियों का हस्तान्तरित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। संशोधन के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए विधायिका ने उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 पारित किया। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 630 थी जो कि चुने गये सदस्यों की एक परिषद से शासित होती है।

[6] (i) उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना (ii) मध्यान्ह् भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम (iii) शिक्षकों की नियुक्ति, (iv) त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना, (ए0आर0डब्लू0एस0पी0), (v) महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना, (vi) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, (vii) वृद्धावस्था/किसान पेंशन, (viii) बकाया का भुगतान इत्यादि।

क्रिया–कलापों का अन्तरण

राज्य सरकार द्वारा 18[7] क्रिया–कलापों (संविधान की 12वीं अनुसूची में प्राविधानित) में से 13 क्रिया–कलापों को शहरी स्थानीय निकायों को सौपा गया, जबकि पांच कार्य[8] सौपें नहीं गये। 13 कार्यो के अतिरिक्त एक और क्रिया–कलाप (वाहन पार्किंग स्थल, जो कि संविधान की 12वीं अनुसूची के बाहर था) भी उनको सौंपा गया जबकि सौपे जाने के उपरांत भी 14 में से छः कार्यो[9] का न गतिविधियॉं और न ही शहरी स्थानीय निकायों को (दिसम्बर 2011) स्थानांतरित किये गये थे। इस प्रकार, क्रिया–कलापों के हस्तान्तरण के माध्यम से धनराशियों के दिये जाने का कार्य नहीं हुआ।

अनुदानों का अंतरण

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य सरकार के कर राजस्व का 7.5 *प्रतिशत* शहरी स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिये जबकि तृतीय राज्य वित्त आयोग ने इसे कम कर सात *प्रतिशत* कर दिया। राज्य सरकार द्वारा जितनी धनराशि दिया जाना था और वस्तुतः जितनी धनराशि दी गयी उन्हें **सारिणी 1.20** में दिया गया है।

सारणी 1.20 : अनुदानों का अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य को प्राप्त निवल राजस्व	अंतरित की जाने वाली धनराशि	अंतरित की गयी धनराशि	कम अन्तरित धनराशि *(प्रतिशत)*
2007-08	24,959	1,872	1,838	34 (2)
2008-09	28,659	2,149	1,986	163 (8)
2009-10	33,878	2,541	2,121	420 (17)
2010-11	41,110	2,878	2,566	312 (16)
2011-12	52,613	3,683	2,751	932 (22)
योग	**1,81,219**	**13,123**	**11,262**	**1,861 (14)**

स्रोतः निदेशक, नगर स्थानीय निकाय,लखनऊ

उपरोक्त सारिणी से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने 1,861.00 करोड़ (14 *प्रतिशत*) की धनराशि शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित नही की जिसके परिणामस्वरूप लोगों को अच्छी नगर–सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त नहीं हो सकीं। राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2012)।

निजी संसाधनों से प्राप्त राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कर, किराये एवं शुल्क आदि एकत्र कर राजस्व प्राप्त किया जाता हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009–12 की अवधि में राजस्व उगाहन हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्यों तथा उनके सापेक्ष उपलब्धियों का विवरण **सारणी 1.21** में निम्नवत् है–

[7] (i) शहरी नियोजन जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित है, (ii) भवनों का निर्माण एवं भु–प्रयोग का विनियमन, (iii) सामाजिक एवं आर्थिक विकास का नियोजन, (iv) मार्ग एवं सेतु, (v) औद्योगिक एवं वाणिज्यिक एवं घरेलू उददेश्यों हेतु जलापूर्ति, (vi) शहरी स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, (vii) अग्नि सेवाएं, (viii) शहरी वानिकी पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकी पक्ष की उन्नति, (ix) समाज के कमजोर वर्ग, विकलांग तथा मानसिक रूप से अक्षम लोगों के हितों की सुरक्षा, (x) मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण, (xi) शहरी गरीबी उन्मूलन, (xii) शहरी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का प्रावधान जैसे–पार्क, बगीचा एवं खेलकूद का मैदान, (xiii) शैक्षिक, संस्कृति एवं सौन्दर्य पक्ष की प्रोन्नति, (xiv) कब्रिस्तान, शमशान घाट एवं विद्युत शवदाह गृह, (xv) पशुशाला, पशुओं पर कूरता की रोकथाम, (xvi) जन्म, मृत्यु का पंजीकरण एवं जनांनिकी, (xvii) जन सुविधाएं–स्ट्रीट लाइट, बस अडडा पार्किग एवंज न यातायात (xviii) स्लाटर हाऊस एवं चर्म उद्योग का विनियमितीकरण।

[8] (i) शहरी नियोजन जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित है, (ii) भवनों का निर्माण एवं भू–प्रयोग का विनियमन, (iii) मार्ग एवं सेतु, (iv) अग्निशमन सेवाएं, (v) शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सौन्दरीकरण की प्रोन्नति।

[9] (i) आर्थिक एवं सामाजिक विकास का नियोजन, (ii) शहरी वानिकी, (iii) समाज के कमजोर वर्गो के हितों की संरक्षण, (iv) शहरी गरीबी उन्मूलन, (v) मलिन बस्तियों का सुधार एवं उच्चीकरण, (vi) वाहनों के लिए पार्किग स्थल

सारणी 1.21 : निजी संसाधनों से प्राप्त राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों की संख्या एवं नाम	2009–10		2010–11		2011–12	
	शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि (*प्रतिशत*)	शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि (*प्रतिशत*)	शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि (*प्रतिशत*)
	(₹ करोड़ में)					
13 नगर निगम	478.78	527.57 (110)	810.00	676.67 (84)	788.74	720.62 (91)
194 नगर पालिका परिषद	149.96	178.37 (119)	240.80	211.79 (88)	237.85	227.72 (96)
423 नगर पंचायत	40.53	45.43 (112)	61.44	53.07(86)	72.51	57.66 (80)
योग	**669.27**	**751.37**	**1,112.24**	**941.53**	**1,099.10**	**1,006.00**

स्रोतः निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, लखनऊ

सारणी से यह उद्घटित होता है कि नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की उपलब्धियाँ वर्ष 2009–10 की अवधि में उनके लक्ष्यों से अधिक रही थी, जबकि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि में उपलब्धियाँ लक्ष्यों से कम थी।

लेखापरीक्षा की व्यवस्था

- उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1984 के उपबन्धों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा शहरी स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखा परीक्षक हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण उक्त निकायों के लेखाओं की लेखा परीक्षा वर्ष 2009–12 की अवधि 11 *प्रतिशत* से 15 *प्रतिशत* तक नही की जा सकी[10]। राज्य सरकार ने यह सूचित किया (सितम्बर 2012) कि तेरहवें वित्त आयोग की अनशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग ने लेखा परीक्षा कर्मचारियों की दक्षता वृद्धि के लिए वर्ष 2011–12 में 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये ।

- उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8 (3) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की एक समेकित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने और विधायिका के समक्ष रखने हेतु इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। उक्त प्रतिवेदन मात्र वर्ष 2008–09 तक ही तैयार करके प्रस्तुत की गयी थी।

1.7.5 पंचायती राज संस्थाएं

तिहत्तरवें संविधान संशोधन, 1992 को दृष्टि में रखते हुए, निर्वाचित निकाय प्रणाली की एक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की स्थापना एवं उक्त के द्वारा ग्रामीण स्वशासी निकायों–ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत में पावर को विकेन्द्रीकृत करने के लिये उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं

10

वर्ष	लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयों की संख्या	वास्तव में लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	अवशेष इकाईयाँ (*प्रतिशत* कोष्ठक में)
2009-10	623	556	67 (11)
2010-11	624	542	82 (13)
2011-12	625	529	96 (15)

जिला पंचायत अधिनियम, 1961 को वर्ष 1994 में संशोधित किया गया। पंचायती राज संस्था प्रणाली का उद्देश्य स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी में वृद्धि करना एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना था। मार्च 2012 के अन्त तक राज्य में 51,914 ग्राम पंचायतें, 821 क्षेत्र पंचायतें एवं 72 जिला पंचायतें थी।

अनुदानों का अंतरण

द्वितीय वित्त आयोग ने कुल कर राजस्व प्राप्तियों का पांच *प्रतिशत* पंचायती राज संस्था को अंतरित करने की अनुशंसा की थी। तृतीय वित्त आयोग ने इसे बढ़ाकर 5.5 *प्रतिशत* कर दिया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–12 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को धनराशियों का अंतरण एवं वास्तव में अवमुक्त की गयी धनराशियाँ **सारणी 1.22** में दी गई है:

सारणी 1.22 : अनुदानों का अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शासन की कुल कर राजस्व प्राप्तियां	धनराशियाँ जो अंतरित की जानी थी	वास्तव में अंतरित की गयी धनराशियाँ	कमी / अधिक्य	*प्रतिशत*
2007-08	24,959	1,248	1441	(+) 193	(+) 15
2008-09	28,659	1,433	1,282	(-)151	(-) 11
2009-10	33,878	1,694	1,262	(-)432	(-) 26
2010-11	41,110	2,261	1,788	(-) 473	(-) 21
2011-12	52,613	2,893	2,172	(-) 721	(-) 25
योग	**1,81,219**	**9,529**	**7,945**	**(-) 1,584**	**(-) 17**

स्रोतः वित्त लेखे एंव निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ; उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लखनऊ एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास लखनऊ।

यह देखा गया कि वर्ष 2007–12 की अवधि में ₹ 1,584 करोड़ की कम धनराशि अंतरित की गयी थी तथा अधिकतम कमी वर्ष 2010–11 में थी जब ₹ 2,261 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 1,788 करोड़ ही अन्तरित किया गया था।

लेखापरीक्षा की व्यवस्था

- मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्राथमिक लेखापरीक्षक है। फिर भी अधिकतर पंचायती राज संस्था वर्ष के अंत तक लेखापरीक्षा से वंचित रही। इसका विवरण ***परिशिष्ट 1.7*** में दिया गया है।

- तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशानुसार प्रधान महालेखाकार[11] द्वारा किये गये नमूना जांच के प्रतिवेदनों को मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें तथा निदेशक, पंचायती राज को कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा। फिर भी, वर्ष 2011–12 के अंत में 16,037 प्रस्तर अनिस्तारित थे। वर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 1.8*** में दिया गया है।

1.8 व्ययों की गुणवत्ता

राज्य में अच्छे सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना की उपलब्धता सामान्यतः राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के

[11] अप्रैल 2012 से प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर ऑडिट) के रुप में नामित।

अन्तर्गत मुख्यतः तीन पक्ष निहित होते है, जैसे– व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थः लोक सेवा की उपलब्धता हेतु पर्याप्त प्रबंध), व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं के लागत–परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

1.8.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्रों एवं आर्थिक अवस्थापना से संबंधित व्यय का दायित्व राज्य सरकारों को निर्दिष्ट है। मानव विकास के स्तर में वृद्धि हेतु राज्यों को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र विशेष में राजकोषीय प्राथमिकता (वर्ग में व्यय का सकल व्यय से अनुपात) संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है तो उस क्षेत्र में राजकोषीय प्राथमिकता कम है। **सारणी 1.23** में वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विकास व्यय, सामाजिक व्यय तथा पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.23: वर्ष 2008–09 और 2011–12 में राजकोषीय प्राथमिकता

(*प्रतिशत* में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई./ जी.एस.डी.पी.	डी.ई./ ए.ई.	एस.एस.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	एजूकेशन /ए.ई.	हेल्थ/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2008–09	17.00	67.09	34.28	16.47	15.41	3.97
उत्तर प्रदेश राज्य का औसत (अनुपात) 2008–09	24.05	52.56	31.77	22.54	13.95	4.98
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2011–12	16.09	66.44	36.57	13.25	17.18	4.30
उत्तर प्रदेश राज्य का औसत (अनुपात) 2011–12	21.29	59.34	35.91	14.73	17.96	4.58

*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*

ए.ई.: एग्रीगेट एक्सपेन्डीचर डी.ई. : डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर एस.एस.ई. : सोशल सेक्टर एक्सपेन्डीचर सी.ई. : कैपिटल एक्सपेन्डीचर# डेवलपमेंट एक्पेन्डीचर में डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्पेन्डीचर, डेवलपमेंट कैपिटल एक्सपेंडीचर, और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित है।

स्रोत : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए, सूचनाएं राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय से एकत्र की गयी थी।

राजकोषीय प्राथमिकता

- सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2011–12 में अधिक था।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2011–12 में विकास पर होने वाले व्यय हेतु पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान नहीं की गयी क्योंकि औसत व्यय की तुलना में सामान्य श्रेणी के राज्यों से इसका अनुपात कम था।
- वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2011–12 में सामाजिक क्षेत्र में किया गया व्यय औसत व्यय की तुलना में सामान्य श्रेणी के राज्यों के सापेक्ष कम था।
- वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2011–12 में औसत व्यय की तुलना में पूँजीगत व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों से अधिक था।
- औसत व्यय के सापेक्ष शिक्षा क्षेत्र पर किये गये व्यय का अनुपात वर्ष 2008–09 में

13.95 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 17.96 *प्रतिशत* हो गया। सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा पर होने वाले व्यय की प्राथमिकता वर्ष 2008–09 में कम तथा वर्ष 2011–12 में अधिक थी।

- उत्तर प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया गया व्यय उल्लेखनीय रहा क्योंकि वर्ष 2008–09 और वर्ष 2011–12 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में इसका अनुपात अधिक था।

1.8.2 व्यय में दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से लोक व्यय की महत्ता के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह तर्कसंगत मानकों के साथ उपयुक्त व्यय करे और कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स की व्यवस्था पर जोर दे। विकास पर व्यय हेतु आवंटन में सुधार करने के अतिरिक्त वर्तमान वर्षों में विशेष रूप से ऋण सेवा में गिरावट के कारण उत्पन्न राजकोषीय शून्य के परिप्रेक्ष्य में व्यय में दक्षता, पूंजीगत व्यय का कुल व्यय (और/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) से अनुपात एवं वर्तमान सामाजिक व आर्थिक सेवाओं के संचालन एवं अनुरक्षण पर किये गये राजस्व व्यय के समानुपात से परिलक्षित होती है। इन मदों के अंतर्गत किये गये व्यय का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होगा उतनी ही व्यय की गुणवत्ता अच्छी होगी।

वर्ष के बजट अनुमान के साथ ही विगत वर्षों की वास्तविक व्यय के आँकड़ों की तुलना में वर्ष 2011–12 में राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष विकास व्यय की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.24** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.24 : विकास हेतु व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक व्यय
विकास हेतु व्यय (अ से स) (कोष्ठक में आंकड़े कुल व्यय का *प्रतिशत* प्रस्तुत करता है)	**52,102** (63)	**64,737** (65)	**70,554** (61)	**75,019** (58)	**91,527** (58)	**86,897** (59)
(अ) विकास पर राजस्व व्यय	35,123 (67)	42,695 (66)	45,372 (64)	55,292 (74)	67,940 (74)	65,683 (76)
(ब) विकास पर पूंजीगत व्यय	16,375 (31)	21,504 (33)	24,480 (35)	19,271 (26)	22,776 (25)	20,431 (23)
(स) विकास हेतु ऋण एवं अग्रिम	604 (1)	538 (1)	702 (1)	456 (0)	811 (1)	783 (1)

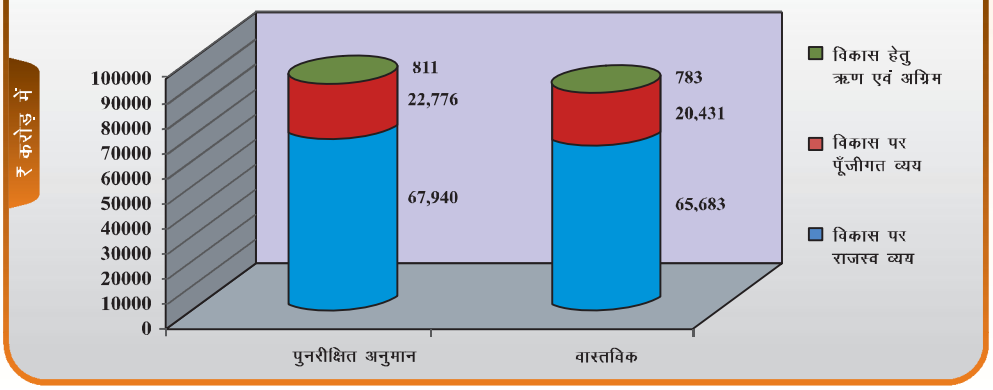
स्रोत : वित्त लेखे

विकास किया गया व्यय, जिसमें सामाजिक आर्थिक सेवाओं के राजस्व एवं पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, वर्ष 2007–08 के ₹ 52,102 करोड़ के स्तर से ₹ 34,795 करोड़ बढ़कर (67 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 86,897 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011–12 में विकास व्यय में ₹ 11,878 करोड़ (16 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

विकास हेतु किये गये व्यय के अन्तर्गत राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में क्रमशः 87 तथा 10 *प्रतिशत* के अनुपात में वृद्धियाँ हुई थीं जबकि सामाजिक आर्थिक सेवाओं हेतु ऋणों एवं अग्रिमों में यह वृद्धि मात्र तीन *प्रतिशत* की थी।

वर्ष 2011–12 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में विकास हेतु किये गये व्यय की स्थिति ग्राफ के रूप में **चार्ट 1.11** में प्रदर्शित है। चार्ट से यह स्पष्ट है कि विकास हेतु राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय पुनरीक्षित अनुमान से क्रमशः ₹ 2,257 करोड़ तथा ₹ 2,345 करोड़ कम थे।

चार्ट 1.11 : वर्ष 2011–12 में पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में विकास व्यय के घटक



स्रोत : वित्त लेखे

चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर किए गये पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के घटकों का विवरण **सारणी 1.25** में प्रदर्शित है।

सारणी 1.25 : चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2010-11			2011-12		
	पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अंश	राजस्व व्यय में अंश		पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अंश	राजस्व व्यय में अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं मरम्मत		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं मरम्मत
सामाजिक सेवायें						
सामान्य शिक्षा	1.63	82.60	0.07	1.27	87.89	0.04
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.94	77.66	0.70	14.04	77.67	1.49
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	55.38	0.96	2.16	61.55	3.06	3.13
योग (सामाजिक सेवायें)	**10.74**	**56.41**	**0.26**	**9.80**	**59.49**	**0.36**
आर्थिक सेवायें						
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	0.00	46.50	0.97	- 3.61	46.41	1.07
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	41.39	58.95	22.36	34.64	53.96	28.90
शक्ति एवं ऊर्जा	65.34	0.67	0.00	54.96	0.45	0.00
परिवहन	72.67	4.15	94.80	70.53	3.56	94.99
योग (आर्थिक सेवायें)	**47.66**	**39.07**	**15.99**	**44.84**	**36.77**	**16.79**
महायोग (सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें)	**25.69**	**51.48**	**4.74**	**23.51**	**53.16**	**4.94**

स्रोत : वित्त लेखे एवं वी.एल.सी. आंकड़े

राज्य सरकार के कुल व्ययों में पूंजीगत व्यय के अंश में विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में 2.18 *प्रतिशत* की कमी हुई। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत भी पूंजीगत व्यय के भाग में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 0.94 *प्रतिशत* तथा 2.82 *प्रतिशत* की कमी हुई। सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वर्ष 2011–12 की अवधि में पूंजीगत व्यय के कुल व्ययों से अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 1.90 *प्रतिशत,* सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 6.75 *प्रतिशत,* शक्ति एवं ऊर्जा में 10.38 *प्रतिशत* और परिवहन में 2.14 *प्रतिशत* की कमी हुई।

कुल व्ययों में वेतन एवं भत्ता का अंश वर्ष 2010–11 के 51.48 *प्रतिशत* से बढ़कर (1.68 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में यह 53.16 *प्रतिशत* में हुई। इसमें सामाजिक सेवाओं में 3.08 *प्रतिशत* की बढ़त थी जो कि आर्थिक सेवाओं में हुई 2.30 *प्रतिशत* की कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित था। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत सामान्य शिक्षा में वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में 5.29 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय में 'संचालन एवं अनुरक्षण' पर हुए व्यय का अंश विगत वर्ष के 0.26 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्तमान वर्ष में 0.36 *प्रतिशत* हो गया। इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय में संचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय का कुल अंश विगत वर्ष के 15.99 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्तमान वर्ष में 16.79 *प्रतिशत* हो गया, फिर भी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 'संचालन एवं अनुरक्षण' पर व्यय में 6.54 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.9 राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह अपने राजकोषीय घाटों को न केवल कम स्तर पर रखें बल्कि पूंजीगत व्ययों/निवेशों (अग्रिमों एवं ऋणों (उधार) को सम्मिलित करते हुए) की आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अन्तर्निहित सब्सिडी के रूप में अपने बजट एवं वित्तीय संचालन में पारदर्शिता लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के स्थान पर बाजार–आधारित संसाधनों पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के संक्रमण काल में अपने निवेशों पर यथेष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने एवं उधार ली गयी धनराशियों का मूल्य वसूलने की आवश्यकता है। इस भाग में विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार के निवेशों एवं पूंजीगत व्ययों के वृहद वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है।

1.9.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

सिचांई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यावहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई से मिलने वाली प्राप्तियों को मूल्यांकन–कर सिंचाई परियोजना के अनुरक्षण व्यय के सापेक्ष लागत वसूली की दर निर्धारित किया गया है।

वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से वर्ष 2011–12 की अवधि में प्राप्तियां (₹ 232 करोड़) उनके संचालन एवं अनुरक्षण पर किय गये ₹ 3,736 करोड़ के व्यय का मात्र छः *प्रतिशत* थी, जो कि इस वर्ष के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली अनुमान (35 *प्रतिशत*) से बहुत कम थी। **सारणी 1.26** से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2007–12 की अवधि के लिए वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्यों के संबंध में बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली दर तथा अनुरक्षण व्यय राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।

सारणी 1.26: बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के संदर्भ में लागत वसूली दर एवं अनुरक्षण व्यय

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ	बारहवें (2005–10) एवं तेरहवें (2010–15) वित्त आयोग द्वारा लागत वसूली का मूल्यांकन	लागत वसूली में कमी
	₹ करोड़ में		*प्रतिशत* में		
2007-08	2,263	353	16	70	54
2008-09	2,520	295	12	80	68
2009-10	2,633	267	10	90	80
2010-11	3,409	186	5	25	20
2011-12	3,736	232	6	35	29

स्रोतः वित्त लेखे एवं वित्त आयोग की अनुशंसाएँ

वर्ष 2007–10 की पूरी अवधि में बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोगों द्वारा किये गये मूल्यांकन की तुलना में लागत वसूली में कमियों के अन्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। वर्ष 2007–08 में कमी 54 *प्रतिशत* के स्तर से बढ़कर वर्ष 2009–10 में यह 80 *प्रतिशत* हो गयी।

जबकि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मूल्यांकन के सापेक्ष लागत वसूली में कमी के अंतर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी। आयोग द्वारा 35 *प्रतिशत* की अनुशंसा के सापेक्ष वर्ष 2011–12 की अवधि में इन परियोजनाओं पर 'संचालन एवं अनुरक्षण' पर हुए व्यय का छः *प्रतिशत* ही वसूल किया जा सका जो उनके व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

माह मार्च 2012 के अंत तक राज्य सरकार की 16 वृहद सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 6,514.53 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय के साथ उनके वित्तीय परिणामों से यह प्रदर्शित हुआ कि इन परियोजनाओं से वर्ष 2011–12 की अवधि में की गयी राजस्व वसूली (₹ 75.20 करोड़) पूंजीगत परिव्यय के *प्रतिशत* के रूप में विगत वर्ष के 1.12 *प्रतिशत* के स्तर से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 1.15 *प्रतिशत* हो गयी, जो कि वर्ष 2011–12 की अवधि में पूंजीगत निवेशों पर व्याज (₹ 337.05 करोड़) को भी वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इन 16 परियोजनाओं से राजस्व वसूली (₹ 75.20 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2011–12 के दौरान इनके 'संचालन एवं अनुरक्षण' पर व्यय (₹ 685.13 करोड़) एवं पूंजीगत परिव्यय पर व्याज ₹ 337.05 करोड़ सम्मिलित करते हुए ₹ 946.98 करोड़ की शुद्ध हानि हुई।

1.9.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण परियोजनाओं पर धनराशियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है। मार्च 2012 तक पूर्ण होने वाली एवं एक करोड़ रुपये की लागत से अधिक अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति **सारणी 1.27** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.27: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की कुल पुनरीक्षित लागत*	लागत में वृद्धि[3]	31.3.2012 तक संचयी व्यय
लोक निर्माण विभाग (सड़कें एवं सेतु)	163	2,069.62	208.50 (13 परियोजनाएँ)	66.68[1]	979.93
सिंचाई विभाग	20	795.66	1,760.58 (20 परियोजनाएँ)	964.92[2]	1,473.46
योग	**183**	**2,865.28**	**1,969.08**	**1,031.60**	**2,453.39**

(1) 13 अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित (प्रारंभिक बजट लागत ₹ 141.82 करोड़, पुनरीक्षित लागत ₹ 208.50 करोड़)
(2) 20 अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित (प्रारंभिक बजट लागत ₹ 729.66 करोड़, पुनरीक्षित लागत ₹ 1760.58 करोड़)
(3) पुनरीक्षित परियोजनाओं के संदर्भ में लागत वृद्धि

स्रोत: वित्त लेखे

पूर्वोक्त 183 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 2,453.39 करोड़ का व्यय (मार्च 2012) अलाभकारी रहा। पुनः 183 अपूर्ण परियोजनाओं में से 33 परियोजनाओं की प्रारम्भिक बजटीय लागत राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित की गयी जिससे ₹ 1,031.60 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

परियोजनाओं के निर्धारित समयावधि में पूर्ण न होने से न केवल लागत में वृद्धि हुई अपितु यह इस बात का भी सूचक था कि पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने एवं ऋण सेवा के प्रतिफलों की कीमत पर नई परिसम्पत्तियों के सृजन को प्राथमिकता दी गयी।

1.9.3 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2012 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों (₹ 398.69 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 41,217.24 करोड़), तथा सहकारी संस्थाओं (₹ 991.14 करोड़) में कुल ₹ 42,607.07 करोड़ की धनराशियों का निवेश किया था। विगत तीन वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिफल 0.06 *प्रतिशत* था, जबकि राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों पर इसी अवधि में 6.48 *प्रतिशत* की औसत ब्याज दर से भुगतान किया गया था। (**सारणी 1.28**)।

सारणी 1.28: निवेशों पर प्रतिफल

निवेशों / प्रतिफलों / लिये गये ऋणों की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के अंत तक निवेश (₹ करोड़ में)	12,188.76	14,866.13	39,666.64	38,272.54	42,607.07[12]
प्रतिफलों (₹ करोड़ में)	1.05	1.26	8.36	26.81	38.17
प्रतिफलों (*प्रतिशत*)	0.009	0.008	0.021	0.07	0.09
राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों पर औसत ब्याज का दर (*प्रतिशत*)[8]	6.43	6.29	6.16	6.67	6.62
ब्याज दर एवं प्रतिफलों में अंतर (*प्रतिशत*)	6.42	6.28	6.14	6.60	6.53

स्रोत: वित्त लेखे

[12] वर्ष 2011–12 एवं विगत वर्षों के, जो कि समाधान के अंतर्गत ₹ 8783.40 करोड़ सम्मिलित है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 की अवधि में मुख्य रूप से ऐसे निगमों में निवेश किया गया था, जो कि विद्युत उत्पादन, विद्युत संचार एवं वितरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में लगे हुये थे।

1.9.4 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त इनमें से कई संस्थानों/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी देती है। विगत तीन वर्षों में ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज की प्राप्तियां तथा ऋणों एवं अग्रिमों जो कि 31 मार्च 2012 तक बकाया थे की स्थिति **सारणी 1.29** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.29 : राज्य सरकार द्वारा दिये गये अग्रिम ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण की मात्रा/ब्याज प्राप्तियां/ उधारी की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	
			पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक अवशेष	**9,014**	**9,663**	**-**	**10,146**
वर्ष में प्रदान अग्रिम की धनराशि	942	968	1,240	976
वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि	293	485	537	133
अन्तिम अवशेष	**9,663**	**10,146**	**-**	**10,989**[13]
निवल वृद्धि	649	483	703	843
ब्याज प्राप्तियां	39	65	-	101
अप्राप्त ऋण एवं अग्रिमों के *प्रतिशत* के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.41	0.64	-	0.92
राज्य सरकार के अप्राप्त राजकोषीय दायित्वों के *प्रतिशत* के रूप में ब्याज भुगतान	5.94	6.32	-	6.36
भुगतानित ब्याज एवं ब्याज प्राप्तियों में अंतर (*प्रतिशत*)	(-) 5.53	(-) 5.68	-	(-) 5.44

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2011–12 की अवधि में दिए गए अग्रिम ऋण पुनरीक्षित बजट में किए गए प्रावधानों से ₹ 264 करोड़ (21 *प्रतिशत*) कम था, जबकि ऋणों की वापसी (₹ 133 करोड़) बजट अनुमान (₹ 537 करोड़) से चार गुना कम हुई थी।

वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 456.80 करोड़ तथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 326.38 करोड़ ऋण दिया गया। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत 'उद्योगों एवं खनिजों' को ₹ 102.14 करोड़ तथा उपभोक्ता उद्योगों को ₹ 353.10 करोड़ का ऋण दिया गया । इसी प्रकार सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजना को ₹ 323.17 करोड़ का ऋण दिया गया।

मार्च 2011 के अन्त में ऋणों एवं अग्रिमों की अवशेष धनराशि ₹ 10,146 करोड़ थी जो कि मार्च 2012 के अन्त में बढ़कर (₹ 843 करोड़) ₹ 10,989 करोड़ हो गयी। प्रमुख रूप से अवशेष धनराशियों का क्षेत्रवार विभाजन इस प्रकार था:– आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 7,019 करोड़), सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 2,452 करोड़), सामान्य सेवाएं (₹ 1,344 करोड़) एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों (₹ 172 करोड़)। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत अवशेष ऋण मुख्यतः ऊर्जा (₹ 2,681 करोड़), उद्योग एवं खनिजों (₹ 3,362 करोड़) एवं कृषि एवं अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों (₹ 350 करोड़) से सम्बन्धित थे।

[13] पूर्णांक के कारण ₹ एक करोड़ का अंतर होने के कारण वर्ष 2012–13 के लिए प्रारम्भिक अवशेष ₹ 10,988 करोड़ होगा।

उधार ली गयी धनराशियों पर भुगतानित ब्याज दर वर्ष 2009–10 में 5.94 *प्रतिशत* एवं वर्ष 2011–12 में 6.36 *प्रतिशत* थी। 2009–12 की अवधि में अवशेष ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज की प्राप्तियां एक *प्रतिशत* से भी कम थी। यह इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि ब्याज की प्राप्तियां ऋण–सेवा हेतु आवश्यक ब्याज के दायित्वों को पूरा करने हेतु भी पर्याप्त नहीं थीं।

1.9.5 नगद अवशेष एवं नगद अवशेषों का निवेश

वर्ष की अवधि में राज्य सरकार के नगद अवशेष एवं राज्य सरकार द्वारा नगद अवशेषों से किए गये निवेशों का विवरण **सारणी 1.30** में दर्शाया गया है। वर्ष 2011–12 की समाप्ति पर राज्य सरकार के पास ₹ 13,447 करोड़ नकद अवशेष धनराशि थी।

सारणी 1.30 : नगद अवशेष एवं नगद अवशेषों से निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2012 को	वृद्धि (+)/कमी(–)
नगद अवशेष	**10,304.99**	**13446.70**	**3141.71**
नगद अवशेष से निवेश (अ एवं ब)	**9,877.81**	**14052.72**	**4174.91**
अ–भारत सरकार के ट्रेजरी बिल	9,877.81	14052.72	4174.91
ब–भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-	-	-
चिन्हित अवशेषों में से निवेश निधिवार विवरण (अ एवं ब)	**45.20**	**45.20**	-
अ–भारत सरकार के ट्रेजरी बिल	-	-	-
ब–भारत सरकार की प्रतिभूतियां	45.20	45.20	-
भारत सरकार की प्रत्याभूतियों में निवेश पर अर्जित ब्याज	**231.87**	**311.96**	**80.09**

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य सरकार को नगद अवशेषों के निवेशों से 2.22 *प्रतिशत*[14] की दर से ब्याज प्राप्त हुआ था जबकि इसी अवधि में राज्य सरकार द्वारा उधार ली गयी धनराशियों पर 6.62 *प्रतिशत* की दर से ब्याज का भुगतान किया गया था।

1.9.6 अर्थोपाय अग्रिम

राज्य सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अनुबन्ध के अधीन ₹ 4.71 करोड़ का न्यूनतम नगद अवशेष बनाये रखना है इस नगद अवशेष का सीमा के नीचे होने पर कमी को समय–समय पर साधारण एवं विशेष अर्थापाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्टों को लेकर पूरा किया जाता है। फिर भी सरकार द्वारा वर्ष 2007–10 एवं वर्ष 2011–12 की अवधि में इस सुविधा का उपयोग नहीं किया गया। वर्ष 2010–11 की अवधि में सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम के रूप में ₹ 713.88 करोड़ प्राप्त किया गया तथा इसी अवधि में स्वंय उसका पूर्ण पुनर्भुगतान भी किया गया।

1.10 परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें

1.10.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों में वृद्धि एवं संघटक

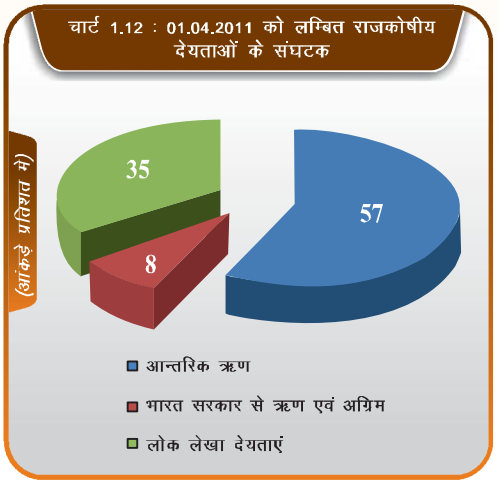
राज्य सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार की भूमि, भवनों इत्यादि जैसी अचल परिसम्पत्तियों को समग्र रूप से लेखाबद्ध नहीं किया जाता है।

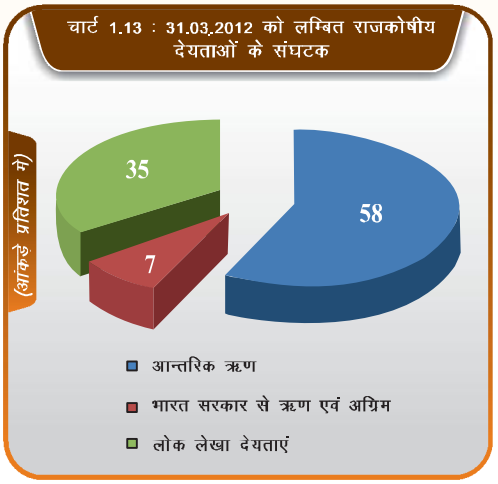
[14] ब्याज की दर की गणना पुनः भुनाये गये औसत धनराशि के ट्रेजरी के बिलों पर आधारित है।

फिर भी, राज्य सरकार के लेखे राज्य सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। **परिशिष्ट 1.9** में 31 मार्च 2011 के सापेक्ष 31 मार्च 2012 को राज्य सरकार की ऐसी ही वित्तीय देयताओं एवं सृजित परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। यद्यपि ***परिशिष्ट 1.9*** में अंकित वित्तीय देयताओं के अंतर्गत मुख्य रूप से आन्तरिक ऋणों, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं रक्षित निधियों से प्राप्तियां दर्शायी गयी है जबकि परिसम्पत्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ अवशेषों का विवरण दिया गया है।

1.10.2 राजकोषीय देयतायें

राज्य सरकार की अवशेष राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति ***परिशिष्ट 1.9*** में प्रस्तुत की गयी है एवं विगत के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में राजकोषीय देयताओं के संघटकों को **चार्ट 1.12** एवं **1.13** में प्रस्तुत किया गया है।





स्रोतः वित्त लेखे

राज्य सरकार की राजकोषीय देयताएँ, राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर, राजकोषीय देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात, राजस्व प्राप्तियों से अनुपात तथा राज्य के संसाधनों से अनुपात एवं इन प्राचलों के सन्दर्भ में राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में उत्प्लावकता **सारणी 1.31** में दी गयी है।

सारणी 1.31 : राजकोषीय देयताएं–मूल प्राचल

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	**1,74,248**	**1,87,411**	**2,01,720**	**2,24,785**	**2,43,229**
वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	7.46	7.55	7.64	11.43	8.21
राजकोषीय देयताओं का निम्न से अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	48.73	45.47	41.06	38.20	35.36
राजस्व प्राप्ति (*प्रतिशत*)	253.74	240.79	209.21	202.17	185.86
स्वयं के संसाधन (*प्रतिशत*)	566.20	529.02	424.86	429.91	387.56
राजकोषीय देयताओं की निम्न से उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.519	0.494	0.398	0.578	0.486
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	0.561	0.566	0.320	0.747	0.464
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	1.772	0.500	0.225	1.129	0.410

स्रोतः वित्त लेखे

राज्य सरकार की कुल राजकोषीय देयताएं वर्ष 2007–08 के स्तर ₹ 1,74,248 करोड़ से बढ़कर (40 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 2,43,229 करोड़ हो गयीं। समेकित निधि (₹ 1,57,899 करोड़) के अन्तर्गत राजकोषीय देयताओं में आंतरिक ऋण (₹ 1,40,388 करोड़) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण (₹ 17,511 करोड़) सम्मिलित थे। लोक लेखा देयताओं (₹ 85,330 करोड़) में लघु बचतें, भविष्य निधि (₹ 37,730 करोड़), जमा (₹ 16,016 करोड़) एवं आरक्षित निधि (₹ 31,584 करोड़) सम्मिलित थी। विगत वर्ष के 11.43 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में 8.21 *प्रतिशत* की वृद्धि दर थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं का अनुपात वर्ष 2007–08 में 48.73 *प्रतिशत* के स्तर से घटकर वर्ष 2011–12 में 35.36 *प्रतिशत* हो गया। यह राजकोषीय देयताएं वर्ष 2011–12 के अंत में राजस्व प्राप्तियों से 1.86 गुना तथा राज्य के अपने संसाधनों से 3.88 गुना रहीं। वर्ष की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता 0.486 *प्रतिशत* थी, जो यह प्रदर्शित करती है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रत्येक एक *प्रतिशत* वृद्धि के लिए राजकोषीय देयताएं 0.486 *प्रतिशत* बढ़ी।

वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा अनेक स्रोतों से ₹ 19,336.67 करोड़ का ऋण लिया गया था जिसमें उधार लिए गए ₹ 15,830 करोड़ भी शामिल थे। नगद अवशेषों के आधिक्य के बावजूद राज्य सरकार द्वारा ऋण लिया गया। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को अनुगृहीत करना चाहिये जिसके अनुसार ऐसे राज्य जिनके पास अधिक नगद अवशेष उपलब्ध हैं उन्हे नयी उधारियों का आश्रय लेने के पूर्व उनके उपयोग हेतु प्रयास करना चाहिये।

राज्य सरकार ने खुले बाजार से लिये गये ऋणों के परिशमन से बचने के लिए सिंकिंग फण्ड की स्थापना की है। इस फण्ड में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निधि के निवेशों पर अर्जित ब्याज एवं राजस्व से धनराशि का योगदान किया जाता है। इस सिंकिंग फण्ड में विगत वर्ष के ₹ 24,179.80 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2011–12 के अंत में ₹ 29,809.67 करोड़[15] की धनराशि अवशेष थी।

1.10.3 गारन्टी की स्थिति–आकस्मिक देयताएं

गारन्टी राज्य के समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं, जो उधार लेने वाले, जिनके लिए गारन्टी दी गयी थी, द्वारा उधार की अदायगी न करने पर उपभोग की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार किसी निगम अथवा विधि के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि की गारन्टी नहीं देगी।

फिर भी, राज्य सरकार ने ऐसी कोई विधि या नियम नहीं बनाये थे जो कि राज्य सरकार की संचित निधि के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी की सीमा निर्धारित करती हो। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी आकस्मिक देयताओं, जो कि प्रत्याभूति के भुगतान करने पर उत्पन्न हों, की प्रतिपूर्ति हेतु कोई निधि स्थापित नहीं की गई थी।

फलस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा गारन्टी हेतु लिये गये शुल्कों को निर्दिष्ट निधि में जमा करने के स्थान पर राजस्व प्राप्तियों के मद में जमा किया गया जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारन्टी के उपयोग की परिस्थिति में किया जाना था।

[15] वित्त लेखे 2011–12 के विवरण संख्या 11 के शीर्ष "8222–01–101" में समाधान के अंतर्गत का अंतर ₹ 193.87 करोड़। ₹ 29,809.67 करोड़ में क्रेडिट अवशेष ₹ 6,166.40 करोड़ अविभाज्य उत्तर प्रदेश के सम्मिलित हैं।

राज्य सरकार के वित्त लेखे के **विवरण–9** के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारन्टी की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया गारन्टी **सारणी 1.32** में दी गयी है।

सारणी 1.32: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारन्टी

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियां (गारन्टी)	2009-10	2010-11	2011-12
गारन्टी की अधिकतम राशि	29,311	29,778	29629
अवशेष गारन्टी की राशि (ब्याज सहित)	20,038	20,162	21752
कुल राजस्व प्राप्तियों से गारन्टी की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	30.40	26.78	22.64

स्रोतः वित्त लेखे

गारन्टी की अधिकतम धनराशि वर्ष 2009–10 के ₹ 29,311 करोड़ के स्तर से बढ़कर (एक *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 29,629 करोड़ हो गयी। गारण्टी की अवशेष धनराशियां भी वर्ष 2009–10 के स्तर ₹ 20,038 करोड़ के स्तर से बढ़कर (नौ *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 21,752 करोड़ हो गयी। वर्ष 2009–10 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष दी गयी गारण्टी भी 30.40 *प्रतिशत* के स्तर से घटकर वर्ष 2011–12 में 22.64 *प्रतिशत* हो गयी, यद्यपि वर्ष 2010–11 के सापेक्ष इसमें 4.14 *प्रतिशत* की कमी हुई। 31 मार्च 2012 तक ब्याज सहित गारण्टी की धनराशि राज्य वित्त निगम (₹ 80.14 करोड़), ऊर्जा क्षेत्र के संस्थानों (₹ 17,607.58 करोड़), सहकारी संस्थानों (₹ 2,791.86 करोड़), एवं अन्य संस्थानों (₹ 1,268.48 करोड़) पर बकाया थी।

यह प्रासंगिक होगा कि अवशेष गारण्टी के कारण उत्पन्न हुए दायित्वों को यदि राज्य सरकार के चालू वर्ष के अन्त के राजकोषीय दायित्वों में जोड़ा जाए तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कुल दायित्वों से अनुपात 35 *प्रतिशत* से बढ़कर 39 *प्रतिशत* हो गयी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कम रहीं, विशेषकर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 के लक्ष्य को देखते हुए जिसमें वर्ष 2014–15 तक इसे 42 *प्रतिशत* तक कम किया जाना है।

1.11 ऋण संवहनीयता

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाये जो कि राज्य सरकार की ऋण संवहनीयता का निर्धारण करते हैं। प्रतिवेदन का यह प्रभाग ऋणों में स्थिरता, गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता, उधार ली गई धनराशियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋणों की संवहनीयता का आंकलन करता है।

वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ होने वाले आगामी पाँच वर्षों की अवधि में उपरोक्त सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण संवहनीयता **सारणी 1.33** मे विश्लेषित की गयी है।

सारणी 1.33 : ऋण संवहनीयता–सूचकांक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण संवहनीयता के सूचकांक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार + प्रारम्भिक घाटा)	**4,664**	**8,426**	**17,733**	**23,413**	**23,134**
गैर ऋण प्राप्तियों की प्रचुरता (संसाधन अंतराल)	(-) 4,179	(-) 6,719	1,820	1,445	1,815
उधार ऋण की निवल उपलब्धता	1,272	1,788	2,387	8,915	3,051
ब्याज भुगतान का भार (आई पी/आर आर अनुपात)	16	15	12	13	12

स्रोतः वित्त लेखे

1.11.1 ऋण स्थायित्व

ऋण संवहनीयता के सन्दर्भ में यह एक तथ्य है कि ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में स्थिर रहे। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक होगा जोकि इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि लोकऋणों का स्तर असंवहनीय है। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा धनात्मक है तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात कम होगा जो कि इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लोक ऋण संवहनीय स्तर का है।

वर्ष 2007–12 की अवधि में प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटे का योग धनात्मक रहा जोकि ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्तियों एवं लोक ऋण के संवहनीय स्तर का सूचक है।

1.11.2 वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)

ऋण संवहनीयता का एक अन्य सूचक वृद्धिमान ब्याज देयताओं और वृद्धिमान प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। यदि वृद्धिमान ब्याज देयता तथा वृद्धिमान प्राथमिक व्यय की पूर्ति वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियों से होती है तो ऋण संवहनीयता को सरल किया जा सकता है। धनात्मक संसाधन अन्तराल मध्यम अवधि से दीर्घावधि में राज्य सरकार की ऋणों को रोकने की क्षमता को सुदृढ़ करता है जबकि नकारात्मक संसाधन अन्तराल इसके विपरीत स्थिति का सूचक है। वर्ष 2007–09 की अवधि में नकारात्मक संसाधन अन्तराल इस तथ्य का सूचक है कि राज्य सरकार की मध्यम अवधि एवं दीर्घावधि में ऋणों को रोकने की क्षमता में कमी आयी है, लेकिन वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 की अवधि में इसमें सुधार हुआ है।

1.11.3 लिये गये ऋणों की निवल उपलब्धता

वर्ष 2007–12[16] की अवधि में ब्याज एवं ऋणों के पुनर्भुगतान के पश्चात् आन्तरिक ऋणों एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों से धनराशियों की शुद्ध उपलब्धता 3.38 *प्रतिशत* से 16.14 *प्रतिशत* के मध्य रही। वर्ष 2010–11 की अवधि में राज्य सरकार ने ₹ 6,973 करोड़ के आन्तरिक ऋण, भारत सरकार के

16

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्राप्ति	37,584	49,193	53,485	55,236	49,849
भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	36,312	47,405	51,098	46,321	46,797
उपलब्ध निवल धनराशि	1,272	1,788	2,387	8,915	3,051
उपलब्ध निवल धनराशि (*प्रतिशत* में)	3.38	3.64	4.46	16.14	6.12

₹ 1,315 करोड़ तथा ₹ 15,481 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 23,117 करोड़ के अन्य दायित्वों का ही भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप, उधार धनराशियों की उपलब्धता विगत वर्ष के 16.14 *प्रतिशत* से घटकर वर्तमान वर्ष 2011–12 में 6.12 *प्रतिशत* हो गयी। ऋण विमोचन अनुपात में प्रवृत्तियाँ वर्ष 2007–12 की अवधि में 84 प्रतिशत से 97 *प्रतिशत* के मध्य रही। विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार के ऋण दायित्वों को पूरा करने हेतु उधार ली गयी धनराशियों का लगभग 91 *प्रतिशत* प्रयोग किया गया।

1.11.4 परिपक्वता की रूपरेखा

ऋण स्टाक के 1.63 *प्रतिशत* की परिपक्वता रूपरेखा राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गयी है जबकि राज्य के बकाया ऋणों का 52.93 *प्रतिशत* सात वर्ष अथवा सात वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि से सम्बन्धित है। **सारणी 1.34** में राज्य सरकार के ऋणों की परिपक्वता की रूपरेखा तथा **चार्ट 1.14** में इसका ग्राफ दिया गया है।

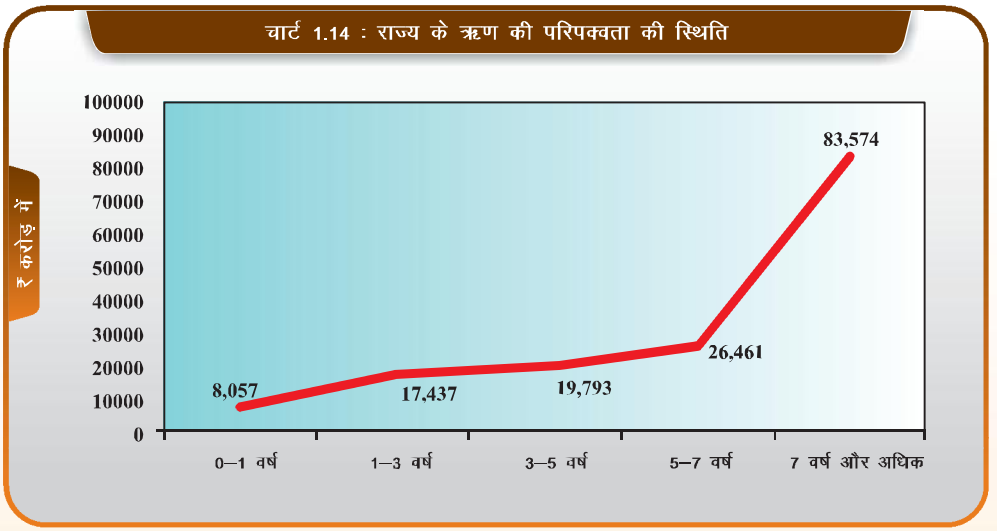
सारणी 1.34: राज्य के ऋणों की परिपक्वता की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता का प्रक्षेप	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम	योग	*प्रतिशत*
0 – 1 वर्ष	6,729	1,328	8,057	5.10
1 – 3 वर्ष	14,744	2,693	17,437	11.04
3 – 5 वर्ष	17,064	2,729	19,793	12.54
5 – 7 वर्ष	23,710	2,751	26,461	16.76
7 वर्ष और अधिक	75,564	8,010	83,574	52.93
सूचना सरकार द्वारा नहीं दी गयी	2,577	0	2,577	1.63
योग	**1,40,388**	**17,511**	**1,57,899**	**100**

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.14 : राज्य के ऋण की परिपक्वता की स्थिति



स्रोत: वित्त लेखे

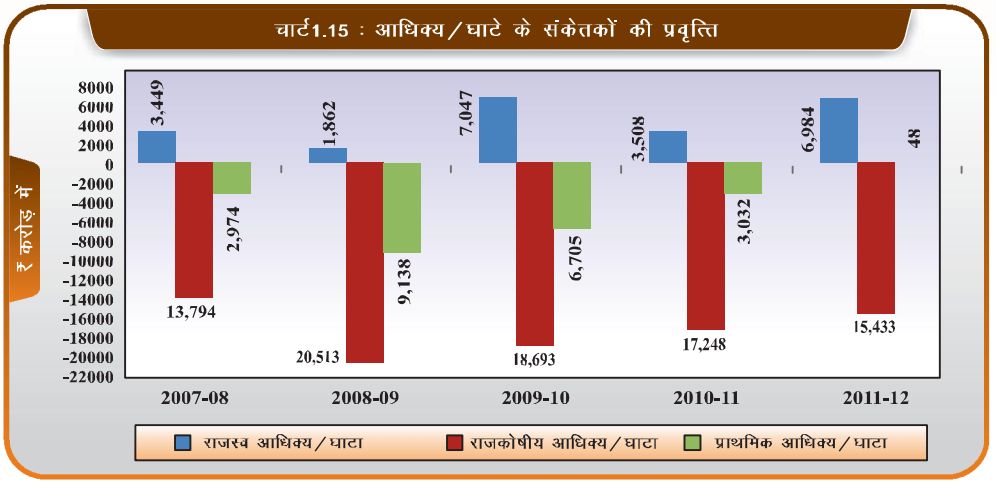
उपरोक्त चार्ट में दिये गये आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष एवं सात वर्षों के उपरान्त ऋणों के पुनर्भुगतान का भार एकत्र हो जायेगा जिससे कि ऋणों के पुनर्भुगतान की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जायेगी। ऋणों के भुगतान के लिए एक सुविचारित नीति के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करना होगा कि इन वर्षों में परिपक्व होने वाले ऋणों के समय किसी अतिरिक्त उधार न लिया जाये।

1.12 राजकोषीय असंतुलन

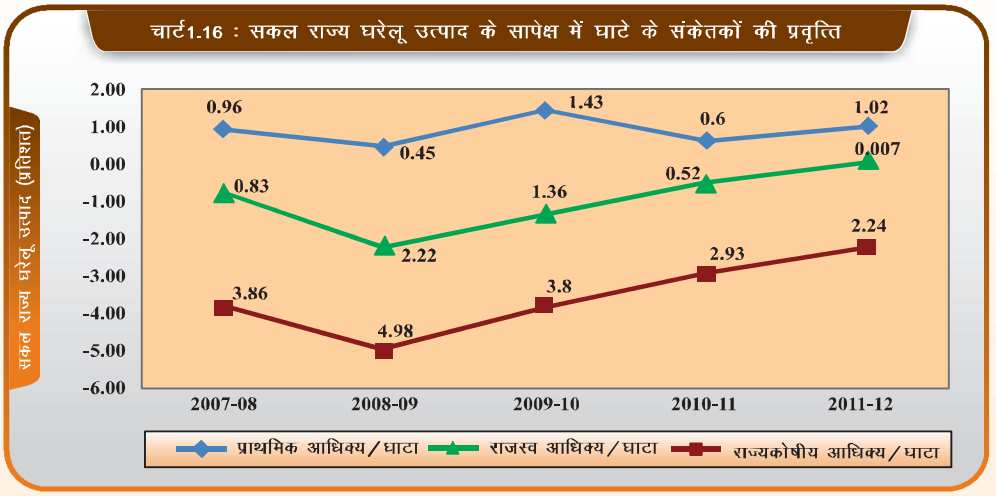
तीन मुख्य प्राचलों–राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा–से राज्य के वित्त में एक निश्चित अवधि में सकल राजकोषीय असंतुलन की सीमा प्रदर्शित होती हैं। राज्य सरकार के लेखों में प्राप्तियाँ और व्ययों में अन्तर घाटे को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति राज्य सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सूचक है। पुनः जिस तरह से घाटे का वित–पोषण किया जाता है तथा जिस तरह से सृजित संसाधनों का उपयोग किया जाता है वह राजकोषीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रतिवेदन का यह प्रभाग इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और वित–पोषण करने के तरीकों को प्रस्तुत करता है एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए निश्चित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों की वास्तविक स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है।

1.12.1 घाटे की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.15 और **1.16** में वर्ष 2007–12 की अवधि में घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।



स्रोतः वित्त लेखे



स्रोतः वित्त लेखे

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए निश्चित किए गये राजकोषीय लक्ष्य में राजस्व घाटे को मार्च 2010 तक शून्य किया जाना था। यह अधिनियम वर्ष 2011 में संशोधित किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2011–12 के अन्त तक राजस्व घाटा शून्य तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 *प्रतिशत* करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करने का लक्ष्य तीन वर्ष पूर्व ही वर्ष 2006–07 में प्राप्त कर लिया था, जब ₹ 4,901 करोड़ का राजस्व घाटा राजस्व आधिक्य में परिवर्तित हो गया। यह आधिक्य वर्ष 2007–08 में कम होकर ₹ 3,449 करोड़ एवं पुनः घटकर वर्ष 2008–09 में ₹ 1,862 करोड़ हो गया। वर्ष 2009–10 में यह बढ़कर ₹ 7,047 करोड़ हो गया परन्तु वर्ष 2010–11 में घटकर ₹ 3,508 करोड़ हो गया। वर्ष 2011–12 में यह बढ़कर ₹ 6,984 करोड हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2011–12 की अवधि में राजस्व आधिक्य में वृद्धि मुख्यतः राजस्व प्राप्तियों में ₹ 19,685 करोड़ की वृद्धि के सापेक्ष राजस्व व्ययों में कम वृद्धि (₹ 16,209 करोड़) होने के कारण हुई।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2010–11 के ₹ 17,248 करोड़ से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ हो गया। इसका मुख्य कारण यह था कि राजस्व और पूँजीगत व्ययों एवं राजस्व और गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धियाँ विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में समानुपातिक थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष की अविध में राजस्व और गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 17 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई (विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष की अवधि में करेतर राजस्व संचयन में नौ *प्रतिशत* की कमी के बावजूद), जबकि राजस्व और पूँजीगत व्ययों दोनों में मात्र 14 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। राजस्व और पूँजीगत व्यय के अंतर्गत ₹ 17,510 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः दोनों के बीच 12:1 के अनुपात में था। अतः पूँजीगत लेखा में कम व्यय के कारण राजकोषीय घाटे में कमी आयी। परिणामस्वरूप, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटा वर्ष 2010–11 में 2.93 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2011–12 में 2.24 *प्रतिशत* हो गया जोकि संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के तीन *प्रतिशत* के मानक से कम था।

विगत वित्तीय वर्ष की अवधि में ₹ 3,032 करोड़ का प्राथमिक घाटा वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्णतः समाप्त हो गया तथा ₹ 48 करोड़ के आधिक्य में परिवर्तित हो गया । यह मुख्यतः विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में राजकोषीय घाटे में ₹ 1,815 करोड़ की कमी तथा ब्याज भुगतान में ₹ 1,265 करोड़ की वृद्धि के फलस्वरूप था।

1.12.2 राजकोषीय घाटे और इसके वित्तीय प्रवृत्ति के घटक

राज्य सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। राजकोषीय घाटा, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) का राजस्व प्राप्तियों एवं गैर–ऋण पूंजी प्राप्तियों पर आधिक्य है। राजकोषीय घाटे के विभिन्न घटकों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का राजस्व प्राप्तियों एवं गैर–ऋण प्राप्तियों पर आधिक्य को पूरा करने हेतु किस सीमा तक ऋण लिया गया था। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति को **सारणी 1.35** में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 1.35: राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय घाटे का विघटन						
राजकोषीय घाटा (1 से 3 तक)		**13,794 (3.86)**	**20,513 (4.98)**	**18,693 (3.80)**	**17,248 (2.93)**	**15,433 (2.24)**
1	राजस्व घाटा/आधिक्य (–)	(-) 3,449	(-) 1,862	(-) 7,047	(-)3,508	(-) 6,984
2	निबल पूंजीगत व्यय	16,950	22,346	25,091	20,273	21,574
3	निबल ऋण एवं अग्रिम	293	29	649	483	843
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति*						
1	बाजार उधारी	2,628	10,296	11,421	10,074	12,834
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 821	(-) 778	(-) 917	(-)937	(-) 999
3	एन. एस. एस. एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	1,423	426	3,899	5,415	395
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,068	628	418	(-)541	(-) 865
5	लघु बचते, भविष्य निधि इत्यादि	2,451	2,944	3,870	4,871	3,630
6	निक्षेप एवं अग्रिम	2,683	(-) 2,525	93	1,843	(-) 2,038
7	उचन्त एव विविध	654	973	(-) 1,365	757	608
8	प्रेषण	273	78	3	367	(-) 209
9	अन्य (जैसे आकस्मिक निधि के अंतर्गत लेन–देन, आरक्षित निधि, नकद अवशेष निवेश)	3,435	8,471	1,271	(-)4,601	2,077
	योग	**13,794**	**20,513**	**18,693**	**17,248**	**15,433**

कोष्ठक में दी गयी संख्या सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत* है

*ये सभी आंकड़े वर्ष के अंतर्गत वितरण/व्यय का निबल हैं

स्रोतः वित्त लेखे

राज्य सरकार का वर्ष 2007–12 की अवधि में राजकोषीय घाटा ₹13,794 करोड़ (2007–08) और ₹ 20,513 करोड़ (2008–09) के मध्य था। राजकोषीय घाटा विगत वर्ष के ₹ 17,248 करोड़ से घटकर (11 *प्रतिशत)* वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ हो गया।

विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2011–12 में राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति में रचनात्मक बदलाव पाया गया। बाजार ऋणों, केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां और निक्षेप एवं अग्रिमों इत्यादि की भूमिका में वर्तमान वर्ष में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

राज्य सरकार के 2007–12 की अवधि में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण मुख्यतः बाजार से ऋण लेकर किया जाता रहा है। वर्ष 2007–08 की अवधि में घाटे का 19 *प्रतिशत* बाजार से ऋण लेकर पूरा किया गया जोकि वर्ष 2011–12 की अवधि में बढ़कर 83 *प्रतिशत* हो गया। घाटे के वित्तपोषण का एक अन्य प्रमुख स्रोत राष्ट्रीय अल्प बचत कोष से ऋण लेना था। वर्ष 2011–12 की अवधि में घाटे के वित्तपोषण में इसका भाग 24 *प्रतिशत* रहा जोकि वर्ष 2007–08 में यह 18 *प्रतिशत* तक था।

1.12.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में अपघटन एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार की राशियों का उपयोग चालू व्ययों को पूरा करने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के अनुपात का लगातार उच्च स्तर पर बने रहना यह इंगित करता है कि राज्य

की परिसम्पत्तियों का आधार लगातार कम हो रहा है एवं कुछ सीमा तक ऋण (राजकोषीय देयताओं) राज्य की परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है। प्राथमिक घाटे (**सारणी 1.36**) में द्विशाखन उस सीमा की ओर इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्राथमिक घाटा हुआ। पूंजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

सारणी 1.36: प्राथमिक घाटा/आधिक्य–घटकों का द्विशाखन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर–ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (–)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2007-08	69,121	54,403	16,950	742	72,095	(+) 14,718	(-) 2,974
2008-09	78,609	64,594	22,346	807	87,747	(+) 14,015	(-) 9,138
2009-10	96,714	77,386	25,091	942	1,03,419	(+) 19,328	(-) 6,705
2010-11	1,11,669	93,460	20,273	968	1,14,701	(+)18,209	(-)3,032
2011-12	1,31,002	1,08,404	21,574	976	1,30,954	(+) 22,598	(+) 48

स्रोतः वित्त लेखे

- वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में, गैर–ऋण प्राप्तियाँ ₹ 69,121 करोड़ के स्तर से बढ़कर (90 *प्रतिशत*) ₹ 1,31,002 करोड़ तक हो गयी।

- राज्य सरकार का वर्ष 2007–08 से 2010–11 की अवधि में प्राथमिक घाटा ₹ 3,032 करोड़ से ₹ 9,138 करोड़ के मध्य रहा क्योंकि गैर–ऋण प्राप्तियाँ पूंजीगत व्यय की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थीं, वर्ष 2011–12 में प्राथमिक घाटा समाप्त होकर प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हो गया, जोकि प्राथमिक व्ययों को पूरा करने हेतु गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता के कारण हुआ।

1.13 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

राज्य का निष्पादनः वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंत में राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य था, साथ ही राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से कम तथा कुल देयताएँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 46.9 *प्रतिशत* से कम बनाये रखा, जैसाकि वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, 2004 और द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2011 में निहित है।

पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आकड़ेः वर्ष 2011–12 में पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आकड़े में व्यापक भिन्नता थी। यद्यपि, राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय पुनरीक्षित अनुमान से कम थे, जबकि ब्याज भुगतान और ऋण की सेवाएँ पुनरीक्षित अनुमान से अधिक थी। यह वांछित राजकोषीय लक्ष्यों का प्राप्त न होना दर्शाता है।

संस्तुति

राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित अनुमानों एवं वास्तविक व्ययों में व्यापक भिन्नता को कम करने के लिए राजकोषीय प्रबन्धन से सम्बन्धित पर्याप्त उपाय शुरू करना तथा उसका अनवरत अनुश्रवण किया जाना चाहिये।

राजस्व प्राप्तियाँ: विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011–12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यतः कर राजस्व में 28 प्रतिशत तथा केन्द्रीय करों में राज्य के अंश में 16 *प्रतिशत* की वृद्धियों के फलस्वरूप थी। ₹ 1,30,869 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ पुनरीक्षित अनुमान (₹1,37,622 करोड़) से कम थी। कर राजस्व जोकि राजस्व प्राप्तियों का मुख्य घटक है, पुनरीक्षित अनुमान द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ₹ 1,747 करोड़ कम था, जबकि यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये अनुमानों से ₹ 10,802 करोड़ अधिक था। इसी प्रकार करेत्तर राजस्व भी पुनरीक्षित अनुमान द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ₹ 3,415 करोड़ कम था और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक अनुमान से ₹ 1,661 करोड़ अधिक था।

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर हस्तान्तरित की गयी धनराशियों की निगरानी: भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को पर्याप्त धनराशियाँ सीधे तौर पर हस्तांतरित की जाती है हालांकि, राज्य सरकार के पास नियमित आधार पर अनुश्रवण एवं सीधे तौर पर हस्तान्तरित की गयी धनराशियों के उपयोग हेतु कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है।

संस्तुति

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर हस्तांतरित की गयी धनराशियों के उचित लेखांकन, नियमित अद्यतनीकरण एवं अधिप्रमाणन को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली होनी चाहिये।

राजस्व व्यय: राजस्व व्यय वर्ष 2011–12 की अवधि में वर्ष 2010–11 की तुलना में 15 *प्रतिशत* बढ़ गया। राजस्व व्यय के अतंर्गत विगत वर्ष की तुलना में आयोजनागत व्यय में सात *प्रतिशत* की तथा आयोजनेत्तर मद में 17*प्रतिशत* की वृद्धि हुई। आयोजनागत व्यय के अंतर्गत वृद्धि से राज्य के अवसंरचना तथा सेवाओं में विकास को प्रदर्शित करता है। कुल व्यय में विगत पाँच वर्ष (2007–12) में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ देखी गयी। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 63 *प्रतिशत* पेंशन, ब्याज अदायगियों तथा सब्सिडी पर वचनबद्ध व्यय के रूप में था।

संस्तुति

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण जोकि अनुत्पादक व्यय से बचने पर आधारित हो, शुरू किया जाना चाहिये। साथ ही, टिकाऊ एवं लाभप्रद सेवाओं की सुपुर्दगी भी सुनिश्चित करनी चाहिये।

विद्युत हानि: राज्य में विद्युत हानियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाएँ गये है जैसे निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए दोहरे मीटर प्रणाली अपनाया जाना, अत्यधिक विद्युत चोरी वाले स्थानों आदि पर नेकेड कन्डक्टरों के स्थान पर एरियल बंच कन्डक्टरों का लगाया जाना तथा फीडर सेपरेशन योजना लागू किया जाना, इत्यादि।

संस्तुति

राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में विद्युत हानियों से संबंधित समस्याओं पर उचित रुप से विचार करना चाहिये।

सरकारी निवेश पर प्रतिफल: सांविधिक, निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों और सहकारी समितियों में सरकार के निवेशों पर पिछले तीन वर्षों में औसत प्रतिफल की प्राप्ति 0.06 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि में उधारियों पर राज्य सरकार द्वारा भुगतान अदा किया गया औसत ब्याज 6.48 प्रतिशत था।

संस्तुति

राज्य सरकार द्वारा अपने स्वामित्व वाले हानियाँ उठा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के काम की समीक्षा की जानी चाहिये।

सिंचाई निर्माण कार्यों की लागत वसूली: सिंचाई परियोजनाएँ वर्ष 2011–12 की अवधि में 'चालू एवं अनुरक्षण' में हुए व्यय का मात्र छः प्रतिशत ही वसूल कर सकी जबकि तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार परियोजनाओं को 35 प्रतिशत वसूल करना था।

संस्तुति

वर्ष 2011–12 की अवधि में कम वसूली के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपाय करने चाहिये।

अपूर्ण परियोजनाएँ: लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या अत्यधिक थी क्योंकि वर्ष 2011–12 में 183 परियोजनाएँ अपूर्ण थीं जिसके परिणामस्वरूप उनके लागत में वृद्धि होने के अतिरिक्त योजनाओं के लाभार्थी भी योजना की सुविधाओं से वंचित रहे।

संस्तुति

अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकताएँ निश्चित की जानी चाहिये।

ऋण संवहनीयता: ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2007–08 के 49 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2011–12 के अंत में 35 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2009–10 से नकारात्मक संसाधन अंतराल राज्य की ऋण संवहनीयता की ओर इंगित करते हैं। विगत तीन वर्षो में लिये गये ऋणों का लगभग 91 *प्रतिशत* ऋण देयताओं के निर्वहन के भुगतान में प्रयोग किया गया था।

संस्तुति

सरकार द्वारा एक सिंकिंग फण्ड बनाया गया है, लेकिन इस फण्ड का अवशेष ऋणों के परिशोधन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। अतः राज्य सरकार को एक साथ ऋणों के पुनर्भुगतानों से बचने हेतु एक सोची–समझी रणनीति सुनिश्चित करनी चाहिए।

नगद शेष: वर्ष 2011–12 के अंत में राज्य सरकार के पास ₹ 13,447 करोड़ का पर्याप्त नगद शेष था।

संस्तुति

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा नयी उधारियों का आश्रय लेने के पूर्व आधिक्य नगद शेष के उपयोग हेतु प्रभावी योजना बनायी जानी चाहिये।

अध्याय II

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किये गये दत्तमत एवं भारित व्ययों का लेखा–जोखा है, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न की गयी सूचियों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु निर्धारित अनुदानों एवं विनियोगों से की जाती है। इन लेखों में विनियोग लेखे द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत मदों की धनराशियों के सापेक्ष मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोगों की धनराशियों का विवरण दिया जाता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे एक नियन्त्रण अभिलेख है जोकि वित्त प्रबंधन एवं बजट के प्रावधानों के अनुश्रवण को सुसाध्य बनाते हैं। इसलिए यह वित्त लेखे के पूरक भी है।

2.1.2 भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत थी एवं संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत भारित थी। लेखापरीक्षा में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विधि सम्बन्धित नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

2.2 विनियोग लेखों का संक्षिप्त विवरण

वर्ष 2011–12 की अवधि में 91 अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **सारणी 2.1** में सारांशीकृत की गयी है।

सारणी 2.1: वास्तविक/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय का स्वरूप		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) / बचत (–)
दत्तमत	I राजस्व	1,02,236.19	6,592.32	1,08,828.51	1,00,258.00	(-) 8,570.51
	II पूंजीगत	34,389.77	3,631.42	38,021.19	32,475.23	(-) 5,545.96
	III ऋण तथा अग्रिम	923.30	556.86	1,480.16	975.57	(-) 504.59
योग दत्तमत		**137549.26**	**10,780.60**	**1,48,329.86**	**1,33,708.80**	**(-)14,621.06**
भारित	IV राजस्व	24,004.76	57.71	24,062.47	24,328.22	(+)265.75
	V पूंजीगत	135.21	0	135.21	94.66	(-) 40.55
	VI लोक ऋण–पुनर्भुगतान	18,356.25	41.63	18,397.88	8,287.61	(-) 10,110.27
योग भारित		**42,496.22**	**99.34**	**42,595.56**	**32,710.49**	**(-) 9,885.07**
कुल योग		**1,80,045.48**	**10,879.94**	**1,90,925.42**	**1,66,419.29**	**(-) 24,506.13**

नोटः वास्तविक व्यय के आंकड़े जिसमें दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 701.05 करोड़), दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹ 10,961.30 करोड़) एवं पूंजीगत भारित व्यय (₹ 34.63 करोड़) के अन्तर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

स्रोतः विनियोग लेखे

राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 120 प्रकरणों तथा ऋण सहित (लोक ऋण पुनर्भुगतान) पूंजीगत मद के अर्न्तगत 68 प्रकरणों में ₹ 26,546.00 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 24,506.13 करोड़ की कुल बचत थी जो राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 11 प्रकरणों तथा पूंजीगत मद के छः प्रकरणों में ₹ 2,039.88 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

बचत/आधिक्य के ब्यौरे (विस्तृत विनियोग लेखा) नियंत्रण अधिकारियों को (अगस्त 2012) महत्वपूर्ण विचलनों की व्याख्या हेतु भेजे गये थे। विचलनों की व्याख्या अभी तक (नवम्बर 2012) अप्राप्त थी।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

2.3.1 आवंटनीय प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 119 प्रकरणों में प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधानों के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी (***परिशिष्ट 2.1***)। ₹ 26,546.00 करोड़ की कुल बचत के सापेक्ष 34 अनुदानों एवं विनियोगों से सम्बंधित 50 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक) में ₹ 25,628.30 करोड़ (96.5 *प्रतिशत*) की बचत पायी गयी जिनका विवरण **सारणी 2.2** में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 2.2: ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल अनुदान	अनुपूरक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व –दत्तमत							
1.	2	आवास विभाग	159.54	0.00	159.54	103.37	56.16
2.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	233.00	0.00	233.00	31.23	201.77
3.	11	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	2,486.58	300.50	2,787.08	2,020.72	766.36
4.	12	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	447.97	0.00	447.97	213.50	234.47
5.	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,918.56	279.31	2,197.87	2,063.56	134.32
6.	14	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज)	2,390.20	342.24	2,732.44	2,520.81	211.63
7.	26	गृह विभाग (पुलिस)	6,989.53	340.90	7,330.43	7275.69	54.74
8.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2,551.85	0.00	2,551.85	2,406.15	145.70
9.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	397.66	0.47	398.13	345.53	52.60
10.	37	नगर विकास विभाग	1,112.10	3.91	1,116.01	490.50	625.51
11.	40	नियोजन विभाग	486.10	1.24	487.34	121.88	365.46
12.	42	न्याय विभाग	1,147.73	76.00	1,223.73	1,051.37	172.36
13.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	3,520.40	495.77	4,016.17	3,380.07	636.10
14.	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	839.59	1,305.42	2,145.01	1,747.63	397.38
15.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् एवं अन्य व्यय)	1,659.15	51.37	1,710.52	1,640.62	69.90
16.	54	लोक निर्माण विभाग(स्थापना)	1,219.35	0.00	1,219.35	980.81	238.54

17.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	5,817.10	0.00	5,817.10	5,757.37	59.73
18.	**71**	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	18,881.00	797.40	19,678.40	18,790.40	888.00
19.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक)	6,621.01	618.70	7,239.71	6,656.84	582.87
20.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,074.17	41.03	2,115.20	1,369.44	745.76
21.	**76**	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	179.13	358.88	538.01	181.19	356.82
22.	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	434.33	0.00	434.33	356.79	77.54
23.	**80**	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण)	3,394.05	61.76	3,455.81	3,325.75	130.06
24.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)	163.03	577.77	6,740.80	5,948.34	792.46
25.	**86**	सूचना विभाग	144.81	0.00	144.81	83.67	61.14
26.	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,095.85	0.00	2,095.85	1,591.50	504.35
		योग	**73,363.79**	**5,652.67**	**79,016.46**	**70,454.73**	**8,561.73**
		राजस्व - भारित					
27.	**42**	न्याय विभाग	187.94	50.00	237.94	172.21	65.73
		योग	**187.94**	**50.00**	**237.94**	**172.21**	**65.73**
		पूंजीगत - दत्तमत					
28.	**2**	आवास विभाग	1,072.64	66.00	1,138.64	943.61	195.03
29.	**7**	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	154.30	1.82	156.12	105.21	50.91
30.	**9**	ऊर्जा विभाग	4,149.00	0.00	4,149.00	4,034.36	114.64
31.	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	687.71	62.10	749.81	648.95	100.86
32.	**13**	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,313.99	150.00	1,463.99	1272.16	191.83
33.	**21**	खाद्य एवं रसद विभाग	8,770.58	3.76	8,774.34	6,962.55	1,811.79
34.	**25**	गृह विभाग(कारागार)	390.10	2.50	392.60	204.50	188.10
35.	**26**	गृह विभाग(पुलिस)	604.21	270.35	874.56	386.20	488.36
36.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	491.57	0.00	491.57	344.43	147.14
37.	**37**	नगर विकास विभाग	1,682.00	610.00	2,292.00	2,030.24	261.76
38.	**40**	नियोजन विभाग	1,050.56	356.86	1,407.42	747.90	659.52
39.	**42**	न्याय विभाग	210.78	50.00	260.78	182.35	78.43
40.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	180.69	22.26	202.95	149.47	53.48

41.	**48**	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	524.81	0.00	524.81	151.45	373.36
42.	**56**	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	220.00	0.00	220.00	108.68	111.32
43.	**57**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	1262.42	156.91	1,419.33	1109.09	310.24
44.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	519.00	0.00	519.00	117.22	401.78
45.	**62**	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	150.00	0.00	150.00	75.17	74.83
46.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	119.80	42.02	161.82	33.96	127.86
47.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)	3559.19	1313.00	4,872.19	4456.73	415.46
48.	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3306.65	11.32	3,317.97	2583.11	734.86
		योग	**30420.00**	**3118.90**	**33,538.90**	**26647.34**	**6891.56**
		पूंजीगत –भारित					
49.	**21**	खाद्य एवं रसद विभाग	1200.04	0.00	1,200.04	1090.00	110.04
50.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	17209.86	0.00	17,209.86	7210.61	9,999.25
		योग	**18409.90**	**0.00**	**18,409.90**	**8300.61**	**10,109.29**
		महायोग	**122381.63**	**8821.57**	**131,203.20**	**105574.90**	**25,628.30**

स्रोत : विनियोग लेखे

सारणी यह दर्शाता है कि ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें राजस्व दत्तमत के अंतर्गत अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि), 37–नगर विकास विभाग, 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग, 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना), 94–सिंचाई विभाग (निर्माण) में हुई जो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि के पाँच प्रतिशत से 56 प्रतिशत के मध्य थी। ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें पूँजीगत दत्तमत मद के अंतर्गत अनुदान संख्या 21–खाद्य एवं रसद विभाग, 40–नियोजन विभाग एवं 94–सिंचाई विभाग (निर्माण) में भी रही जो कि सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि के 21 *प्रतिशत* से 47 *प्रतिशत* के मध्य थी।

2.3.2 अनवरत बचत

सात अनुदानों के अंतर्गत आठ प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत यह दर्शाती है कि बजट का आँकलन वास्तविक नहीं था। इसका विवरण **सारणी 2.3** में दिया गया है।

सारणी 2.3: अनवरत बचत वाले अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत की धनराशि				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	राजस्व–दत्तमत					
1.	**37-**नगर विकास विभाग	1,212.43	300.97	54.47	711.79	625.51
2.	**40-**नियोजन विभाग	11.43	32.71	44.66	183.71	365.46
3.	**49-** महिला एवं बाल कल्याण विभाग	116.12	138.16	218.28	180.62	636.10
4.	**73-**शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	806.72	164.51	93.50	571.89	745.76
	पूंजीगत–दत्तमत					
5.	**9-**ऊर्जा विभाग	1,548.62	2,176.69	1,870.59	631.48	114.64
6.	**26-**गृह विभाग(पुलिस)	46.18	69.62	145.34	356.13	488.36
7.	**61-**वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	149.72	21.69	274.13	153.04	401.78
	पूंजीगत– भारित					
8.	**61-**वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	9,704.02	10,001.56	9,219.96	9,288.06	9,999.25

स्रोतः विनियोग लेखे

2.3.3 व्ययाधिक्य

सात प्रकरणों में ₹ 41,288.28 करोड़ के व्यय की धनराशि अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 2,025.09 करोड़ अधिक थी जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक का व्यय था। इसका विवरण ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है। **सारणी 2.4** के विवरणानुसार निम्नलिखित अनुदानों मे लगातार पाँच वर्षों से 2011-12 के अंत तक व्ययाधिक्य पाया गया।

सारणी 2.4: अनवरत अधिक व्यय से सम्बन्धित अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की धनराशि				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	राजस्व–दत्तमत					
1	**58-** लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	24.32	58.62	132.39	121.37	106.77
	पूंजीगत–दत्तमत					
2	**55-** लोक निर्माण विभाग (भवन)	644.60	769.50	362.12	144.20	54.55
3	**58-** लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	1427.82	1697.88	1,140.84	1152.14	1068.66

स्रोतः विनियोग लेखे

2.3.4 विगत वर्षों के प्रावधान से अधिक हुए व्ययों का विनियमितीकरण

भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह दिये गये अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय को राज्य विधान मंडल से नियमित कराये। फिर भी,वर्ष 2005–06 से वर्ष 2010-11 की अवधि के व्ययाधिक्य ₹ 13,474.10 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना शेष था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है। अनुदानों/विनियोगों के वर्षवार व्ययाधिक्य, जो विनियमितीकरण हेतु लंबित थे, **सारणी 2.5** में सारांशीकृत है।

सारणी 2.5: विगत वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमितीकरण

वर्ष	संख्या		प्रावधान से अधिक व्यय की धनराशि (₹ करोड़ में)
	अनुदान	विनियोग	
2005-06	25	4	1,026.78
2006-07	18	6	2,484.47
2007-08	12	2	3,610.65
2008-09	5	1	3,399.42
2009-10	6	6	1,250.16
2010-11	6	4	1702.62
योग	**72**	**23**	**13,474.10**

स्रोतः विनियोग लेखे

2.3.5 वर्ष 2011–12 में प्रावधान से अधिक हुए व्ययों का विनियमितीकरण

वर्ष 2011–12 की अवधि में अनुदानों/विनियोगों के नौ प्रकरणों में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत धनराशि से अधिक किया गया कुल व्ययाधिक्य ₹ 1,890 करोड़ का सार **सारणी 2.6** में दिया गया है, जिनका संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमितीकरण अपेक्षित है।

सारणी 2.6: वर्ष 2010–11 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय का आवश्यक विनियमितीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य	अपेक्षित विनियमितीकरण
	(अ) राजस्व –दत्तमत				
1	21- खाद्य एवं रसद विभाग	41.98	43.40	1.43	1.19
2	62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	10,634.41	11,089.87	455.46	455.28
3	91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	140.42	149.66	9.24	9.22
	योग (अ)	**10,816.81**	**11,282.93**	**466.13**	**465.69**
	(ब) पूंजीगत –दत्तमत				
4	1-आबकारी विभाग	1.41	1.88	0.47	0.47
5	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	50.92	105.47	54.55	51.55
6	58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	3,393.38	4,462.04	1,068.66	1,034.98
	योग (ब)	**3,445.71**	**4,569.39**	**1,123.68**	**1,087**
	(स) राजस्व –भारित				
7	13- कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.13	0.14	0.01	0.01
8	18-कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (साहकारिता)	3.927	3.929	0.002	0.002
9	23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.015	0.050	0.035	0.035
10	61- वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय)	23,462.69	23,790.98	328.29	325.22
11	62- वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	16.51	28.15	11.64	11.63
12	82-सतर्कता विभाग	2.93	3.00	0.07	0.07
	योग(स)	**23,486.202**	**23,826.249**	**340.047**	**336.967**
	महायोग(अ)+(ब)+(स)	**37,748.722**	**39,678.569**	**1,929.857**	**1,889.657**

स्रोतः विनियोग लेखे

2.3.6 अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 45 प्रकरणों में ₹ 3,744.49 करोड़ का पूरक अनुदान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) प्राप्त किया गया जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी। विवरण ***परिशिष्ट 2.4*** में दिया गया है। दो प्रकरणों में ₹ 577.89 करोड़ का पूरक अनुदान जो कि प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ से अधिक था, अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके कारण ₹ 1,077.90 करोड़ व्यय अनाच्छादित रहा, अधिक था ***(परिशिष्ट 2.5)***।

2.3.7 अधिक/अनावश्यक निधियों का पुनर्विनियोग

किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई (जहाँ पर बचत पूर्वानुमानित हो) से दूसरी इकाई (जहाँ अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो) में हस्तान्तरण की प्रक्रिया पुनर्विनियोग है। अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग या तो अधिक और या अपर्याप्त सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप, कुछ प्रकरणों में ₹ 465.42 करोड़ की बचत तथा अन्य में ₹ 781.89 करोड़ का आधिक्य हुआ जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** में दिया गया है।

2.3.8 अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण

योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वित न होने या धीमी गति से होने के कारण 132 उपशीर्षों से संबंधित अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 *प्रतिशत* या अधिक) करना पड़ा। 132 योजनाओं में कुल प्रावधानित ₹ 12,959.19 करोड़ में से ₹ 12,457.95 करोड़ (96 *प्रतिशत*) की धनराशि अभ्यर्पित की गई। इनमें से 55 योजनाओं हेतु प्रावधानित ₹ 10,841.14 करोड़ का शत–प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित है। इस प्रकार के प्रकरणों का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 2.7*** में दिया गया है जोकि यह दर्शाता है कि बजट हेतु समुचित तैयारियाँ नहीं की गयी थी।

2.3.9 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

सात प्रकरणों में वास्तविक बचत से अधिक की धनराशि (प्रत्येक प्रकरण मे ₹ 50 लाख या अधिक) अभ्यर्पित की गयी थी। इन प्रकरणों में ₹ 1,041.03 करोड़ अभ्यर्पित किया गया जो बचत से ₹ 464.10 करोड़ अधिक था। इसका विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में दिया गया है।

2.3.10 अभ्यर्पित न की गई पूर्वानुमानित बचतें

बजट मैनुअल के अनुसार व्यय करने वाले विभागों को ऐसे अनुदान/विनियोग या उनके अंश को, जैसे ही बचत प्रत्याशित हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। फिर भी, वर्ष 2011–12 के अन्त में 61 अनुदानों/विनियोगों के प्रकरणों में बचत होने के बाद भी उसका कोई भाग सम्बन्धित विभागों द्वारा वित्त विभाग को अभ्यर्पित नही किया गया था। इन प्रकरणों में ₹ 6,242.11 करोड़ की धनराशि निहित थीं जो कुल बचतों का 24 *प्रतिशत* था (***परिशिष्ट 2.9***)।

इसी प्रकार, 86 प्रकरणों (₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत वाले) में कुल बचत की धनराशि ₹ 14,447.78 करोड़ में से ₹ 10,132.55 करोड़ (73 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं की गयी, जो कुल बचत (₹ 26,546 करोड़) का 38 *प्रतिशत* थी जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.10*** में दिया गया है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप निधियाँ अवरूद्ध रही तथा इनका उपयोग अन्य विकास कार्यों हेतु नहीं किया जा सका।

2.3.11 व्यय का बाहुल्य

बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(ई) के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के माह में व्यय के बाहुल्य से बचना चाहिये। मुख्य शीर्षों, जिनमें वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में 50 *प्रतिशत* एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह की अवधि में 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय किया गया था, **सारणी 2.7** में दर्शाये गये हैं। यह इस तथ्य का द्योतक है कि व्यय पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

सारणी 2.7: व्यय का बाहुल्य

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष 2011-12के अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2012 के दौरान व्यय	
		धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल व्यय का *प्रतिशत*	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल व्यय का *प्रतिशत*
2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	940.89	625.00	66	563.05	60
2048-ऋण घटाने या परिहार करने हेतु विनियोजन	8,626.61	8,626.61	100	8,626.61	100
2425-सहकारिता	466.60	308.85	66	229.00	74
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	378.82	227.25	60	217.10	57

स्रोतः वी0 एल0 सी0 डाटा

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

विधान सभा में समस्त अनुदानों की माँगों पर मतदान पूर्ण होने के पश्चात् राज्य की समेकित निधि से (क) विधान सभा द्वारा पारित अनुदानों की माँगों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के विनियोग हेतु विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् विधेयक पर राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त की जाती है जिसके उपरान्त अधिनियम एवं संलग्न अनुसूचियों में दर्शायी गयी धनराशियाँ विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि होती है।

विनियोग अधिनियम, 2011 के कुल 91 अनुदानों में से चार अनुदानों नामितः अनुदान संख्या 16–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) और अनुदान संख्या 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) की माह सितम्बर 2012 में समीक्षा की गयी थी। अनुदानों के बजट प्राविधानों, व्ययों तथा बचतों का विवरण **सारणी 2.8** में सारांशीकृत हैः–

सारिणी 2.8 चार समीक्षित अनुदानों का सारांश

(₹ हजार में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत	लेखाशीर्ष
अनुदान संख्या 16–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)					
राजस्व –दत्तमत					
मूल प्रावधान	41,31,10	41,31,10	39,54,61	1,76,49	एम.एच. 2404
राजस्व भारित					
मूल प्रावधान	10	10	शून्य	10	एम.एच. 2404
योग	**41,31,20**	**41,31,20**	**39,54,61**	**1,76,59**	
अनुदान संख्या 49 –महिला एवं बाल कल्याण विभाग					
राजस्व दत्तमत					
मूल प्रावधान	35,20,40,27	40,16,17,57	33,80,06,69	6,36,10,88	एम.एच.2235
अनुपूरक	4,95,77,30				

राजस्व भारित					
मूल प्रावधान	10	10	शून्य	10	एम.एच.2235
पूंजीगत दत्तमत					
मूल प्रावधान	3,00,00	3,00,00	75,41	2,24,59	एम.एच. 4235
योग	**40,19,17,67**	**40,19,17,67**	**33,80,82,10**	**6,38,35,57**	
अभ्यर्पित धनराशि:			**राजस्व दत्तमत**	5,47,18,13	
अनुदान संख्या 71 – शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)					
राजस्व दत्तमत					
मूल प्रावधान	1,88,80,99,84	1,96,78,39,78	1,87,90,40,00	8,87,99,78	एम.एच. 2071,2202 एवं 2204
अनुपूरक	7,97,39,94				
योग	**1,96,78,39,78**	**1,96,78,39,78**	**1,87,90,40,00**	**8,87,99,78**	
अभ्यर्पित धनराशि:			**राजस्व दत्तमत**	7,17,85,10	
अनुदान संख्या 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)					
राजस्व दत्तमत					
मूल प्रावधान	61,63,02,69	67,40,79,69	59,48,34,06	7,92,45,63	2070, 2202, 2203, 2210, 2215, 2217, 2225, 2230, 2235, 2401, 2403, 2404, 2405, 2425, 2501, 2505, 2506,2515, 2702,2810 & 2851
अनुपूरक	5,77,77,00				
पूंजीगत दत्तमत					
मूल प्रावधान	35,59,18,82	48,72,18,88	44,56,73,19	4,15,45,69	4202, 4210, 4215, 4216, 4217, 4225, 4250, 4406, 4515, 4575, 4702, 4801, 5054, 6225 & 6425
अनुपूरक	13,13,00,06				
योग	1,16,12,98,57	1,16,12,98,57	1,04,05,07,25	12,07,91,32	
अभ्यर्पित धनराशि:			**राजस्व दत्तमत** **पूंजीगत दत्तमत**	7,76,27,54 3,63,35,25	
महायोग अनुदान सं0 16, 49,71,83					
राजस्व दत्तमत					
मूल प्रावधान	2,86,05,73,90	3,04,76,68,14	2,81,58,35,36	23,18,32,78	
अनुपूरक	18,70,94,24				
राजस्व भारित					
मूल प्रावधान	20	20	-	20	
अनुपूरक	-				
पूंजीगत दत्तमत					
मूल प्रावधान	35,62,18,82	48,75,18,88	44,57,48,60	4,17,70,28	
अनुपूरक	13,13,00,06				
महायोग मूल प्रावधान	**3,21,67,92,92**	**3,53,51,87,22**	**3,26,15,83,96**	**27,36,03,26**	
अनुपूरक	**31,83,94,30**				
अभ्यर्पित धनराशि:			**राजस्व दत्तमत** **पूंजीगत दत्तमत**	20,41,30,77 3,63,35,25	

स्रोतः विनियोग लेखे

सारणी में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार कुल बचतें ₹ 2,736.03 करोड़ में से मात्र ₹ 2,404.66 करोड़ (12 *प्रतिशत*) का ही अनुमान समर्पण हेतु किया गया तथा अवशेष ₹ 331.37 करोड़ व्यपगत हो गया। निम्नलिखित बिन्दु भी संज्ञान में आये:

- दुग्धशाला विकास योजनाओं के लिए अनुदान संख्या–16 के अंतर्गत ₹ 24.00 करोड़ का बजट प्रावधानित था जबकि भारत सरकार द्वारा ₹ 1.70 करोड़ स्वीकृत न किये जाने तथा ₹ 4.00 लाख नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरित न किये जाने के कारण कुल ₹ 1.74 करोड़ की बचत हुई । बचत वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस पर ही समर्पित की गयी।

- इसी प्रकार, अनुदान संख्या–49 के अंतर्गत विभागीय संस्थाओं/गृहों के निर्माण हेतु ₹ 3.00 करोड़ प्रावधानित किये गये थे जबकि राज्य सरकार द्वारा निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृत न किये जाने के कारण ₹ 2.25 करोड़ की बचत हुई । बचतों को वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस पर समर्पित किया गया था। उसी प्रकार महिला आश्रय सदन की स्थापना हेतु ₹ 1.70 करोड़ का प्रावधान किया गया था। फिर भी, अनुपूरक अनुदान में अधिक प्रावधान के कारण ₹ 1.32 करोड़ की बचत हुई। ₹ 15.00 लाख की मांग के सापेक्ष ₹ 1.48 करोड़ अनुपूरक अनुदान में प्रावधानित किया गया था। बचत वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस पर ही समर्पित की गयी थी।

- अनुदान संख्या–71 में 'मध्यान्ह भोजन योजना' के अंतर्गत विभागीय प्रस्ताव ₹ 1,318.99 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1,041.52 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। योजना में अनाज के बिलों के लम्बित होने के कारण ₹ 101.62 करोड़ की बचत हुई। उसी अनुदान में ₹ 1,835.81 करोड़ *'सर्व शिक्षा अभियान'* हेतु प्राविधानित था। ₹ 620.13 करोड़ की धनराशि का समर्पण इस धनराशि से शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान न किये जाने के कारण किया गया था यद्यपि भारत सरकार द्वारा नये प्राथमिक विद्यालयों को खोलने तथा उच्चीकृत करने हेतु समतुल्य धनराशि निर्गत कर दी गयी थी।

- अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत अम्बेडकर ग्रामों के 4,632 विद्यालयों (₹ 23.03 करोड़) की चहारदीवारी निर्माण और 7,552 विद्यालयों (₹ 64.85 करोड़) में विद्युतीकरण हेतु कुल ₹ 87.88 करोड़ का प्रावधान किया गया था। प्रावधानित धनराशि शासन द्वारा स्वीकृति न किये जाने के कारण ₹ 76.19 करोड़ की बचत हुई । उसी अनुदान में ₹ 440 करोड़ की धनराशि वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन योजना (राज्य सेक्टर) के क्रियान्वयन हेतु दी गयी थी, परन्तु क्रियान्वयन स्तर पर धन की आवश्यकता न होने के कारण ₹ 334.56 करोड़ की बचत हुई।

- अनुदान संख्या–49 और अनुदान संख्या–83 के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 17 योजनाओं की विभागीय मांगों के सापेक्ष अत्यधिक धनराशि का प्रावधान बजट में किया गया था जिसका विस्तृत विवरण **सारणी 2.9** में दिया गया है। वर्ष 2011–12 की अवधि में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी और वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस पर समर्पित कर दी गयी।

सारणी 2.9: बजट में प्राविधानित राशि जिसकी स्वीकृतियाँ जारी नही हुयी

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम तथा लेखाशीर्ष	बजट प्रावधान	समर्पण
	अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग		
1	बालकों के लिए खुले आश्रय गृह; 2235–02–102–01–07	7.00	7.00
2	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट; 2235–02–102–01–10	0.97	0.97
3	समन्वित बाल विकास संरक्षण यूनिट; 2235–02–102–01–15	32.56	32.56
4	स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह का संचालन; 2235–02–102–01–17	15.75	15.75
5	राजकीय पाश्यातवर्ती देखरेख संगठन; 2235–02–102–01–19	0.59	0.59
6	दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी; 2235–02–102–01–21	0.11	0.11

7	किशोर न्याय निधि; 2235–02–102–05	0.25	0.25
8	उ0प्र0 बाल संरक्षण आयोग; 2235–02–102–15	2.64	2.64
9	उ0प्र0 महिला निधि; 2335–02–103–05	0.35	0.35
10	महिला संरक्षण एवं उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ; 2235–02–103–06	0.30	0.30
	अनुदान संख्या 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)		
11	अनुसूचित जाति के छात्रावासों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान; 2225–01–789–07	0.30	0.30
12	अनु0जाति के कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता; 2225–01–789–11	4.00	4.00
13	कोल जाति के लिए विशेष उत्थान कार्यक्रम; 2225–08–789–03	6.80	6.80
14	राज0आश्रम पद्वति विद्यालयों का कक्षा 12 तक उच्चीकरण; 4225–01–789–05	4.00	4.00
15	स्वैच्छिक संस्थाओं/विश्वविद्यालय/विद्यालय परिसर में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास; 4225–01–789–08	1.00	1.00
16	कोचिंग केन्द्र भवन का निर्माण; 4225–01–789–09	2.00	2.00
17	कोल जाति के लिए विशेष उत्थान कार्यक्रम; 225–08–789–03	3.55	3.55
	योग	**82.17**	**82.17**

स्रोतः विनियोग लेखे

विभिन्न योजनाओं के लिए बजट में वित्तीय प्रावधान किये जाने तदोपरान्त उपभोग न किया जाना अथवा लक्षित उद्देश्य की पूर्ति धनराशियों हेतु स्वीकृति न किया जाना इस तथ्य का द्योतक है कि बजट तैयार करने की प्रक्रिया एवं प्रबन्धन अपर्याप्त था जैसा कि **सारणी 2.9** देखा जा सकता है।

2.5 बजट अनुमानों का तैयार किया जाना

2.5.1 प्रस्तावना

बजट मैनुअल के प्रस्तर 8 के अनुसार विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग को प्रति वर्ष 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायी गई बजट सम्बन्धी सामाग्रियों के आधार पर वित्त विभाग द्वारा बजट तैयार किया जाता है। विभागाध्यक्षों एवं अन्य आगणन अधिकारियों द्वारा अपने से सम्बन्धित प्रत्येक लेखाशीर्षों (प्राप्तियाँ एवं व्यय) के अनुमानों को तैयार कर वित्त विभाग को इस आशय हेतु प्रेषित किया जाता है कि वित्त विभाग बजट को अन्तिम रुप दे कर विधान सभा में वित्त विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर सके।

बजट मैनुअल में निर्धारित बजट तैयार करने की प्रक्रिया की अनुपालन मूल्यांकन हेतु हमारे द्वारा 72 में से पाँच चयनित (माध्यमिक शिक्षा, नगर विकास, जनजाति कल्याण, गृह–पुलिस, सिंचाई) प्रशासनिक विभागों से सम्बन्धित अभिलेखों (2007–12) की मई से जुलाई 2012 के मध्य जाँच की गई। साथ ही शासन स्तर पर वित्त विभाग (बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी) तथा राज्य स्तर के सम्बन्धित निदेशालयों के अभिलेखों की जाँच सम्पादित की गई। जाँच का परिणाम अग्रेतर प्रस्तरों में दिया गया है:

2.5.2 विलम्ब से प्रस्तुति/बजट अनुमानों के आधार की अनुपलब्धता

पाँच विभागों की सम्प्रेक्षा में यह देखा गया कि विभागों द्वारा वर्ष 2008–12 की अवधि में बजट अनुमान तैयार करने हेतु सामग्री या तो विलम्ब से प्रेषित की गयी थी या वर्ष 2008–12 की अवधि के बजट अनुमान तैयार किये जाने के आधार उपलब्ध नहीं थे जिसे **सारणी 2.10** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.10: विलम्ब/बजट अनुमानों की अप्रस्तुति

2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
माध्यमिक शिक्षा			
07 दिन	अभिलेख अप्रस्तुत	अभिलेख अप्रस्तुत	21 दिन
नगर विकास			
06 दिन	अभिलेख अप्रस्तुत	18 दिन	08 दिन
जनजाति कल्याण			
15 दिन	18 दिन	15 दिन	36 दिन
गृह (पुलिस)			
36दिन	समय से	10 दिन	समय से
सिंचाई			
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा मांग किये जाने पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये (जून 2012)।			

स्रोतः विभागीय आंकड़े

2.5.3 बजट मैनुअल के प्राविधानित नियमों का उल्लंघन

बजट मैनुअल के प्रस्तर 32 के प्रावधान के अनुसार आगामी वर्ष में वेतन मद के अंतर्गत किया जाने वाला बजट अनुमान स्वीकृत पदों के स्थान पर आगामी वर्ष में वेतन (विशेष वेतन एंव व्यक्तिगत वेतन सम्मिलित परन्तु क्षतिपूर्ति भत्ता छोड़कर) मद में व्यय पर आधारित हो जो कि कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा वास्तव में डियूटी पर होने की स्थिति में आहरित किया जाये। वित्त विभाग द्वारा भी इसके अनुपालनार्थ दिशा–निर्देश जारी (सितम्बर/अक्टूबर प्रत्येक वर्ष) किये गये थे।

अभिलेखों की जाँच की अवधि में हमारे संज्ञान में यह आया (मई से जुलाई 2012) कि पाँच नमूना जाँच किये गये विभागों में से चार विभागों (माध्यमिक शिक्षा, नगर विकास, जनजाति कल्याण एवं सिंचाई विभाग) द्वारा वर्ष 2007–12 की अवधि के वेतन भत्तों के अनुमान कार्यरत के स्थान पर स्वीकृत पदों के आधार पर तैयार किये गये थे। वित्त विभाग एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा भी इन त्रुटियों की जांच–पड़ताल नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप अत्यधिक धनराशियों (₹ 1,957 करोड़) का समर्पण वित्तीय वर्ष के अन्त में किया गया (***परिशिष्ट 2.11***) । माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिकतम ₹ 1,592 करोड़ (2007–12) की धनराशि का समर्पण संज्ञान में आया।

2.5-4 अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण बजट

बजट मैनुअल के प्रस्तर 28 के प्रावधान अनुसार बजट अनुमान जहाँ तक सम्भव हो निकटतम एवं शुद्ध होने चाहिए तथा प्रत्येक मद में सम्मिलित प्राविधान वित्तीय वर्ष में अनुमानित वास्तविक भुगतान अथवा व्यय पर आधारित होना चाहिए। बजट मैनुअल के प्रस्तर 30 में भी अनुमान तैयार करते समय विगत तीन वर्षो के वास्तविक व्ययों के औसत के साथ–साथ वर्तमान वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान को दृष्टिगत रखना चाहिए। उक्त विभागों के निदेशालयों के अभिलेखों से यह विदित हुआ कि वर्ष 2007–12 की अवधि के लेखा शीर्षों (वेतन एवं भत्तों से अलग) के बजट अनुमान बिना इन औसतों को ध्यान में रखे तैयार किये गये थे जिसके फलस्वरुप ₹ 6,651 करोड़ का समर्पण उक्त अवधि में परिलक्षित हुआ जिसकी ***परिशिष्ट 2.12*** में दिये गये आंकड़ों से पुष्टि

होती है। सिंचाई विभाग में बजट में प्रावधानित धनराशि की अधिकतम धनराशि (₹ 3,769 करोड़: 2007–12) का समर्पण संज्ञान में आया था।

2.5.5 विभागीय अनुमानों को तैयार करने में सिद्धांतों की अवहेलना

बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 के अनुसार बजट तैयार किये जाने का मुख्य उददेश्य वास्तविक व्यय/प्राप्तियाँ का सही अनुमान किया जाना है। तद्नुसार, न केवल राजस्व एवं प्राप्तियों की समस्त मदें जिनका कि अनुमान किया जा सकता है, को उल्लिखित करना चाहिए बल्कि मात्र इतना एवं अधिक जिसकी वसूली की पूर्वाशा हो, का प्रावधान बजट वर्ष में किया जाना चाहिए जिसमें विगत बकाया भी सम्मिलित हो। यद्यपि, राजस्व एवं वास्तविक प्राप्तियों (2007–12) के अनुमानों की जांच में हमारे जानकारी में अत्यधिक भिन्नतायें–जिसमें पाँच से 62 *प्रतिशत* आधिक्य एवं तीन से 68 *प्रतिशत* की कमी पायी गयी जोकि यह दर्शाता है कि अनुमान वास्तविक नहीं थे। वर्षवार एवं विभागवार अवास्तविक अनुमानों की स्थिति ***परिशिष्ट 2.13*** में प्रदर्शित है।

प्रकरण शासन को संदर्भित (सितम्बर 2012) किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2012) था।

2.6 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय, आवंटन, व्यय एवं उसके परिणाम

2.6.1 प्रस्तावना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में ध्यान राज्य के तीव्र एवं समग्र विकास पर केन्द्रित था। उक्त योजना कमजोर एवं सीमान्त लोगों की विकास कार्यक्रम में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी जिससे कि विभिन्न सामाजिक समूहों में अन्तर एवं क्षेत्रों के अन्तर को कम किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा पंचवर्षीय (2007–2012) योजनान्तर्गत इन प्राथमिकताओं का परिलक्षण सामाजिक बुनियादी ढाँचे में निवेश, सामाजिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं 'व्यय' अधिक 'परिणामों' पर केन्द्रित था।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय के परिणामों के मूल्यांकन हेतु हमारे द्वारा राज्य स्तरीय प्रशासनिक विभाग (गृह–पुलिस विभाग, नगरीय विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जनजाति कल्याण विभाग एवं सिंचाई विभाग) और उनके सम्बन्धित निदेशालयों के योजना अवधि (2007–12) के अभिलेखों की जाँच मई से जुलाई 2012 के मध्य की गई।

विभागवार जाँच के परिणाम अग्रेतर प्रस्तरों में इंगित हैः

2.6.2 गृह (पुलिस) विभाग

पुलिस प्रशासन के समस्त स्तरों मुख्यतः पुलिस थाना स्तर पर दक्ष एवं प्रभावी पुलिसिंग प्रणाली के सृजन हेतु अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ₹ 113.78 करोड़ की लागत की क्राइम एवं क्रिमिनल नेटवर्किंग सिस्टम (सी.सी.टी.एनएस.) परियोजना भारत सरकार द्वारा जुलाई 2009 में स्वीकृत की गयी। इस परियोजना के अंतर्गत अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (शत प्रतिशत केन्द्रीय पुरोनिधानित) की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जानी थी। परियोजना को ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्त तक क्रियाशील किया जाना था।

पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद और महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ,लखनऊ के अभिलेखों की जाँच के दौरान (जून 2012) हमारे द्वारा यह पाया गया कि भारत सरकार ने ₹ 31.19 करोड़ (2009–10: ₹ 7.31 करोड़, 2010–11: ₹ 19.52 करोड़ एवं 2011–12: ₹ 4.36 करोड़) की धनराशि विभाग को सीधे अवमुक्त की गयी थी। इस धनराशि को

अवरुद्ध कर रखा नहीं जाना था। फिर भी, महानिदेशक, लखनऊ ने (अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक) उक्त धनराशि भारतीय स्टेट बैंक, शाखा जवाहर भवन, लखनऊ में सेविंग प्लस खाता एवं फिक्सड डिपाजिट (8.5 *प्रतिशत* की वार्षिक ब्याज की दर से) एक से दो वर्ष के लिए (ब्याज अर्जनः ₹ 2.14 करोड) जमा किया था तथामात्र ₹ 2.91 करोड़ व्यय किया। परियोजना की भौतिक प्रगति धीमी थी क्योंकि महानिदेशक, लखनऊ ने लगभग 24 माह विलम्ब से सिस्टम इन्टीग्रेशन कार्य के लिए मार्च 2012 में एन.आई.आई.टी. तथा बी.एस.एन.एल. के साथ नेटवर्किंग के लिए अप्रैल 2012 में अनुबंध गठित किया था। महानिदेशक, लखनऊ द्वारा यह बताया गया कि सी.सी.टी.एन.एस. का कार्य भारत सरकार द्वारा कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर की आपूर्ति न किये जाने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका।

2.6.3 नगरीय विकास विभाग

निदेशक, नगरीय विकास/स्थानीय निकाय, लखनऊ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा यह पाया गया कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन इस उद्देश्य से प्रारम्भ (दिसम्बर 2005) की गई थी कि ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त माह मार्च 2012 तक बड़े शहरों में सुधार और तेजी से बढ़ते विकास को प्रोत्साहन दिया जाए विशेष रुप से केन्द्र नगरीय मूलभूत संरचना एवं सेवा वितरण प्रणाली सुदृढ़ हो। इस मिशन के अन्तर्गत सात बड़े शहरों[1] में नगरीय मूलभूत संरचना एवं सुशासन योजना (यू0आई0जी0), 46 छोटे एवं मध्यम नगरों[2] हेतु नगरीय मूलभूत संरचना विकास योजना (यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0) तथा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 एवं नगरीय गरीबों की प्राथमिक सेवाओं (बी0एस0यू0पी0) के अधीन जिन शहरों में ये योजनाएँ चल रही थीं, उन्हें छोड़कर सभी शहरों और कस्बों हेतु एकीकृत आवासीय एवं स्लम विकास कार्यक्रम पर बल दिया गया।

वर्ष 2007–12 की अवधि में मिशन के अन्तर्गत उपरोक्त कार्यक्रमों एवं योजनाओं की वित्तीय स्थिति **सारणी 2.11** में तथा उसके सापेक्ष भौतिक उपलब्धि ***परिशिष्ट 2.14*** में दी गयी है।

सारणी 2:11: जवाहर लाल नेहरु अरबन रिनुअल मिशन का वित्तीय प्रदर्शन

मुख्य क्षेत्र	अवधि	परिव्यय बजट/आवंटन	व्यय
		(₹ करोड़ में)	
यू.आई.जी.	2007-12	4180.00	2881.41
यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.		1394.00	881.78
आई.एच.एस.डी.पी.		810.38	719.94
बी.एस.यू.पी.		1302.22	1134.19

स्रोतः नगर विकास विभाग

परिशिष्ट 2.14 में दिए गए ऑकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि यू.डी.आई.एस.एस.एम.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्टेक वेल एवं जल आपूर्ति कार्य मार्च 2012 में पूरे हो गए थे और शेष कार्य जैसे नलकूप आदि (26 से 57 *प्रतिशत*) अपूर्ण थे। इसी तरह यू. आई.जी. के अन्तर्गत सभी जलापूर्ति कार्य या तो अपूर्ण थे अथवा उसे प्रारम्भ नही किया गया था। ***परिशिष्ट 2.14*** से भी यह अवलोकित किया जा सकता है कि योजना के अन्य कम्पोनेन्ट से सम्बन्धित कार्यो के परिणाम अपर्याप्त थे। निदेशक, राज्य स्तरीय

[1]आगरा, इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, वाराणसी।

[2]आजमगढ़, अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, बदायूँ, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, बरेली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, फर्रूखाबाद गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, गोण्डा, हरदोई, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कुशीनगर, लखीमपुर, मैनपुरी, मऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, सीतापुर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानुपर, सहारनपुर, सोनभद्र, उन्नाव।

नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) ने यह बताया (जुलाई 2012) कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन एवं धनराशि की स्वीकृत में हुए विलम्ब के फलस्वरुप परिणाम अपर्याप्त थे।

2.6.4 माध्यमिक शिक्षा विभाग

शैक्षणिक व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह उच्च शिक्षा एवं रोजगार के लिए भी विद्यार्थियों को तैयार करता है। कक्षा 9 और 10 माध्यमिक स्तर एवं कक्षा 11 और 12 उच्च माध्यमिक स्तर को निर्दिष्ट करता है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए बच्चों की सामान्य औसत आयु 14–16 वर्ष जबकि उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए यह 16–18 वर्ष है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में माध्यमिक शिक्षा के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिसके अंतर्गत सामान्य स्ट्रीम में सकल नामांकन अनुपात को कम से कम 65 प्रतिशत तक बढाना; सकल नामांकन अनुपात की सामाजिक असमानता लिंग अन्तर को 5 *प्रतिशत* तक कम करना; किसी भी आबादी में माध्यमिक विद्यालय को 5 किलोमीटर के अन्दर और उच्च माध्यमिक विद्यालय 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के अन्दर स्थापित कराना था।

लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना अवधि में प्रावधानित ₹ 2,043.77 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2,678.00 करोड़ व्यय किया गया था यद्यपि, माध्यमिक शिक्षा के मुख्य सूचक निर्धारित से भिन्न परिणामित हुए थे। ***परिशिष्ट 2.15*** के विवरण से यह परिलक्षित है कि हाई स्कूल स्तर से इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण को छोड़कर सभी योजनाएं/कार्यक्रमों का परिणाम शून्य से 74 प्रतिशत रहा एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना जिसके अंतर्गत हाई स्कूल स्तर तक के विद्यालयों का उच्चीकरण एवं नवोदय विद्यालय पद्धति पर राजकीय हाई स्कूल खोलने की योजना क्रियान्वित नहीं की गयी थी। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने यह सूचित किया (जुलाई 2012) कि प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से उक्त कमियाँ रही।

2.6.5 जन–जाति कल्याण विभाग

जनजाति कल्याण विभाग को भारत सरकार से अनुसूचित जनजातियों हेतु पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित उप क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित करने हेतु धनराशियाँ प्राप्त हुई थी। वित्तीय एवं भौतिक प्रगति **सारणी 2.12** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.12: वित्तीय प्रदर्शन

अवधि	परिव्यय एवं व्यय (₹ करोड़ में)		भौतिक प्रगति/ कार्यक्रम का परिणाम		
	परिव्यय/ बजट आवंटन	व्यय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	कमी
पूर्व–दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति					
2007–12	7.43	1.28	59,843 छात्र एवं12,571 छात्र क्रमशः	6,831 (11 *प्रतिशत*) छात्रएवं 2,069 (16 *प्रतिशत*) छात्र क्रमशः	53,012 एवं 10,502 छात्र क्रमशः
शासकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण (नवीन/उच्चीकरण)					
2007–12	3.13	3.13	13 विद्यालय	शून्य	13 विद्यालय

स्रोतः विभागीय आंकड़े

विभाग द्वारा निवर्तन पर रखी गई धनराशि के सापेक्ष मात्र 17 *प्रतिशत* धनराशि का ही उपयोग किया जा सका। छात्रवृत्ति वितरण हेतु 59,843 पूर्वदशम छात्रों एवं 12,571 दशमोत्तर छात्रों के लक्ष्य के विरूद्ध ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना अवधि (2007–12) के अन्त मार्च 2012 तक मात्र 6,831 पूर्व दशम् छात्र (11 *प्रतिशत*) एवं 2,069 दशमोत्तर छात्रों (16 *प्रतिशत*) को ही छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध करायी जा सकी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 13 आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण (नवीन/उच्चीकरण) का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया (जुलाई 2009) जिसमें से दो विद्यालय–चन्दन चौकी, खीरी एवं नजीबाबाद, बिजनौर–प्रत्येक के निर्माण/विस्तार हेतु ₹ 3.13 करोड़ स्वीकृत किया गया एवं स्वीकृत धनराशि का 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त (अक्टूबर 2009) कर दिया गया। चन्दन चौकी खीरी में विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ (दिसम्बर 2010) किया गया लेकिन कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किस्त ₹ 156.30 लाख उपभोग करने के पश्चात प्रत्येक विद्यालय की निर्माण लागत ₹ 8.78 करोड़ तक बढ़ गयी थी जोकि निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के कारण थी। परिणामस्वरुप, निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया। नजीबाबाद, बिजनौर आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण कार्य जो कि दिसम्बर 2010 में प्रारम्भ किया गया था भूमि विवाद के कारण रोक दिया गया। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित लागत को अवमुक्त किये जाने से मना कर दिया गया। नजीबाबाद, बिजनौर विद्यालय के निर्माण की अवशेष धनराशि बिना व्यय की पड़ी होने के कारण द्वितीय किस्त जोकि प्रथम किस्त के उपयोग के पश्चात ही अवमुक्त की जानी थी, निर्गत नहीं की गई। इस प्रकार, दो आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य ग्याहरवी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक (मार्च 2012) प्राप्त नही किया जा सका।

2.6.6 सिंचाई विभाग

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 80 *प्रतिशत* कृषि है। ग्याहरवी पंचवर्षीय योजना (2007–12) हेतु मुख्य एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 11.70 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 3.60 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना अवधि में निर्धारित धनराशि ₹ 12,185.24 करोड़ के सापेक्ष ₹ 8,543.47 करोड़ का व्यय किया गया जिसके कारण सिंचाई के मुख्य सूचक यथा निर्धारण से भिन्न परिणाम प्राप्त हुए **सारणी–2.13**।

सारणी 2.13: सिचाई क्षमता का सृजन

(क्षेत्रफल लाख हे. में)

खण्ड	दसवीं पंचवर्षीय योजना का स्तर	ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	ग्याहरवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रगति	ग्याहरवीं पंच वर्षीय योजना की समाप्ति पर स्तर
मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	83.19	11.70	2.18(19)	85.37
लघु सिंचाई	37.54	3.60	2.01 (56)	39.55
योग	120.73	15.30	4.19 (27)	124.92
कोष्ठक में प्रतिशत प्रदर्शित किया गया है।				

स्रोतः विभागीय आंकड़े

उपरोक्त के अतिरिक्त, ग्याहरवी पंचवर्षीय योजना में कुल सृजित सिंचाई क्षमता 124.92 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष उपयोग वृहद, मध्यम सिचाई एवं लघु सिंचाई द्वारा मात्र 86.29 लाख हेक्टेयर (69 *प्रतिशत*) रहा।

अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग

एक मजबूत आन्तरिक वित्तीय सूचना प्रणाली जो कि वित्तीय नियमों के अनुपालन पर आधारित हो, स्वस्थ शासन हेतु आवश्यक है। यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों के अनुपालन की स्थिति एवं उसका विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपभोग प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

3.1.1 वित्तीय नियमों के प्रस्तर 369–एच के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा विशेष प्रयोजन हेतु दिये गये अनुदानों के उपभोग प्रमाण–पत्र अनुदान प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त कर अनुदान स्वीकृत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित कर दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2011–12 की अवधि तक विभिन्न संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के विरूद्ध अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति **सारणी 3.1** में दी गयी हैं।

सारणी 3.1: अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति

अवधि	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2009-10 की अवधि तक	15,757	6,703.35
2010-11	13,009	6,579.84
2011-12	20,132	7,546.70
योग	**48,898**	**20,829.89**

स्रोत: वित्त लेखे

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्त तक ₹ 20,829.89 करोड़ के 48,898 उपभोग प्रमाण पत्र अवशेष थे।

3.1.2 उपभोग प्रमाण–पत्र प्रेषण के संबंध 18 विभागों से संबंधित आँकड़े/सूचनायें माह सितम्बर 2012 में एकत्र किये गये थे। एकत्र किये गये आँकड़ों/सूचनाओं की जाँच में यह पाया गया कि माह सितम्बर 2012 तक कुल धनराशि ₹ 4,591.94 करोड़ (2010–11 तक भुगतानित) के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने शेष थे। अवशेष उपभोग प्रमाण पत्रों का विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है तथा उनके प्रेषण में हुए विलम्ब का अवधिवार विवरण **सारणी 3.2** में सारांशीकृत है।

सारणी 3.2: अवशेष प्रमाण–पत्रों की अवधिवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विलम्ब वर्षों में	कुल भुगतानित अनुदान		अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्र	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	0 - 1	762	4,235.91	263	1,503.25
2	1 - 3	1,613	5,202.99	785	2,855.48
3	3 - 5	1,012	308.80	474	232.92
4	5-7	6	0.86	3	0.29
योग		**-**	**9,748.56**	**1,525**	**4,591.94**

स्रोत: सम्बन्धित विभाग

कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को वर्ष 2008–09 की अवधि में ₹ 1,822.91 करोड़ एवं वर्ष 2007–08 की अवधि में ₹ 173.80 करोड़ का भुगतान किया गया था। इन अनुदानों से संबंधित उपभोग प्रमाण पत्र क्रमशः तीन एवं चार वर्षोंपरान्त भी प्राप्त नहीं हुए थे।

अन्य प्रमुख विभाग यथा नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग (राज्य नगरीय विकास अभिकरण) (₹ 189.10 करोड़), दुग्ध विकास विभाग (₹ 102.80 करोड़), समाज कल्याण विभाग (₹ 79.98 करोड़), महिला कल्याण विभाग (₹ 21.98 करोड़) तथा

समाज कल्याण विभाग–अनुसूचित जन–जाति विकास (₹ 13.13 करोड़) भी अनुदान प्राप्तकर्ता से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने में विफल थे।

3.2 विस्तृत आकस्मिक बिल

शासनादेश संख्या ए–1–3(1)10–10820/2001 दिनांक 24 जनवरी 2006 में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी लेखाशीर्ष को डेबिट करते हुए सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से धनराशियाँ आहरित किए जाने हेतु प्राधिकृत है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार धनराशि के आहरण किये जाने के एक माह के अन्दर विस्तृत बिलों (अन्तिम व्यय जिसके समर्थन में वाउचर्स हों) को संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भेजने हेतु प्रेषित करें ।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ₹ 157.54 करोड़ के 10,939 सार आकस्मिक बिल मार्च 2012 तक अवशेष थे। वर्षवार अवशेषों की स्थिति **सारणी 3.3** में दी गयी हैं।

सारणी 3.3: अवशेष सार आकस्मिक बिल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित सार आकस्मिक बिल		विस्तृत आकस्मिक बिल		अवशेष सार आकस्मिक बिल	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2009-10तक	10,764	78.49	2,122	1.34	8,642	77.15
2010-11	1,687	53.28	232	12.31	1,455	40.97
2011-12	1,247	100.41	405	60.99	842	39.42
योग	**13,698**	**232.18**	**2,759**	**74.64**	**10,939**	**157.54**

स्रोतः वित्त लेखे

क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के अभिलेखों की अगस्त 2012 में की गयी नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2011–12 की वार्षिक परीक्षा आयोजन के व्ययों की पूर्ति हेतु ₹ 28.13 लाख की धनराशि आहरित की गयी थी। इस आहरित की गई धनराशि में से ₹ 21.31 लाख की धनराशि का विस्तृत आकस्मिक बिल माह अगस्त 2012 तक आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी तरह, ₹ 12.68 लाख एवं ₹ 14.10 लाख सार आकस्मिक बिल के माध्यम से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा क्रमशः वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में आहरित किये गये थे जिसमें से क्रमशः ₹ 6.05 लाख एवं ₹ 8.25 लाख के विस्तृत आकस्मिक बिल अगस्त 2012 तक प्रस्तुत नहीं किये गये थे। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा निदेशालयों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2009–12 की अवधि में विस्तृत आकस्मिक बिल एक से आठ माह विलम्ब से प्रस्तुत किये गये। विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत न किया जाना अथवा विलम्ब से प्रस्तुत करना कमजोर वित्तीय प्रबन्धन एवं प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण को दर्शाता है। सितम्बर 2012 में प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2012)।

3.3 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना

नौ स्वायत्त निकायों[1] के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को दी गयी हैं। लेखापरीक्षा दिये जाने की स्थिति, लेखों का लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये जाने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को निर्गत करने एवं विधान मण्डल में प्रस्तुत करने की स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है। लेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब की स्थिति **सारणी 3.4** में सारांशीकृत हैं।

[1]जल संस्थान आगरा, इलाहाबाद, चित्रकूट धाम बाँदा मण्डल, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ एवं उ0प्र0 राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।

सारणी 3.4: लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब (माह में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्ब का कारण
1- 12	5	आगरा, चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा, झाँसी, कानपुर एवं लखनऊ जल संस्थानों द्वारा 1–12 माह तक अपने लेखे विलम्ब से प्रस्तुत किये गये।
12-24	2	जल संस्थान, इलाहाबाद एवं झाँसी ने अपने–अपने लेखे 12–24 माह विलम्ब से प्रस्तुत किया।
24 माह से अधिक	2	उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ एवं उ0प्र0 राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ ने अपने वर्ष 2009–10, वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 के लेखे प्रस्तुत नहीं किये।
योग	9	

स्रोतः सम्बन्धित विभाग के अभिलेख

लेखों के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से धनराशियों के दुरुपयोग एवं गबन की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की वर्ष 2006–07, वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान मंडल के पटल पर रखा जाना अवशेष था।

3.4 विभागीय वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रम

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय लेन देन एवं व्यवसाय में दक्षता दर्शाते हुए प्रति वर्ष प्रोफार्मा लेखा बनाया जाता है। इन लेखों को लेखापरीक्षा हेतु लेखा–बन्दी के तीन माह के अन्दर महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य में मार्च 2012 तक 10 उपक्रम थे। इनमें से छः उपक्रमों ने अद्यतन प्रोफार्मा एकाउन्ट तैयार नहीं किये थे। ऐसे विभागवार उपक्रम, जिनके प्रोफार्मा लेखे शेष थे, का विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है। स्टेट फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन तथा क्रिमिनल ट्राइब्स सेटलमेन्ट टेलरिंग फैक्टरी ने, जिनमें सरकार द्वारा ₹ 13 लाख का निवेश किया गया था (उपलब्ध लेखों के आधार पर), अपने–अपने लेखे क्रमशः वर्ष 1988–89 एवं वर्ष 1980–81 से तैयार नहीं किये थे। इसी तरह, खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें शासन द्वारा ₹ 2,131.07 करोड़ का निवेश किया गया था, के लेखे भी वर्ष 2009–10 से वर्ष 2011–12 तक तैयार नहीं किये गये थे एवं सिंचाई निर्माण खण्ड, इलाहाबाद एवं झाँसी, जिनका शासकीय निवेश ₹ 5.05 करोड़ था, का प्रोफार्मा एकाउन्ट नहीं तैयार किया गया था। फलस्वरुप, शासन द्वारा निवेशित धनराशि लेखापरीक्षा/राज्य विधायिका से की जाने वाली जाँच से परे थी। लेखों को तैयार न किये जाने के कारण यह भी संभावना बनी रहती है कि उपक्रमों द्वारा निधियों का दुरुपयोग किया गया हो। यह प्रकरण सितम्बर 2012 में शासन को संदर्भित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2012)।

3.5 दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि

वित्तीय नियमों के प्रस्तर 82 के अनुसार हानि एवं गबन के प्रकरणों को प्रधान महालेखाकार को तुरन्त प्रेषित किये जाने चाहिए ऐसे प्रकरणों को उत्तरदायी द्वारा क्षतिपूर्ति कर दिये जाने के बावजूद भी प्रेषित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2011–12 की अवधि तक लंबित इस प्रकार के 159 प्रकरण थे जिनमें ₹ 890.41 लाख की धनराशि निहित थी। विभागवार लंबित प्रकरणों एवं उनका अवधिवार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.4*** एवं उनके विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिये गये है। इन परिशिष्टियों में वर्णित प्रत्येक श्रेणी यथा चोरी, गबन/हानि का अवधिवार लम्बित 159 प्रकरण **सारणी 3.5** में सारांशीकृत है।

सारणी 3.5: दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि की स्थिति

अवधि (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (लाख रुपये में)	विवरण	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ लाख में)
0 - 5	36	359.56	चोरी	84	45.28
5 - 10	23	53.78			
10 - 15	29	24.56	सामग्रियों की गबन/हानि	82	848.45
15 - 20	25	68.31			
20 - 25	27	39.23	**योग**	**164**	**893.73**
25 और इससे अधिक	19	344.97	वर्ष के दौरान निस्तारित /अपलेखित प्रकरण	5	3.32
योग	**159**	**890.41**	**लम्बित प्रकरणों का योग**	**159**	**890.41**

स्रोतः सम्बन्धित विभाग के अभिलेख

सारणी के विश्लेषण में यह देखा गया कि वर्ष 2011–12 की अवधि में 164 प्रकरणों जिनमें ₹ 893.73 लाख की धनराशि निहित थी, में से ₹ 3.32 लाख के पॉच प्रकरण ***(परिशिष्ट 3.6)*** निस्तारित/अपलेखित किये गये थे और अवशेष 159 प्रकरण जिनमें ₹ 890.41 लाख की धनराशि निहित थी, मार्च 2012 तक विभिन्न कारणों से लम्बित थे जैसा कि **सारणी 3.6** में दिया गया है।

सारणी 3.6 : दुर्विनियोग, गबन, हानि आदि के लम्बित प्रकरणों का कारण

	विलम्ब/लम्बित प्रकरणों का कारण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
1.	विभागीय एवं अपराधिक जॉच अपेक्षित है	20	167.78
2.	विभागीय जॉच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रुप नहीं दिया गया	79	471.75
3.	कार्यवाही पूरी की गयी, परन्तु धनराशि की वसूली शेष है	7	14.32
4.	वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित हैं	11	5.03
5.	न्यायालय में लम्बित	42	231.53
	योग	**159**	**890.41**

स्रोतः सम्बन्धित विभाग के अभिलेख

3.6 लघु लेखा शीर्ष–800 के अंतर्गत 'अन्य राजस्व प्राप्तियाँ' एवं अन्य व्यय' का दर्शाया जाना

लेखों की शुद्धता के लिये शासन के कार्यक्रमों/क्रियाकलापों पर किये गये व्यय को उन्हीं कार्यक्रमों/क्रियाकलापों मे वर्गीकृत किया जाना चाहिए। फिर भी, जॉच में यह पाया गया कि ₹ 1,30,869.70 करोड़ की सकल राजस्व प्राप्तियों में से ₹ 17,217.69 करोड़ (10 प्रतिशत) की धनराशियाँ '800–अन्य प्राप्तियाँ' में वर्गीकृत की गई थी। इसी प्रकार, ₹ 1,45,459 करोड़ (राजस्वः ₹ 1,23,885 करोड़, पूंजीगतः ₹ 21,574 करोड़) में से ₹ 16,211.32 करोड़ की धनराशि का वर्गीकरण लघुशीर्ष–'800–अन्य व्यय' के अंतर्गत किया गया था। कुछ ऐसे प्रकरण **सारणी 3.7** में दिये गये हैं।

सारणी 3.7: लघु लेखा शीर्ष–800 के अंतर्गत 'अन्य राजस्व प्राप्तियाँ' एवं' अन्य व्यय' का दर्शाया जाना

विवरण	प्राप्तियाँ		व्यय	
	धनराशि (₹करोड़ में)	लेखाशीर्ष	धनराशि (₹करोड़ में)	लेखाशीर्ष
100 प्रतिशत एवं अधिक	189.67	1456, 0023, 0217, 0575, 0801	4113.10	2801, 4070, 2705,2407, 4853, 5053
75 *प्रतिशत* एवं 99 *प्रतिशत के मध्य*	5,055.55	0852, 1452, 0235, 0406, 0230, 0075, 0059, 0070	255.23	2575, 2700
50 *प्रतिशत* एवं 74 *प्रतिशत के मध्य*	9,810.21	1054, 0029, 0403, 0515, 1601	1298.62	2405, 4406, 4235, 2425, 4575
50 *प्रतिशत के नीचे*	1014.24	0202, 0055, 0435, 0702, 0401	2491.40	4401,2501, 2040, 3054, 2013, 2702, 2852, 2401, 2070, 2075

स्रोतः वित्त लेखे

परिणामस्वरूप, शासन के विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के अंतर्गत किया गया व्यय एवं लघु शीर्ष '800 अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत व्यय वित्त लेखों में अलग से दर्शाये नहीं जा सके जिससे कि लेखों की शुद्धता प्रभावित हुई हैं। शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्तियों एवं व्ययों को उचित शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाए।

3.7 धनराशियों को केन्द्रीय सड़क निधि में हस्तांतरण न किया जाना

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि हेतु धनराशि अनुदानों के रूप में अवमुक्त किया जाता है जिसे कि मुख्य लेखाशीर्ष '1601–सहायता अनुदान' में वर्गीकृत किया जाता है। अवमुक्त की गयी इस धनराशि को राज्य सरकार द्वारा बजट में प्रावधान किये जाने के उपरान्त 'केन्द्रीय सड़क निधि' से मुख्य लेखा शीर्ष '8449–अन्य जमा–103–आर्थिक सहायता' में हस्तान्तरित करने की आवश्यकता पड़ती है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 की अवधि में सड़क निर्माण हेतु अनुदान ₹ 210.25 करोड़ 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित किया गया था। चूंकि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 की अवधि में बजट में प्रावधान नहीं किया गया, इस धनराशि को 'केन्द्रीय सड़क निधि' से मुख्य शीर्ष '8449–अन्य जमा–103–आर्थिक सहायता' में स्थानान्तरित नहीं किया जा सका। यह धनराशि राज्य की समेकित निधि में मार्च 2012 के अन्त तक पड़ी हुई थी।

3.8 नकद अवशेषों में भिन्नता

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आकलन के अनुसार 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 619.34 करोड़ (क्रेडिट) की धनराशि नकद अवशेष के रूप में उपलब्ध थी जबकि रिजर्व बैंक द्वारा सूचित यह नकद अवशेष की धनराशि ₹ 839.85 करोड़ (डेबिट) थी जिससे कि ₹ 220.51 करोड़ (डेबिट) का अंतर था। यह अंतर मुख्य रूप से कोषागार के अधिकारियों एवं एजेंसी बैंको द्वारा रिजर्व बैंक को लेन–देनों के गलत आँकड़े प्रेषित किए जाने के फलस्वरुप था। ₹ 220.51 करोड़ (डेबिट) की विसंगतियों हेतु एजेंसी बैंको एवं कोषागार के अधिकारियों द्वारा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, फण्ड सेटेलमेंट, लिंक कार्यालय, कानपुर को समायोजन हेतु प्रेषित (जुलाई 2012) किया गया है ।

3.9 व्यक्तिगत जमा लेखाओं में धनराशियों का अन्तरण

व्यक्तिगत जमा लेखाओं में अन्तरण राज्य की समेकित निधि (मुख्य लेखा शीर्ष) से व्यय के रूप में लेखांकित होता है। राज्य सरकार धनराशियों को जमा करने हेतु व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिए अधिकृत है परन्तु व्यक्तिगत जमा लेखाओं के संचालकों के लिये यह आवश्यक है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को ऐसे लेखाओं को बन्द करके अप्रयुक्त धनराशियों को राज्य सरकार के खाते में अंतरित कर दें। फिर भी, 60 व्यक्तिगत जमा खातों के संचालकों द्वारा अवशेष ₹ 0.25 करोड़ की अवशेष धनराशि को राज्य सरकार के खाते में अंतरित नहीं किया गया था। इन खातों में व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति **सारणी 3.8** में दी गयी है।

सारणी 3.8 व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	01-04-2011 को प्रारंभिक अवशेष		खातों की संख्या				31-03-2012को अन्तिम अवशेष	
			वर्ष के दौरान खोले/नवीनीकरण किये गये		वर्ष के दौरान बन्द किये गये			
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
8443-106	66	0.43	शून्य	शून्य	6	0.18	60	0.25
8443-106 के अतिरिक्त	1, 540	2, 853.33	शून्य	शून्य	28	1, 519.72	1,512	1, 333.61
योग	**1, 606**	**2, 853.76**	**शून्य**	**शून्य**	**34**	**1, 519.90**	**1, 572**	**1, 333.86**

स्रोतः वित्त लेखा

कोषागारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1,572 में से 508 व्यक्तिगत जमा लेखाओं का मिलान किया गया था । यह भी प्रकाश में आया कि बजट आवंटन भी सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से आहरित कर उद्दिष्ट व्यक्तिगत जमा लेखाओं में जमा किया गया था। उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के व्यक्तिगत जमा लेखाओं की नमूना जाँच में पाया गया कि:–

- निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ के लिए ₹ 2.00 करोड़ वर्ष 2006–07 में स्वीकृत किया गया जिसे कि उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के खाते में जमा किया गया था। उस धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण अन्ततः पाँच वर्ष के पश्चात् राज्य सरकार के खाते में मार्च 2012 में अन्तरित कर किया गया।

- उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम, लखनऊ के व्यक्तिगत लेखा खाते में विविध कियाकलापों से संबंधित धनराशि ₹ 12.59 करोड़ विभिन्न अवधियों में जमा रही। धनराशि का उपयोग न किये जाने के फलस्वरुप अन्ततः राज्य सरकार के खाते में वर्ष 2011–12 में अन्तरित किया गया।

3.10 व्यय के आँकड़ों का मिलान

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विभागीय लेखे पर्याप्त रूप से सही हो। बजट मैनुअल के प्रस्तर–124 में उल्लिखित है कि नियंत्रण अधिकारियों की पुस्तकों में अभिलिखित व्यय के विभागीय आँकड़ों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्तकों में अभिलिखित धनराशि से किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि वर्ष 2011–12 की अवधि में ₹ 1,46,435 करोड़ के व्यय के विरूद्ध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 1,44,635 करोड़ (99 *प्रतिशत*) का ही मिलान किया गया था। इस प्रकार, 10 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 824.25 करोड़ के व्यय का मिलान वर्ष 2011–12 में नहीं किया गया था, जैसा कि **सारणी 3.9** में दिया गया है।

सारणी 3.9: वर्ष 2011–12 में व्यय का मिलान न करने वाले नियंत्रण अधिकारियों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	नियंत्रण अधिकारी	मिलान न की गयी धनराशि
	व्यय	
1	आयुक्त, वक्फ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	1.22
2	प्रमुख सचिव, कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	284.96
3	सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	20.28
4	निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	45.31
5	सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	3.97
6	आयुक्त/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	17.69
7	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	169.22
8	सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	35.30
9	सचिव, आवास एवं नगर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	243.29
10	सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	3.01
	योग	**824.25**

स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के आँकड़ों का मिलान न किया जाना वित्तीय प्रबन्धन में कमी दर्शाता है।

3.11 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों एवं कार्यप्रणालियों के अनुपालन में कमियाँ थी। अनुदान प्राप्तकर्ताओं से अत्यधिक धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र अप्राप्त थे। वित्तीय वर्ष के अन्त तक अत्यधिक धनराशि के सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों का प्रस्तुत किया जाना शेष था। इसके अतिरिक्त, दुर्विनियोग, गबन, हानियों आदि के अत्यधिक प्रकरण वसूली/अपलेखन न किए जाने के फलस्वरूप लंबित थे।

संस्तुतियां

- दुर्विनियोग, गबन, हानियाँ आदि के समस्त प्रकरणों में विभागीय जाँच में तेजी लायी जानी चाहिए जिससे कि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। इसी उद्देश्य से विभिन्न विभागों की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली भी सुदृढ़ की जानी चाहिए जिससे कि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
- राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वायत्त निकायों द्वारा अपने लेखों को एवं अनुदान प्राप्तकर्ता अपने उपभोग प्रमाण पत्रों को समय से प्रेषित करें।

(मुकेश पी सिंह)

इलाहाबाद — प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)

दिनांक 19 दिसम्बर 2012 — उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)

नई दिल्ली — भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनांक 28 दिसम्बर 2012

परिशिष्ट

1.1 प्रदेश का परिदृश्य

(संदर्भः पृष्ठ 1)

अ. सामान्य आंकड़े			
क्र0सं0	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्रफल		2,40,928 वर्ग किमी0
2	जनसंख्या		
	अ.	2001 की जनगणना के अनुसार	16.62 करोड़
	ब.	2011 की जनगणना के अनुसार	19.96 करोड़
3	अ.	जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)	690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
	ब.	जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)	828 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 27.5 *प्रतिशत*)		32.8 प्रतिशत
5	अ.	साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 *प्रतिशत*)	56.27 प्रतिशत
	ब.	साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत = 74.0 *प्रतिशत*)	69.72 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 50 प्रति 1000 जन्म पर)		63
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 63.5 वर्ष)		60
8	गिनी गुणांक[1]		
	अ.	ग्रामीण (सम्पूर्ण भारत = 0.30)	0.29
	ब.	शहरी (सम्पूर्ण भारत = 0.37)	0.37
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2011-12 चालू मूल्यों पर		₹ 6,87,836 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2002-03 से 2011-12)	उत्तर प्रदेश	11.00 प्रतिशत
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.09 प्रतिशत
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर(2002-03से2011-12)	उत्तर प्रदेश	12.77 प्रतिशत
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	14.46 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि (2002 से 2012)	उत्तर प्रदेश	17.15 प्रतिशत
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.90 प्रतिशत

ब. वित्तीय आंकड़े					
क्र0सं0	विवरण		आंकड़े (*प्रतिशत* में)		
13	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर		2002-03से 2010-11		2002-03 से 2011-12
			सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
	क.	राजस्व प्राप्तियों का	16.86	18.91	18.77
	ख.	स्वयं का कर	16.74	15.74	17.04
	ग.	करेत्तर राजस्व	12.84	24.69	20.37
	घ.	कुल व्यय	14.58	16.68	16.33
	ड.	पूंजीगत व्यय	21.25	23.30	21.30
	च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	15.41	16.76	17.54
	छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	14.00	16.86	15.60
	ज.	वेतन एवं मजदूरी[2]	13.43	15.46	15.77
	झ.	राजस्व प्राप्तियों का	16.89	20.97	19.94

स्रोतः वित्तीय आंकड़े वित्त लेखे पर आधारित है। बी.पी.एल. (योजना आयोग और एन.एस.एस.ओ. आंकड़े, 61वां राउण्ड), गिनी गुणांक (योजना आयोग और एन.एस.एस.ओ. का अनधिकारिक आकलन, 61वां राउण्ड 2004–05 एमआरपी), जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (भारत के महानिबन्धक का कार्यालय; गृहमंत्रालय; आर्थिक सर्वेक्षण 2011–12), शिशु मृत्यु दर (एस.आर.एस. बुलेटिन जनवरी 2012)।

[1]गिनी गुणांक, जनता की आय में परस्पर असमानता का मापक है। शून्य से एक के पैमाने पर, शून्य के समीप होने पर असमानता कम तथा एक के समीप होने पर असमानता अधिक होगी।

[2] वर्ष 2002–03 से 2010–11 अथवा 2011–12 अवधि के लिए जैसा भी प्रकरण हो।

परिशिष्ट

1.2 राज्य सरकार के लेखे एवं वित्त लेखे का प्रारूप

(संदर्भः प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 2)

भाग–क : सरकारी लेखे का रुप एवं ढाँचा
सरकारी लेखों का ढाँचा: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा। **भाग-1 समेकित निधिः** राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगा जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है। **भाग-2 आकस्मिकता निधि** : संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय के पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है। निधि बाद में प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है। **भाग-3 लोक लेखाः** प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों, यथा लघु बचत, भविष्य निधि, संचित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते,को संविधान की धारा 266 (2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखा जाता हैं एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।

भाग–ख : वित्त लेखे का प्रारूप	
विवरण	**प्रारूप**
वित्त लेखा दो भागों में विभाजित है। भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रुप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। **भाग एक में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र, चार सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है।**	
खण्ड–1	
1	वित्तीय वर्ष के अन्त में पूंजी एवं देयताओं की प्रगामी वित्तीय स्थिति
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों के तीन भागों का विवरण
3	संचित निधि में प्राप्तियों का विवरण जिसमें राजस्व, पूंजीगत और उधार से प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
4	संचित निधि से व्यय का विवरण जिसमें व्यय की प्रकृति तथा कार्य से सम्बन्धित है।
परिशिष्ट–1	नगद शेष और नगद शेष का निवेश

खण्ड–2	
भाग–1	
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण विस्तृत प्रगामी पूंजीगत व्यय को विवरण संख्या 1 में दिखाया गया है।
6	उधार और अन्य दायित्व जैसे कि बाजार ऋण और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम का विवरण।
7	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये ऋण एवं अग्रिम और उनकी वसूली का विवरण।
8	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदान का विवरण।
9	वित्तीय वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों सरकारी कम्पनियों स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गयी गारण्टी का विवरण।
10	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण। विस्तृत विवरण दत्तमत और प्रभारित व्यय।
भाग–2	
11	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार ब्यौरेवार विवरण ।
12	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण।
13	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण।
14	संविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों सहकारी बैंकों समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण।
15	उधार एवं अन्य दायित्वों और परिपक्वता और भुगतान का विवरण ।
16	सरकार द्वारा दिए गये अग्रिमों ऋण शेष में परिवर्तन, ऋण माफी और ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां इत्यादि का विस्तृत विवरण।
17	राजस्व लेखा से भिन्न व्ययों के लिए स्रोत एवं निधियों के प्रयोग का विस्तृत विवरण।
18	आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के लेन–देनों का विस्तृत विवरण।
19	उद्दिष्ट निधियों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण।
भाग–3 परिशिष्ट	
परिशिष्ट–2	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–3	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–4	राज्य सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान (संस्थानवार और योजनावार)
परिशिष्ट–5	वाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का विवरण
परिशिष्ट–6	आयोजनागत योजना व्यय
परिशिष्ट–7	राज्य में केन्द्रीय योजना निधियों का लागू करने वाली एजेन्सियों को सीधे हस्तान्तरण
परिशिष्ट–8	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे की शेष राशियों का सारांश
परिशिष्ट–9	सिंचाई निर्माण कार्य के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट–10	अपूर्ण लोकनिर्माण कार्य संविदाओं पर वचनबद्धताओं का विवरण
परिशिष्ट–11	राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरुप ऐसी मदों का विवरण, जिनके शेषों का विभाजन अंतिम रुप से नहीं हुआ
परिशिष्ट–12	राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण
परिशिष्ट–13	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा मुख्य नीति विषयक निर्णय लिए गये तथा भावी नगद प्रवाह हेतु नई बजट योजनाएँ प्रस्तावित की गई ।

परिशिष्ट 1.3

वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(संदर्भः प्रस्तर 1.2; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण					
2010-11			2011-12	2010-11			आयोजनेतर	आयोजनागत	योग 2011-12
1,11,183.76	**I**	**राजस्व प्राप्तियां**	**1,30869.70**	**1,07,675.61**	**I**	**राजस्व व्यय**	**1,01,269.25**	**22,615.92**	**1,23,885.17**
41,109.85		कर राजस्व	**52,613.43**	**48,019.17**		**सामान्य सेवाएं**	**52,345.19**	**601.73**	**52,946.92**
				39,566.70		**सामाजिक सेवाए**	**29,781.35**	**17,609.59**	**47,390.94**
11,176.21		करेतर राजस्व	10,145.30	20,954.24		शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	21,017.07	4,957.97	25,975.04
				5,444.20		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,342.17	1,427.91	5,770.08
43,464.05		संघीय करों में राज्यांश	50,350.95	1,715.63		जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरीविकास	238.61	1,656.43	1,895.04
				79.47		सूचना एवं प्रसारण	84.09	00.42	84.51
3,092.99		आयोजनेतर अनुदान	4,396.73	2,945.07		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,563.41	1,819.03	3,382.44
6,772.07		राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	6,813.28	363.79		श्रम तथा श्रमिक कल्याण	274.16	167.72	441.88
				8,003.89		समाज कल्याण तथा पोषण	2,199.16	7,580.11	9,779.27
5,568.59		केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	6,549.89	60.41		अन्य	62.68	-	62.68
--			00.12	**15,725.03**		**आर्थिक सेवाएं**	**13,887.61**	**4,404.60**	**18,292.21**
				3,569.94		कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	2,284.42	1,367.13	3,651.55
				4,003.08		ग्राम्य विकास	2,337.72	2,191.79	4,529.51
				80.83		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	60.96	60.96
				3,610.25		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,400.08	609.24	4,009.32
				2,174.18		ऊर्जा	3,500.40	35.14	3,535.54
				299.04		उद्योग एवं खनिज	206.11	113.61	319.72

				1,742.45		परिवहन	1,936.91	6.96	1,943.87
				31.12		विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	12.78	17.88	30.66
				214.14		सामान्य आर्थिक सेवाए	209.20	1.88	211.08
				4,364.71		**सहायक अनुदान एवं अंशदान**	**5,255.10**	**-**	**5,255.10**
		योग	1,30,869.70	1,07,675.61		योग			1,23,885.17
-	II	राजस्व घाटा खण्ड 'ख' को प्रेषित	–	3,508.15	II	राजस्व अधिशेष खंड 'ख' को प्रेषित	–	--	6,984.53
1,11,183.76		योग	1,30,869.70	1,11,183.76		योग			1,30,869.70
					खण्ड 'ब'				
3,405.36	III	प्रारम्भिक रोकड़ शेष स्थाई अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	10304.99	-	III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अत्याहरण	-	-	-
--	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	–	20,272.80	IV	पूंजीगत परिव्यय	838.86	20,735.10	21,573.96
				1,002.05		**सामान्य सेवाएं**	**667.68**	**475.94**	**1,143.62**
				4,795.47		**सामाजिक सेवाएं**	**38.93**	**5,148.21**	**5,187.14**
				710.04		शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	3.07	328.09	331.16
				1,032.22		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9.65	932.74	942.39
				2,477.23		जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	24.03	3,527.38	3,551.41
				--		सूचना एवं प्रसारण	–	--	--
				65.28		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	–	46.70	46.70
				394.83		समाज कल्याण तथा पोषण	00.22	239.87	240.09
				115.87		अन्य	1.96	73.43	75.39
				14,475.28		**आर्थिक सेवाएं**	**132.26**	**15,110.94**	**15,243.20**
				(-)837.57		कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	(-)525.84	398.46	(-)127.38
				2,732.28		ग्राम्य विकास	-	2,755.84	2,755.84
				1,192.80		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	1,480.80	1,480.80
				2,549.88		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	2,124.87	2,124.87

				4,099.52		ऊर्जा	654.00	3,660.36	4,314.36
				7.79		उद्योग एवं खनिज	5.06	(-) 1.49	3.57
				4,633.74		परिवहन	(-) 00.96	4,652.16	4,651.20
				96.84		सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	39.94	39.94
				-		विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	-	-	-
485.17	**V**	**ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली**	**133.17**	**968.22**	**V**	**संवितरित ऋण तथा अग्रिम**	**561.09**	**414.48**	**975.57**
100.00		विद्युत परियोजनाओं से	00.00	-		विद्युत परियोजनाओं से	-	-	-
61.36		सरकारी कर्मचारियों से	74.11	108.05		सरकारी कर्मचारियों से	115.67	-	115.67
323.81		अन्य से	59.06	860.17		अन्य को	445.42	414.48	859.90
3,508.15	**VI**	**अधोनीत राजस्व अधिशेष**	**6,984.53**	**-**	**VI**	**अधोनीत राजस्व घाटा**	**-**	**-**	**-**
21,394.08	**VII**	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**19,652.30**	**7,383.08**	**VII**	**लोक ऋण की अदायगी**	**-**	**-**	**8,287.61**
		बाह्य ऋण		-		बाह्य ऋण			
20,316.84		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अत्याहरण से भिन्न आंतरिक ऋण	19,336.67	5,368.83		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अत्याहरण से भिन्न आंतरिक ऋण			6,973.02
713.88		अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत शुद्ध लेन देन	-	713.88		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अत्याहरण से भिन्न आंतरिक ऋण	-	-	-
-		ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन देन	-	-		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अत्याहरण से भिन्न आंतरिक ऋण	-	-	-
363.36		केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	315.63	1,300.37		केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	-	-	1,314.59
-	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**	-	-	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**	-	-	-
Nil	**IX**	**आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरित राशि**	**39.89**	**39.90**	**IX**	**आकस्मिकता निधि से व्यय**	-	-	**309.64**
1,27,649.22	**X**	**लोक लेखा प्राप्तियां**	**1,38,449.36**	**1,17,472.99**	**X**	**लोक लेखा संवितरण**			**1,30,970.76**
9,857.02		अल्पबचतें एवं भविष्यनिधियां इत्यादि	9,539.26	4,986.05		अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां इत्यादि	-	-	5,908.99

8,576.84		आरक्षित निधियां	10,255.12	6,238.19		आरक्षित निधियां	-	-	4,767.87
75,906.97		उचन्त एवं विविध	89,398.38	75,149.69		उचन्त एवं विविध			88,790.15
17,747.96		प्रेषण	18,705.74	17,381.23		प्रेषण			18,914.42
15,560.43		जमा तथा अग्रिम	10,550.86	13,717.83		जमा तथा अग्रिम			12,589.33
	XI	**भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंतिम अवशेष**	**-**	**10,304.99**	**XI**	**अंतिम रोकड़ शेष**			**13,446.70**
				#		कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			#
				414.63		रिजर्व बैंक में जमा	-	-	(-) 619.34
				12.55		स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			13.32
				9,877.81		रोकड़ शेष निवेश			14,052.72
1,56,441.98		**योग**	**3,06,433.94**	**1,56,441.98**		**योग**			**3,06,433.94**

(#) 'र एक लाख से कम धनराशि'

परिशिष्ट 1.4

वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना

(संदर्भः प्रस्तर 1.4; पृष्ठ 6)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि(+)/ घाटा (-)	वृद्धि(+)/घाटा (-) *प्रतिशत* में
1	2	3	4	5 (4-3)	6
राजस्व प्राप्तियां जिसमें	**1,31,428.70**	**1,37,622.09**	**1,30,869.70**	**(-)6,752.39**	**(-)4.91**
कर राजस्व	**50,334.19**	**50,866.44**	**52,613.43**	**1,746.99**	**3.43**
बिक्री व्यापार आदि पर कर	32,000.00	31,564.12	33,107.34	1,543.22	4.89
राज्य आबकारी	8,124.08	8,252.69	8,139.20	(-)113.49	(-)1.38
परिवहन कर	2,329.95	2,535.98	2,375.86	(-)160.12	(-)6.31
स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	6,993.99	7,629.50	7,694.41	64.91	0.85
माल भाड़ा एवं यात्रियों पर कर	-	-	4.81	4.81	100.00
भू–राजस्व	245.87	245.87	490.68	244.81	99.57
अन्य कर	640.30	638.28	801.13	162.85	25.51
करेत्तर राजस्व	**12,111.56**	**13,559.81**	**10,145.30**	(-)3,414.51	(-)25.18
ब्याज प्राप्तियां	914.13	924.55	789.22	-135.33	(-)14.64
विविध सामान्य सेवाएं	4,216.01	4,522.75	4,035.23	(-)487.52	(-)10.78
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	900.00	900.00	593.28	(-)306.72	(-)34.08
अन्य करेत्तर राजस्व	6,081.42	7,212.51	4,727.57	(-)2,484.94	(-)34.45
राजस्व व्यय जिसमें	**48,275.18**	**51,919.54**	**50,350.95**	(-)1,568.59	(-)3.02
सामान्य सेवाएं	**20,707.77**	**21,276.30**	**17,760.02**	(-)3,516.28	(-)16.53
प्रशासनिक सेवाएं	**1,25,793.66**	**1,29,645.54**	**1,23,885.17**	(-)5,760.37	(-)4.44
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं	**52,545.87**	**52,787.37**	**52,946.91**	159.54	0.30
ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	10,460.67	10,862.95	10,390.68	(-)472.27	(-)4.35
राजकोषीय सेवाएं	13,787.84	13,782.87	14,157.32	374.45	2.72
सरकार के अंग	23,768.56	23,513.77	24,107.57	593.80	2.53
सामाजिक सेवाएं	2,832.77	2,866.72	2,815.72	(-)51	(-)1.78
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,696.03	1,761.06	1,475.62	(-)285.44	(-)16.21
समाज कल्याण एवं पोषण	**49,091.76**	**51,259.27**	**47,390.94**	(-)3,868.33	(-)7.55
कल्याण एवं पोषण	27,221.01	27,843.87	25,975.04	(-)1,868.83	(-)6.71
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,497.51	10,885.86	9,779.27	(-)1,106.59	(-)10.17
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	3,154.75	3,175.49	3,382.44	206.95	6.52

सूचना एवं प्रसारण	6,042.93	6,060.76	5,770.08	(-)290.68	(-)4.80
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	2,482.97	2,415.63	1,895.04	(-)520.59	(-)21.55
सूचना एवं प्रसारण	145.36	145.36	84.51	(-)60.85	(-)41.86
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	471.20	655.24	441.88	(-)213.36	(-)32.56
अन्य	76.03	77.06	62.68	(-)14.38	(-)18.66
आर्थिक सेवाएं	**18,847.78**	**20,290.65**	**18,292.21**	(-)1,998.44	(-)9.85
कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	4,003.05	4,501.15	3,651.55	(-)849.60	(-)18.87
ग्राम्य विकास	4,063.27	4,814.57	4,529.51	(-)285.06	(-)5.92
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	316.46	113.38	60.96	(-)52.42	(-)46.23
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4,801.14	4,801.14	4,009.32	(-)791.82	(-)16.49
शक्ति	3,019.42	3,521.22	3,535.54	14.32	0.41
उद्योग एवं खनिज	510.91	406.20	319.72	(-)86.48	(-)21.29
यातायात एवं संचार	1,843.89	1,841.27	1,943.87	102.60	5.57
विज्ञान तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी	34.24	34.74	30.66	(-)4.08	(-)11.74
सामान्य आर्थिक सेवाएं	255.40	256.98	211.08	(-)45.9	(-)17.86
सहायक अनुदान एवं अंशदान	**5,308.25**	**5,308.25**	**5,255.10**	(-)53.15	(-)1.00
पूंजीगत व्यय जिसमें	**24,343.18**	**25,959.72**	**21,573.96**	(-)4,385.76	(-)16.89
सामान्य सेवाएं	**1,566.82**	**1,864.88**	**1,143.62**	(-)721.26	(-)38.68
सामाजिक सेवाएं	**6,078.94**	**6,835.25**	**5,187.14**	(-)1,648.11	(-)24.11
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	600.74	662.82	331.16	(-)331.66	(-)50.04
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,205.87	1,262.87	942.39	(-)320.48	(-)25.38
जलआपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	3,450.97	4,144.47	3,551.41	(-)593.06	(-)14.31
अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	148.11	148.11	46.70	(-)101.41	(-)68.47
समाज कल्याण	586.88	527.61	240.09	(-)287.52	(-)54.49
अन्य सामाजिक सेवाएं	86.37	89.37	75.39	(-)13.98	(-)15.64
आर्थिक सेवाएं	**16,697.42**	**17,259.59**	**15,243.20**	(-)**2,016.39**	(-)**11.68**
कृषि तथा अन्य क्रिया सम्बद्ध क्रियाकलाप	38.70	110.46	**(-) 127.38**	(-)237.84	215.32
ग्राम्य विकास	2,069.30	2,948.53	2,755.84	(-)192.69	(-)6.54
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1,980.11	1,995.57	1,480.80	(-)514.77	(-)25.80
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,551.34	2,944.19	2,124.87	(-)819.32	(-)27.83
शक्ति	4,107.00	3,737.00	4,314.36	577.36	15.45
उद्योग एवं खनिज	8.00	8.00	3.57	(-)4.43	(-)55.38
यातायात एवं संचार	4,876.87	5,449.74	4,651.20	(-)798.54	(-)14.65
विज्ञान तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी	-	-	-	0	0.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	66.10	66.10	39.94	(-)26.16	(-)39.58
राजस्व वृद्धि (+)/कमी (–)	**(+) 5,635**	**(+) 7,977**	**(+) 6,984**	**(-) 993**	**(-) 12.45**
राजकोषीय घाटा (–)	**(-) 18,960**	**(-) 18,686**	**(-) 15,433**	**3,253**	**17.41**
प्राथमिक वृद्धि (+)/कमी (–)	**(-) 3,977**	**(-) 3,772**	**(+) 48**	**3,820**	**101.27**

परिशिष्ट 1.5

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े

(संदर्भः प्रस्तर 1.6.1; पृष्ठ 12)

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग अ. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**68,672**	**77,831**	**96,421**	**1,11,184**	**1,30,869**
(i) कर राजस्व	*24,959(36)*	*28,659 (37)*	33,878(35)	41,110(37)	52,613 (40)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	*15,023(60)*	*17,482 (61)*	20,825 (62)	24,837(60)	33,107 (63)
राज्य आबकारी	*3,948(16)*	*4,720 (17)*	5,666 (17)	6,723(16)	8,139 (15)
वाहन पर कर	*1,146(05)*	*1,125 (4)*	1,404 (4)	1,817(4)	2,376 (4)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	*3,977(16)*	*4,138 (14)*	4,562 (13)	5,975(15)	7,694 (15)
भू–राजस्व	*393(2)*	*549 (2)*	663 (2)	1,134(3)	491 (1)
माल तथा यात्री कर	110	*266(1)*	271 (1)	242(1)	5 (0)
अन्य कर	*362(1)*	*379 (1)*	487 (1)	382(1)	801 (2)
(ii) करेतर राजस्व	*5,816(08)*	*6,767 (8)*	13,601(14)	11,176(10)	10,145 (8)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	*29,288(43)*	*30,906 (40)*	31,797 (33)	43,464(39)	50,351 (38)
(iv)भारत सरकार से सहायता अनुदान	*8,609(13)*	*11,499 (15)*	17,146 (18)	15,434(14)	17,760 (14)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**449**	**778**	**293**	**485**	**133**
4. कुल राजस्व एवं ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**69,121**	**78,609**	**96,714**	**1,11,669**	**1,31,002**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**9,079**	**16,760**	**22,489**	**21,394**	**19,652**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर)	*8,710(96)*	*16,339 (97)*	22,206 (99)	20,317 (95)	19,336 (98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन–देन	-	-	-	714(3)	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	*369(04)*	421 (3)	283 (1)	363(2)	316 (2)
6.समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**78,200**	**95,369**	**1,19,203**	**1,33,063**	**1,50,654**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	**604**	**171**	**83**	-	**40**
8. लोकनिधि प्राप्तियां	**77,870**	**1,04,252**	**99,908**	**1,27,649**	**1,38,449**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**1,56,674**	**1,99,792**	**2,19,194**	**2,60,712**	**2,89,143**
भाग ब. व्यय/वितरण					
10. राजस्व व्यय	**65,223(79)**	**75,969 (77)**	**89,374 (77)**	**1,07,676(83)**	**1,23,885 (84)**
आयोजनागत	*11,744(18)*	*17,291 (23)*	15,701(18)	21,040(20)	22,616 (18)
आयोजनेतर	*53,479(82)*	*58,678 (77)*	73,673 (82)	86,636(80)	1,01,269 (82)
सामान्य सेवाए (ब्याज भुगतान सहित)	*26,551(41)*	*29,769 (39)*	40,641(45)	48,019(45)	52,947 (43)
सामाजिक सेवाएं	*23,086(35)*	*28,546 (37)*	32,064 (36)	39,567(37)	47,391 (38)
आर्थिक सेवाएं	*12,037(18)*	*14,150 (19)*	13,308 (15)	15,725(15)	18,292 (15)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	*3,549(6)*	*3,504 (5)*	3,360 (4)	4,365(4)	5,255 (4)
11. पूंजीगत व्यय	**16,950 (20)**	**22,346 (22)**	**25,091 (22)**	**20,273(16)**	**21,574 (15)**
आयोजनागत	*13,720(81)*	18,088 (81)	19,224 (77)	19,581(97)	20,735 (96)
आयोजनेतर	*3,230(19)*	4,258 (19)	5,867 (23)	692(3)	839 (4)

सामान्य सेवाएं	*575(3)*	841 (4)	611 (2)	1,002(5)	1,144 (5)
सामाजिक सेवाएं	*2,113(13)*	2,946 (13)	4,702 (19)	4,796(24)	5,187 (24)
आर्थिक सेवाएं	*14,262(84)*	18,559 (83)	19,778 (79)	14,475(71)	15,243 (71)
12.ऋण एवं अग्रिमों का भुगतान	**742(1)**	**807 (1)**	**942 (1)**	**968(1)**	**976(1)**
13. योग (10+11+12)	**82,915**	**99,122**	**1,15,407**	**1,28,917**	**1,46,435**
14.लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**5,369**	**6,776**	**7,669**	**7,383**	**8,288**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	*4,179(78)*	5,577(82)	6,469 (84)	5,369(73)	6,973 (84)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन–देन	-	-	-	714(10)	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	*1,190(22)*	1,199 (18)	1,200 (16)	1,300(17)	1,315 (16)
15.आकस्मिकता निधि से विनियोग	**-**	-	**-**	**-**	**-**
16.समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	**88,284**	**1,05,898**	**1,23,076**	**1,36,300**	**1,54,723**
17.आकस्मिकता निधि संवितरण	**117**	**-**	**-**	**40**	**310**
18.लोक लेखा संवितरण	**68,560**	**1,00,027**	**1,01,780**	**1,17,473**	**1,30,971**
19.राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**1,56,961**	**2,05,925**	**2,24,856**	**2,53,813**	**2,86,004**
भाग स. घाटा					
20. राजस्व घाटा (–) आधिक्य (+)(1–10)	**(+)3,449**	**(+)1,862**	**(+) 7,047**	**(+)3,508**	**(+)6,984**
21. राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+)(4–13)	**(-)13,794**	**(-)20,513**	**(-)18,693**	**(-)17,248**	**(-) 15,433**
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	**(-)2,974**	**(-)9,138**	**(-) 6,705**	**(-)3,032**	**(+) 48**
भाग द. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**10,820**	**11,375**	**11,988**	**14,216**	**15,481**
24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, इत्यादि	**15,360**	**15,822**	**18,120**	**30,683**	**39,214**
25. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट का लाभ (दिवसों की संख्या)					**-**
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**
ओवर ड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	**3,57,557**[3]	**4,12,151**[4]	**4,91,302**[5]	**5,88,467**[6]	**6,87,836**[7]
28. राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	**1,74,248**	**1,87,411**	**2,01,720**	**2,24,785**	**2,43,229**
29. बकाया प्रतिभूतियां (वर्षान्त) ब्याज सहित	**12,736**	**16,084**	**20,038**	**20,162**	**21,752**
30. प्रतिभूति की गयी अधिकतम धनराशि(वर्षान्त)	**18,144**	**27,892**	**29,311**	**29,778**	**29,629**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**53**	**98**	**126**	**119**	**183**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	**5,863**	**4,598**	**880.85**	**2,735**	**2,453**

[3] 2007–08 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अस्थाई आंकड़े है।
[4] 2008–09 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्विक आंकड़े है।
[5] 2009–10 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम आंकड़े हैं।
[6] 2010–11 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्विक आंकड़े है।
[7] 2011–12 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम आंकड़े हैं।

भाग य. राजकोषीय स्थिति के सूचक					
I. संसाधनों का संग्रहण					
स्वकर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.98	6.95	6.90	6.99	7.65
करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.63	1.64	2.77	1.90	1.47
केन्द्रीय स्थानान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	8.19	7.50	6.47	7.39	7.32
II. व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	23.19	24.05	23.49	21.91	21.29
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	120.74	127.36	119.69	115.95	111.89
राजस्व व्यय/कुल व्यय	78.66	76.64	77.44	83.52	84.60
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	30	32	32	34	36
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	32	33	29	23	23
राजस्व व्यय/कुल व्यय	20	23	22	16	15
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय/कुल व्यय	20	22	21	15	14
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य) सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-	-	-	-	
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)3.86	(-)4.98	(-)3.80	(-)2.93	(-) 2.24
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)0.83	(-)2.22	(-)1.36	(-)0.52	(+) 0.007
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	--	--	--	--	--
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.06	(-) 2.31	(-) 1.01	(-)1.82	(-) 1.24
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	49	45	41	38	35
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	254	241	209	202	186
प्राथमिक घाटा के साथ प्र–मात्रा विस्तार	(+)4,664	(+)8,426	(+)17,733	(+)23,413	(+) 23,134
ऋण मोचन (कुल ब्याज) कुल ऋण प्राप्ति	97	96	96	84	94
V. राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
निवेश पर प्रतिफल	1.05	1.26	0.84	26.81	38.17
चालू राजस्व से अवशेष (₹ करोड़ में)	12,536	13,960	14,422	19,530	24,864
वित्तीय परिसम्पत्तियां/दायित्व	0.63	0.66	0.72	0.77	0.81

कोष्टक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।
@शासन द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के आंकड़ों को अपनाया गया है।

1.6 स्वयं का कर राजस्व एवं करेतर राजस्व वर्ष 2007-12 के लिए

(संदर्भः प्रस्तर 1.6.2; पृष्ठ 14)

(₹ करोड़ में)

(अ) स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2007-12 के लिए						
शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक
बिक्री व्यापार आदि पर कर	15,023	17,482	20,825	24,837	31,564	33,107
राज्य आबकारी	3,948	4,720	5,666	6,723	8,253	8,139
परिवहन कर	1,146	1,125	1,404	1,817	2,536	2,376
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	3,977	4,138	4,562	5,975	7,629	7,694
भू–राजस्व	393	549	663	1,134	246	491
माल–भाड़ा एवं यात्रियों पर कर	110	266	271	242	-	5
अन्य कर	362	379	487	382	638	801
योग	**24,959**	**28,659**	**33,878**	**41,110**	**50,866**	**52,613**

स्रोतः - वित्त लेखे

(₹करोड़ में)

(ब) करेतर राजस्व वर्ष 2007-12 के लिए						
शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	1,258	1,013	631	716	924	827
सामान्य सेवायें	1,511	2,120	8,482	5,807	4,523	4,907
सामाजिक सेवायें	1,451	1,829	2,622	3,019	5,245	2,662
आर्थिक सेवायें	1,596	1,805	1,866	1,634	2,868	1,749
योग	**5,816**	**6,767**	**13,601**	**11,176**	**13,560**	**10,145**

स्रोतः - वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.7

अपरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 1.7.5; पृष्ठ 29)

पंचायती राज संस्थाओं की इकाइयों के नाम	अपरीक्षित इकाइयाँ		संपरीक्षित इकाइयाँ		अवशेष (प्रतिशत में)	
	चालू वर्ष हेतु प्रस्तावित	विगत वर्षों में अवशेष	चालू वर्ष के सापेक्ष	अवशेष के सापेक्ष	चालू वर्ष के सापेक्ष	अवशेष के सापेक्ष
2009-10						
जिला पंचायत	70	173	29	58	41(59)	115 (66)
क्षेत्र पंचायत	810	6,113	73	291	737 (91)	5,822 (95)
ग्राम पंचायत	51,977	2,27,641	23,988	28,670	27,989 (54)	1,98,971
2010-11						
जिला पंचायत	70	156	30	36	40 (57)	120 (77)
क्षेत्र पंचायत	809	6,559	58	194	751 (93)	6,365 (97)
ग्राम पंचायत	51,944	2,26,960	19,820	15,485	32,124 (62)	2,11,475 (93)
2011-12						
जिला पंचायत	71	160	30	33	41 (58)	127 (79)
क्षेत्र पंचायत	819	7,116	115	402	704 (86)	6,714 (94)
ग्राम पंचायत	51,257	2,43,599	24,929	19,578	26,328 (51)	2,24,021 (92)

स्रोत –सम्पादन–I की आपत्ति पुस्तक

परिशिष्ट 1.8

अवशेष लेखापरीक्षा प्रस्तरों का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 1.7.5; पृष्ठ 29)

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रस्तरों का प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान प्रस्तरों में वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारित प्रस्तर		अवशेष प्रस्तर	
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
2005-06 से 2007-08	2007-08 तक के प्रस्तरों की संख्या और मूल्य				-	-	8146	28,128.92
2008-09	8146	28,128.92	1779	22,615.28	-	-	9925	50,744.20
2009-10	9925	50,744.20	2771	38,679.91	-	-	12696	89,424.11
2010-11	12696	89,424.11	1308	16,219.90	-	-	14004	1,05,644.01
2011-12	14004	1,05,644.01	2033	24,237.45	-	-	16037	1,29,881.46

स्रोतः सम्पादन–I की आपत्ति पुस्तक

परिशिष्ट 1.9

31 मार्च 2012 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार

(संदर्भः प्रस्तर 1.10.1; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

31.03.2011 को	देयताएं		31.03.2012 को
1,28,024.97	**आंतरिक ऋण**		**1,40,388.62**
65,003.77	ब्याज भारित बाजार ऋण	77,837.61	
2.86	ब्याज भार रहित बाजार ऋण	3.21	
24.55	जीवन बीमा निगम से ऋण	18.91	
63,024.48	अन्य संस्थानों से ऋण	62,559.58	
(-)30.69	अर्थोपाय अग्रिम	-30.69	
-	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	-	
18509.83	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**17,510.87**
9.96	1984–85 से पहले का ऋण	9.96	
108.88	आयोजनेतर ऋण	101.29	
18,170.44	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	17,201.43	
0.84	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.80	
218.28	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए ऋण	195.96	
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43	
600.00	**आकस्मिक निधि**	-	**600.00**
34,099.98	**अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि**	-	**37,730.24**
18,054.02	**जमा**	-	**16,015.72**
26,096.44	**आरक्षित निधियां**	-	**31,583.69**
642.25	**प्रेषण शेष**	-	**433.57**
2,26,027.49	**योग**		**2,44,262.71**
	परिसम्पत्तियां		
1,56,865.38	**अचल सम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**	-	**1,78,439.34**
38,272.54	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	42,607.07	
1,18,592.84	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,35,832.27	
39.90	**आकस्मिकता निधि (असमायोजित)**	-	**309.64**
10,145.58	**ऋण एवं अग्रिम**	-	**10,987.99**
2,681.49	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	2,681.49	
7,333.30	अन्य विकास ऋण	8,134.14	
130.79	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	172.36	
45.20	**आरक्षित निधियों में निवेश**	-	**45.20**
8.94	**अग्रिम**	-	**9.11**
(-)3,946.99	**उचन्त एवं विविध शेष**	-	**(-) 4,555.23**
10,304.99	**रोकड़**	-	**13,446.70**
-	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
414.63	रिजर्व बैंक में जमा	-619.34	
12.13	विभागीय रोकड़ शेष सहित	12.90	
0.42	स्थाई अग्रिम	00.42	
9877.81	रोकड़ शेष निवेश	14,052.72	
52,564.49	**सरकारी लेखों में घाटा**	-	**45,579.96**
56,072.64	(i) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	52,564.49	
3,508.15	(ii) **घटाना:** वर्तमान वर्ष में राजस्व वृद्धि	6,984.53	
2,26,027.49	**योग**		**2,44,262.71**

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.9 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती प्रदर्शकों में संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते है, सरकारी लेखे में घाटे जैसा कि **परिशिष्ट 1.9** में प्रदर्शित है रोकड़ की स्थिति अंकित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लंबित समाधान सम्मिलित है। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच **₹ 220-51 करोड़ (निवल डेबिट)** का अन्तर था।

परिशिष्ट

2.1 अनुदानों/विनियोगों का विवरण,जहां प्रत्येक में बचत ₹10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ 50)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग (₹ करोड़ में)	बचत (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
		राजस्व –दत्तमत			
1.	**1**	आबकारी विभाग	115.74	15.09	**13**
2.	**2**	आवास विभाग	159.54	56.16	**35**
3.	**7**	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	233.00	201.77	**87**
4.	**10**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	152.77	11.75	**8**
5.	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,787.08	766.36	**28**
6.	**12**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	447.97	234.47	**52**
7.	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,197.87	134.32	**6**
8.	**14**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2,732.44	211.62	**8**
9.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	435.36	34.21	**8**
10.	**17**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	59.18	11.10	**19**
11.	**18**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	423.18	18.95	**4**
12.	**23**	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	147.88	36.76	**25**
13.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	7,330.43	54.74	**1**
14.	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	110.53	21.19	**19**
15.	**31**	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	958.61	10.91	**1**
16.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	2,551.85	145.70	**6**
17.	**33**	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा)	382.43	17.97	**5**
18.	**35**	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	1,433.47	34.80	**2**
19.	**36**	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	398.13	52.60	**13**
20.	**37**	नगर विकास विभाग	1,116.01	625.51	**56**
21.	**40**	नियोजन विभाग	487.34	365.46	**75**
22.	**42**	न्याय विभाग	1,223.73	172.36	**14**
23.	**44**	पर्यटन विभाग	20.75	4.77	**23**
24.	**45**	पर्यावरण विभाग	6.47	3.08	**48**
25.	**46**	प्राशासनिक सुधार विभाग	8.27	1.68	**20**
26.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	351.09	34.95	**10**
27.	**48**	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	689.66	13.69	**2**
28.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4,016.17	636.10	**16**
29.	**50**	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	473.19	32.62	**7**
30.	**51**	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	2,145.01	397.38	**19**
31.	**52**	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	1,710.52	69.90	**4**
32.	**54**	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,219.35	238.54	**20**
33.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	5,817.10	59.73	**1**

34.	**63**	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	159.30	36.54	**23**
35.	**68**	विधान सभा सचिवालय	76.44	10.49	**14**
36.	**71**	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	19,678.40	888.00	**5**
37.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	7,239.71	582.87	**8**
38.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,115.20	745.76	**35**
39.	**75**	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	103.97	35.90	**35**
40.	**76**	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	538.01	356.82	**66**
41.	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	434.33	77.54	**18**
42.	**80**	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	3,455.81	130.06	**4**
43.	**81**	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	69.94	33.64	**48**
44.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	6,740.80	792.46	**12**
45.	**84**	सामान्य प्रशासन विभाग	196.59	46.26	**24**
46.	**86**	सूचना विभाग	144.81	61.14	**42**
47.	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,095.85	504.35	**24**
48.	**95**	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2,014.26	18.03	**1**
49.	**19**	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	8.33	3.49	**42**
		योग	**87,413.87**	**9,049.59**	**--**
		राजस्व –भारित			
1.	**1**	आबकारी विभाग	0.20	0.20	**100**
2.	**3**	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.04	0.02	**50**
3.	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.15	0.06	**40**
4.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.14	0.03	**21**
5.	**25**	गृह विभाग (कारागार)	0.10	0.10	**100**
6.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	0.75	0.40	**53**
7.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	0.20	0.09	**45**
8.	**35**	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.15	0.04	**27**
9.	**36**	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.01	0.01	**100**
10.	**42**	न्याय विभाग	237.94	65.73	**28**
11.	**54**	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	0.03	**75**
12.	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	0.05	0.05	**100**
13.	**67**	विधान परिषद सचिवालय	0.54	0.26	**48**
14.	**68**	विधान सभा सचिवालय	0.72	0.27	**38**
15.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	0.02	**67**
16.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	0.01	0.01	**100**
17.	**95**	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.50	0.47	**94**
		योग	**241.57**	**67.79**	**--**

पूंजीगत –दत्तमत					
1.	**2**	आवास विभाग	1,138.64	195.03	**17**
2.	**3**	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2.16	1.16	**54**
3.	**4**	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	7.00	1.94	**28**
4.	**7**	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	156.12	50.91	**33**
5.	**9**	उर्जा विभाग	4,149.00	114.64	**3**
6.	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (कृषि)	749.81	100.86	**13**
7.	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (ग्राम्य विकास)	1,463.99	191.83	**13**
8.	**14**	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (पंचायती राज)	593.42	24.13	**4**
9.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (पशुधन)	20.50	7.88	**38**
10.	**19**	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	5.84	5.84	**100**
11.	**21**	खाद्य एवं रसद विभाग	8,774.34	1811.79	**21**
12.	**25**	गृह विभाग (कारागार)	392.60	188.10	**48**
13.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	874.56	488.36	**56**
14.	**27**	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	15.12	11.12	**74**
15.	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंान तथा अन्य व्यय)	0.30	0.30	**100**
16.	**31**	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	541.91	29.21	**5**
17.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	491.57	147.14	**30**
18.	**34**	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	1.81	0.42	**23**
19.	**37**	नगर विकास विभाग	2,292.00	261.76	**11**
20.	**38**	नागरिक उड्डयन विभाग	76.40	35.00	**46**
21.	**40**	नियोजन विभाग	1,407.42	659.52	**47**
22.	**42**	न्याय विभाग	260.78	78.43	**30**
23.	**44**	पर्यटन विभाग	66.69	24.65	**37**
24.	**46**	प्राशासनिक सुधार विभाग	7.50	7.50	**100**
25.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	202.95	53.48	**26**
26.	**48**	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	524.81	373.36	**71**
27.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	3.00	2.25	**75**
28.	**51**	राजस्व विभाग (दैवी आपदा के सम्बन्ध में राहत)	10.00	4.21	**42**
29.	**53**	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.01	0.01	**100**
30.	**56**	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	220.00	111.32	**51**
31.	**57**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	1,419.33	310.23	**22**
32.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	519.00	401.78	**77**
33.	**62**	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	150.00	74.83	**50**
34.	**63**	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	15.10	6.43	**43**
35.	**65**	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि)	0.04	0.02	**50**
36.	**67**	विधान परिषद सचिवालय	0.14	0.14	**100**
37.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	161.82	127.86	**79**
38.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	71.50	19.28	**27**
39.	**75**	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	0.10	0.10	**100**
40.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	97.58	13.82	**14**

41.	**81**	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	39.68	31.55	**80**
42.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4,872.19	415.46	**9**
43.	**87**	सैनिक कल्याण विभाग	1.03	0.27	**26**
44.	**91**	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	3.48	0.96	**28**
45.	**92**	संस्कृति विभाग	33.35	30.28	**91**
46.	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,317.97	734.86	**22**
		योग	**35,152.56**	**7.150.02**	**--**
		पूंजीगत – भारित			
1.	**9**	उर्जा विभाग	49.48	49.48	**100**
2.	**21**	खाद्य विभाग	1,200.04	110.04	**9**
3.	**42**	न्याय विभाग	18.08	13.56	**75**
4.	**52**	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.11	0.11	**100**
5.	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5.50	2.09	**38**
6.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	17,209.86	9,999.25	**58**
7.	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	30.00	24.72	**82**
		योग	**18,513.07**	**10,199.25**	**--**
		महायोग	**1,41,321.07**	**26,466.65**	

परिशिष्ट 2.2

अनुदान/विनियोग, जहां प्रत्येक के अन्तर्गत व्यय ₹10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.3; पृष्ठ 53)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
		राजस्व–दत्तमत			
1	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	1,704.95	1,811.72	**6**
2	**62**	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	10,634.41	11,089.87	**4**
		योग	**12,339.36**	**12,901.59**	**--**
		राजस्व–भारित			
1	**23**	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.02	0.05	**150**
2	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	23,462.69	23,790.98	**1**
3	**62**	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	16.52	28.15	**70**
		योग	**23,479.23**	**23,819.18**	**--**
		पूंजीगत–दत्तमत			
1	**55**	लोक निर्माण विभाग (भवन)	50.93	105.47	**107**
2	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	3,393.67	4,462.04	**31**
		योग	**3,444.6**	**4,567.51**	**--**
		महायोग	**39,263.19**	**41,288.28**	**--**

2.3 विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक हुए व्यय के विनियमितीकरण की आवश्यकता

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.4; पृष्ठ 54)

वर्ष	अनुदान / विनियोग का नाम	अनुदान / विनियोग की संख्या	आधिक्य की धनराशि (₹ करोड़ में)
2005-06	25- अनुदान 4-विनियोग	राजस्व–दत्तमत- 8, 12, 19, 53, 55, 57, 58, 72 पूंजीगत–दत्तमत- 15, 16, 18, 23, 24, 33, 34, 37, 38, 40, 55, 56, 57, 58, 73, 75, 96 राजस्व–भारित- 1, 52 पूंजीगत–भारित- 52, 55	1,026.78
2006-07	18- अनुदान 6-विनियोग	राजस्व–दत्तमत - 9, 13, 55, 58, 61, 62, 73, 91, 95 पूंजीगत–दत्तमत- 3, 16, 31, 37, 55, , 57, 58, 89, 96, राजस्व–भारित- 2, 3, 10, 52, 62, 89	2,484.47
2007-08	12- अनुदान 2-विनियोग	राजस्व–दत्तमत- 51,55,57,58,62 पूंजीगत–दत्तमत- 13,16,55,58,63,83,96 राजस्व–भारित- 51,66	3,610.65
2008-09	5-अनुदान 1-विनियोग	राजस्व–दत्तमत- 62,96 पूंजीगत–दत्तमत- 55,58,96 राजस्व–भारित-52	3,399.42
2009-10	6-अनुदान 4-विनियोग	राजस्व–दत्तमत- 58 पूंजीगत–दत्तमत- 1,16, 55, 58, 59 राजस्व–भारित- 3, 10, 16, 48, 52, 66	1,250.16
2010-11	6-अनुदान 4- विनियोग	राजस्व–दत्तमत-30, 51, 91 पूंजीगत–दत्तमत-10, 55, 58 राजस्व–भारित- 10, 23, 61, 82	1,702.62
		योग	**13,474.10**

परिशिष्ट

2.4 प्रकरण, जिनमें पूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं.	अनुदान/विभाग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के विरूद्ध बचत
राजस्व –दत्तमत						
1.	**3**	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	110.37	103.52	0.95	6.85
2.	**10**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	147.34	141.02	5.43	6.32
3.	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,486.58	2,020.72	300.50	465.86
4.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	430.96	401.15	4.40	29.81
5.	**22**	खेल विभाग	42.74	42.18	2.97	0.56
6.	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	107.84	89.34	2.70	18.50
7.	**33**	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा)	381.27	364.46	1.17	16.81
8.	**37**	नगर विकास विभाग	1,112.10	490.50	3.91	621.60
9.	**40**	नियोजन विभाग	486.10	121.88	1.24	364.22
10.	**42**	न्याय विभाग	1,147.73	1,051.37	76.00	96.36
11.	**45**	पर्यावरण विभाग	5.97	3.39	0.50	2.58
12.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	348.64	316.13	2.45	32.51
13.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	3,520.40	3,380.07	495.77	140.33
14.	**52**	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	1,659.15	1,640.62	51.37	18.53
15.	**60**	वन विभाग	355.13	353.37	3.11	1.76
16.	**63**	वित्त विभाग(कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	158.30	122.76	1.00	35.54
17.	**65**	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि)	147.37	142.69	1.00	4.68
18.	**68**	विधान सभा सचिवालय	75.94	65.95	0.51	9.99
19.	**71**	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	18,881.00	18,790.40	797.40	90.60
20.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,074.17	1,369.44	41.03	704.73
21.	**75**	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	96.07	68.07	7.90	28.00
22.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1,412.42	1,406.81	2.94	5.61
23.	**80**	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	3,394.05	3,325.75	61.76	68.30
24.	**81**	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	39.34	36.30	30.60	3.04
25.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	6,163.03	5,948.34	577.77	214.69
		योग	**44,784.01**	**41,796.23**	**2,474.38**	**2,987.78**

राजस्व–भारित						
26.	**42**	न्याय विभाग	187.94	172.21	50.00	15.73
		योग	**187.94**	**172.21**	**50.00**	**15.73**
पूंजीगत–दत्तमत						
27.	**2**	आवास विभाग	1,072.64	943.62	66.00	129.03
28.	**7**	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	154.30	105.21	1.82	49.09
29.	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	687.72	648.95	62.10	38.76
30.	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,313.99	1,272.16	150.00	41.83
31.	**14**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	582.19	569.29	11.23	12.90
32.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	15.03	12.62	5.47	2.41
33.	**21**	खाद्य विभाग	8,770.58	6,962.55	3.76	1,808.03
34.	**22**	खेल विभाग	38.50	38.17	0.80	0.34
35.	**25**	गृह विभाग (कारागार)	390.10	204.50	2.50	185.60
36.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	604.21	386.20	270.35	218.01
37.	**27**	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	13.62	3.99	1.50	9.62
38.	**33**	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा)	31.23	29.69	1.00	1.54
39.	**40**	नियोजन विभाग	1,050.56	747.90	356.86	302.66
40.	**42**	न्याय विभाग	210.78	182.35	50.00	28.43
41.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	180.69	149.47	22.26	31.21
42.	**57**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	1,262.42	1,109.10	156.91	153.32
43.	**60**	वन विभाग	122.37	121.53	4.20	0.85
44.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	119.80	33.96	42.03	85.84
45.	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,306.65	2,583.11	11.32	723.54
		योग	**19,927.38**	**16,104.37**	**1,220.11**	**3,823.01**
		महायोग	**64,899.33**	**58,072.81**	**3,744.49**	**6,826.50**

परिशिष्ट 2.5

अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में ₹ दो करोड़ से अधिक को पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	पूरक अनुदान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	आधिक्य
राजस्व –दत्तमत							
1	**91**	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	138.48	1.94	140.42	149.66	9.24
पूंजीगत– दत्तमत							
2	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	2,817.43	575.95	3,393.38	4,462.04	1,068.66
		महायोग	**2,955.91**	**577.89**	**3,533.80**	**4,611.70**	**1,077.90**

परिशिष्ट 2.6

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ 55)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य	बचत
1.	1	आबकारी विभाग	2039-001-03	381.06	1.19	0
2.			2039-001-04	34.00	0	2.37
3.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-800-13	100.00	25.73	0
4.	9	उर्जा विभाग	2045-103-03	319.00	5.51	0
5.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (कृषि)	2401-001-03	200.00	0	7.52
6.			2401-001-05	360.00	0	27.72
7.			2401-103-03	154.75	0	6.89
8.			2401-109-03	347.67	0	34.61
9.			2402-101-03	319.32	2.72	0
10.			2415-120-12	140.00	0	18.75
11.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (ग्राम्य विकास)	2702-005-03	400.00	0	126.64
12.			2515-003-03	203.49	0	64.91
13.			2515-102-03	1,813.50	125.56	00
14.			2515-102-04	94.26	0	11.38
15.			2515-102-06	644.59	0	67.68
16.			2515-800-01	2,566.28	0	3.01
17.			5054-337-03	7.65	0	0.01
18.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (पंचायती राज)	2515-101-09	14.64	0	0.01
19.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (पशुधन)	2403-101-01	136.11	0	2,189.06
20.			2403-800-06	150.06	0	489.94
21.			4403-101-03	19.92	0	5.51
22.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (दुग्धशाला विकास)	2404-102-01	108.02	0	235.34
23.	21	खाद्य तथा रसद विभाग	4408-001-03	1,216.61	29.70	0
24.	25	गृह विभाग (कारागार)	2056-001-03	2.00	1.93	0
25.			2056-101-03	81.02	0	9.32
26.			4059-051-03	2,067.09	0	44.67
27.			4074-800-14	41.17	0	0.01
28.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-003-04	107.80	0	1,481.88

29.			2055-101-04	39.20	0	251.34
30.			2055-109-03	2,716.87	0	1,950.61
31.			2055-800-07	0.85	0	27.41
32.			2070-108-03	1,287.99	0	266.03
33.			2070-800-04	29.31	0	30.80
34.			2055-104-03	9,306.52	0	761.61
35.			2055-108-03	134.30	0	50.31
36.			2055-109-04	2,810.17	296.56	0
37.			2055-109-05	1,763.98	0	585.05
38.			2055-109-07	879.00	0	317.18
39.			2055-111-03	629.10	3.26	0
40.			2055-113-04	148.81	0	43.38
41.			2055-115-03	202.05	0	179.32
42.			2055-116-03	5.40	46.77	0
43.			2235-200-03	252.80	275.97	0
44.			2235-200-10	100.00	79.04	0
45.			2235-800-04	10.00	0	1.73
46.	**27**	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2070-107-06	1,817.02	0	42.24
47.			2070-107-07	1,438.92	0	28.90
48.			2070-800-03	17.54	0	0.07
49.	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	2251-092-03	0.50	0	13.69
50.			2251-200-04	16.65	0	0.12
51.			3055-190-03	30.33	0	0.07
52.	**29**	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालयनागरिक)	2012-090-03	15.54	0	4.20
53.			2012-800-03	6.74	6.27	0
54.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	2210-110-04	1,206.81	0	8,083.51
55.			2210-800-03	.58	0	455.44
56.			2211-200-04	1,750.02	0	965.33
57.	**37**	नगर विकास विभाग	2053-094-04	38.50	0	18.41
58.			2215-800-01	1,061.67	0	0.01
59.			2215-800-01	343.00	0	239.01
60.			2030-101-01	6,121.65	0	2.58
61.			4215-106-01	1,639.71	1,926.85	0
62.			4215-191-03	3,000.00	1,577.15	0
63.	**38**	नागरिक उड्डयन विभाग	5053-800-13	133.35	0	133.35
64.	**41**	निर्वाचन विभाग	2015-103-05	860.29	8.99	0
65.			2015-105-03	73.74	0	8.52

66.	42	न्याय विभाग	2014-114-03	44.13	.28	0
67.			2014-800-06	170.45	0	67.91
68.			2014-800-12	2,490.00	373.48	0
69.			2071-800-03	100.00	0	25.48
70.			2235-200-04	81.17	2.41	0
71.			2014-102-03	412.33	90.19	0
72.			4059-051-04	162.14	0	24.02
73.	45	पर्यावरण विभाग	3435-001-03	9.61	0	16.75
74.	46	प्राशासनिक विभाग	2052-091-03	14.72	0.08	0
75.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-103-19	39.45	0	39.46
76.			2203-104-24	35.29	0	0.03
77.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-800-01	2,052.92	0	303.22
78.			2225-800-03	2,500.00	0	36.11
79.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-102-08	2.50	19.39	0
80.	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	2052-090-03	24.00	0	11.61
81.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2029-800-05	1,322.53	0	2,954.17
82.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2059-001-04	2656	7,061.59	0
83.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-051-23	152.81	0	51.82
84.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	5054-101-97	232.31	0	232.31
85.			5054-101-36	1,678.00	1,102.04	0
86.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5054-337-64	4,000.00	0	3,122.36
87.			5054-337-77	1,400.00	7.58	0
88.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2013-800-03	80.00	0	22.71
89.			2059-053-04	30.37	0	0.08
90.			2052-090-03	318.17	0	16.10
91.			2059-053-03	79.10	0	0.30
92.			4059-051-04	177.23	0	7.12
93.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	2049-123-04	8,171.14	0	0.03
94.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2054-097-04	9.00	0	0.01
95.	65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि)	2054-098-03	163.00	0	9.16
96.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-001-04	2,137.34	0	493.94
97.			2202-102-15	1,614.00	0	455.30
98.			2202-104-03	500.00	190.69	0

99.			2202-800-03	3.65	130.36	0
100.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-001-03	4.58	342.62	0
101.			2202-001-04	379.97	9.33	0
102.			2202-800-20	1,524.68	30,982.55	0
103.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-103-03	400.00	0	4.59
104.	**75**	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-003-08	12.00	0	0.26
105.			2202-003-15	49.99	0	0.60
106.			2202-800-01	21.50	0	3.17
107.	**76**	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2210-102-05	21.91	0	8.33
108.			2230-800-04	29.11	5.36	0
109.	**77**	श्रम विभाग (सेवायोजन)	2230-001-03	0.28	7.14	0
110.	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	2251-090-03	25.00	0	1,241.34
111.			2013-104-03	87.00	0	11.73
112.			2052-090-04	8.00	0	3.48
113.			2220-800-03	30.00	0	0.06
114.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2235-101-06	102.39	0	29.02
115.			2235-101-14	209.71	0	89.03
116.			4235-101-19	2,000.00	0	60.30
117.	**80**	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2225-001-03	10.00	11.33	
118.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2217-789-01	1,061.72	0	5.00
119.			2225-789-01	640.00	32,584.65	0
120.			4210-789-04	99.90	0	78.47
121.			5054-789-05	77,477.18	0	288.40
122.	**86**	सूचना विभाग	2220-101-05	2.23	0	5,618.13
123.			2220-102-03	6.83	14.04	0
124.			2220-106-03	16.02	23.91	0
125.			2220-110-03	600.00	0	0.01
126.	**89**	संस्थागत वित्त विभाग(वाणिज्य कर)	2040-800-06	14.61	0	10.41
127.	**90**	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजीकर)	2045-101-03	112.65	5.92	0
128.	**91**	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-001-04	289.50	0	274.50
129.			2030-001-03	16.10	302.99	0
130.	**92**	संस्कृति विभाग	2205-104-01	10.00	0	12.15
131.			2205-103-03	21.00	0	10.71
132.	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	4700-051-10	296.11	0	7,869.96
133.			4700-09-050-10	300.15	0	591.24

134.			4711-103-03	25.00	0	627.12
135.			4700-051-12	1,933.84	0	901.26
136.			4700-051-11	100.00	0	0.02
137.			4700-050-15-10	299.53	0	116.36
138.			4700-051-11	460.92	0	308.87
139.			4700-051-10	637.13	0	152.90
140.			4701-051-12	156.93	4.47	0
141.			4701-050-10	90.53	0	0.45
142.			4701-051-10	897.25	0	0.99
143.			4701-051-10	2,365.33	0	0.08
144.			4701-051-10	183.00	0	0.04
145.			4701-050-10	705.47	0	411.69
146.			4711103-06	397.00	0	253.20
147.			4711103-09	574.74	0	380.35
148.	**95**	सिंचाई विभाग (स्थापना)	2701-001-05	575.87	503.35	0
			योग	**1,80,064.19**	**78,188.95**	**46,541.67**

परिशिष्ट 2.7

वर्ष 2011-12 में अत्याधिक धनराशियों का समर्पण

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ 55)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	अभ्यर्पित धनराशि	अभ्यर्पित धनराशि (*प्रतिशत* में)
1.	1	आबकारी विभाग	2039-001-04 जिला कार्यकारिणी की स्थापना	20.00	19.61	98
2.			4059-051-03 आबकारी विभाग में कार्यालय और गोदाम के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	140.50	81.9	58
3.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2853-004-06 खनिज विकास योजनाएँ	100.00	85.73	86
4.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-800-04 (अन्य व्यय)निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेस वे योजना	1,500.00	1,500	100
5.			2852-800-04 (अन्य व्यय)न्यायिक मसलों का परिचालन	40.00	27.86	70
6.			2852-800-06 (अन्य व्यय)पी.पी.पी. परियोजना आदि में निवेश एवं निजीकरण	700.00	350	50
7.			2852-800-10 भारी औद्योगिक निवेश नीति आदि के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन	18,000.00	18,000	100
8.			6860-190-07 विभिन्न विविध व्ययों हेतु आई.टी.आर.कम्पनी, बरेली को ऋण	9.00	4.99	55
9.			6885-190-04 प्रांतीय औद्योगिक निवेश आदि को ऋण	100.00	85.53	86
10.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-103-01 बीज हेतु केन्द्रीय योजना	1,643.19	877.79	53
11.			2401-103-04 प्रमाणित बीज हेतु अनुदान	6,600.84	3,441.33	52
12.			2401-103-05 संकर बीज उत्पादन में वृद्धि हेतु योजना	3,000.00	2,790.96	93
13.			2401-110-01 फसल बीमा हेतु केन्द्रीय योजना	582.16	401.48	69
14.			2401-110-01 भारतीय कृषीय बीमा कम्पनी लि0 को फसल बीमा के किस्तों का भुगतान	5,012.83	3,102.51	62
15.			2401-111- फसल उत्पादन आदि पर कृषीय अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीय ऑकड़े बैंक	518.06	289.97	56
16.			2401-113-01 कृषीय अभियांत्रिकी पर केन्द्रीय योजनाएँ	18.60	17.04	92
17.			2401-800-01 अन्य व्यय– केन्द्रीय योजनाएँ	118.44	118.44	100
18.			2401-800-03 अन्य व्यय– राष्ट्रीय कृषि विकास	47,900.93	26,222.67	55
19.			2402-102-03 बुंदेलखंड में सिंचाई एवं वर्षा जल संचय योजना	6,173.66	5,415.27	88

20.			2402-102-05 मृदा उर्वरता को बढ़ाना	6,744.00	5,669.17	84
21.			2402-103-06 मृदा के सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने तथा भूमि समुन्नति हेतु जिप्सम का वितरण	1,748.00	1,217.09	70
22.			2415-120-23 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रम	300.00	300	100
23.			2415-120-24 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि विस्तार	200.00	200	100
24.			2415-120-25 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से संचालित योजनाएँ	800.00	621	78
25.			2415-120-26 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से संचालित योजनाएँ	170.69	170.69	100
26.			2402-101-05 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशाला का सशक्तिकरण	575.00	395	69
27.			4401-103-01 केन्द्रीय योजना–कृषि अर्थव्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	1,025.00	1,025	100
28.			4401-105-04 राष्ट्रीय योजना – मृदा की गुणवत्ता एवं उर्वरता के प्रबंधन हेतु कृषि अर्थव्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	243.25	243.25	100
29.			4401-107-04 कीट आदि नियंत्रण–कृषि अर्थव्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	500.00	490.92	98
30.			4401-190- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–कृषि अर्थव्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	1,000.00	894.34	89
31.			4415-277-16 कृषि विद्यालय, फैजाबाद में वी0आई0पी0 अतिथि गृह का निर्माण	218.96	218.96	100
32.			4415-277-28 कृषि तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय फैजाबाद	3,866.23	2,861.48	74
33.	**14**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-04 प्रादेशिक रक्षक दल	95.00	58.9	62
34.			2204-104-03 ग्रामीण खेल एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता संगठन (जिला योजना)	56.00	28	50
35.			2204-800-03 राष्ट्रीय निर्माण एवं सामाजिक कार्यक्रमों में युवाओं की सहभागिता	54.00	27.93	52
36.			2204-800-04 लोक जागरूकता कार्यक्रम	16.00	8	50
37.			4070-800-03 ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण	18.00	18	100
38.	**23**	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2401-109-01 केन्द्रीय योजनाएँ	680.00	680	100
39.			2401-001-03 गन्ना आयुक्त की स्थापना	1.50	0.76	51
40.	**24**	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2852-201-05 चीनी विशेष निधि यू0पी0 आदि, को भुगतान	360.00	188.98	52
41.	**33**	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा)	4210-800-06 यूनानी महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय	61.00	61	100
42.	**38**	नागरिक उड्डयन विभाग	5053-800-03 हेलीकाप्टर/वायुयान की खरीद	3,500.00	3,500	100
43.	**41**	निर्वाचन विभाग	2015-103-04 विधान परिषद	5.50	5.38	98
44.			2015-105-04 उप चुनाव	130.81	127.67	98

45.			2015-106-07 विधान सभा चुनाव क्षेत्र में कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति का आकास्मिक बीमा	50.00	28.5	57
46.			2015-106-09 उप चुनाव/विधान सभा में कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति का आकास्मिक बीमा	10.00	5	50
47.	**42**	न्याय विभाग	2014-105-01 केन्द्रीय योजनाएँ	500.02	500.02	100
48.			2014-105-1013वीं वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन	8,638.00	7,568.32	88
49.			2235-200-1013वींवित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन	844.74	697.98	83
50.			2014-102-04 13वींवित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन	31.00	26.54	86
51.			2014-800-12 अवशेषों का भुगतान	1,636.91	1,097.39	67
52.			4059-051-04 उच्च न्यायालय में निर्माण कार्य	1,807.85	1,379.51	76
53.	**46**	प्राशासनिक सुधार विभाग	4059-051-01 केन्द्रीय योजनाएँ	750.00	750	100
54.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2053-093-03 कलेक्टरी की स्थापना	15.00	10.78	72
55.	**52**	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2049-101-03 प्रतिपूर्ति बंधपत्र एवं स्टॉक प्रमाण पर व्याज	0.10	0.1	100
56.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	2235-200-03 मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता	100.00	58.87	59
57.			4070-800-03 सर्वेक्षण सम्भाव्यता प्रतिवेदन, डी0पी0आर0 आदि पर व्यय	5,000.00	5,000	100
58.			6003-110-03 अर्थोपाय अग्रिम का पुर्नभुगतान	10,00,000.00	9,99,841.21	100
59.	**63**	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2054-800-04 मिशन प्रणाली योजना	100.00	100	100
60.			4059-051-03 राज्य के विभिन्न राजकोषों में विविध निर्माण एवं नवीयन कार्य	1,146.43	591.76	52
61.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-107-11 माध्यमिक स्तर तक के ग्रामीणों क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	24.00	18.9	79
62.			2202-107-13 उच्च विद्यालय और इण्टर विद्यालय में छात्रवृत्ति की दरों में वृद्वि	40.00	30.28	76
63.			2202-107-18 राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कक्षा 6 से 8 तक, 15% प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिए अर्हता छात्रवृत्ति	45.00	45	100
64.			2202-110-05 सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए शैक्षिक परिभ्रमण	5.00	5	100
65.			2202-110-08 अशासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों को मानदेय भुगतान हेतु व्यवस्था	50.00	50	100
66.			2204-102-05 माध्यमिक विद्यालयों(जिला योजना) में स्काउट योजना का विस्तार	11.00	6.22	57
67.			4202-202-16 वर्तमान जिला राजकीय पुस्तकालय	10.50	10.5	100

68.			2202-102-42 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को उपलब्ध हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु अनुदान	25.00	25	100
69.			2202-104-06 राज्य में सहायता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय में संगोष्ठी और परिसंवाद	16.50	9.5	58
70.			2202-800-05 अवशेषों का भुगतान	80,066.20	74,319.41	93
71.			2202-800-08 बाह्य सभा एवं संगोष्ठी में सहभागी शिक्षको हेतु अनुदान	5.00	5	100
72.			2204-102-03 विद्यार्थी कल्याण निधि द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों हेतु अनुदान	20.00	20	100
73.			2202-102-01 केन्दीय योजनाएँ	0.02	0.02	100
74.			2202-102-03 इलाहाबाद विश्वविद्यालय	0.01	0.01	100
75.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	4202-203-04 नये शासकीय डिग्री महाविद्यालय की स्थापना	500.00	370	74
76.			4202-203-06 क्षेत्रीया उच्च शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु भूमि की खरीद/भवन निर्माण	100.00	100	100
77.			4202-203-16 राजकीय विश्वविद्यालय में वर्तमान निर्माण कार्य एवं अन्य विकास हेतु अनुदान	500.00	500	100
78.			4202-203-19 राजकीय विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार	800.00	443.91	55
79.			4202-203-23 शासकीय स्नातक/परा स्नातक डिग्री महाविद्यालय में आनलाइन शिक्षा का संचालन	500.00	500	100
80.			4202-203-24 पंचशील डिग्री महाविद्यालय	100.00	100	100
81.	**75**	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-201-01 केन्द्रीय योजनाएँ	10.03	10.03	100
82.	**76**	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-111-03 यू0पी0भवन और कारीगर कल्याण निधि से सम्बन्धित निर्माण में व्यय	17,700.00	17,700	100
83.			2230-797-03 आरक्षित निधि एवं जमा खाता–यू0पी0भवन तथा कारीगर कल्याण निधि से सम्बद्ध अन्य निर्माण में या से हस्तान्तरण	17,700.00	17,700	100
84.	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	2075-104-03 विशेष सम्मान	5.00	5	100
85.			2215-796-03अनुसूचित जनजाति हेतु जलापूर्ति कार्यक्रम	275.00	206.25	75
86.			2225-796-01 केन्द्रीय योजनाएँ	921.90	817.81	89
87.	**81**	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2225-796-07 राज्य मे रह रहे जनजाति जो वर्तमान में अनुसूचित जाति में समावेशित है, को सहायक अनुदान	20.00	14.35	72
88.			2225-796-08 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास	22.95	12.12	53
89.			2225-796-10 पुस्तक बैंक योजना के अधीन मुक्त पाठ्यक्रम पुस्तक के लिए अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु अनुदान	10.00	7.24	72

90.			2225-796-12 अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए वर्दी एवं साइकिल हेतु अनुदान	50.00	29.03	58
91.			2230-796-03 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले क्षेत्र में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	41.13	41.13	100
92.			2235-796-04 समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत अनुपोषित कार्यक्रम (केन्द्र 50% राज्य 50%) में राज्य सरकार द्वारा दिया गया पोषण	10.00	7.54	75
93.			2235-796-03 मुख्य मंत्री ''महामाया गरीब आर्थिक मदद'' योजना, उ0प्र0	2,410.01	1,325.91	55
94.			2215-796-01 केन्द्रीय योजनाएँ	22.50	12.55	56
95.			4225-796-01 केन्द्रीय योजनाएँ	3,745.06	3,145.06	84
96.			2070-789-03 प्रांतीय रक्षक दल का सशक्तिकरण	200.00	126.2	63
97.			2210-02-789-03 शासकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय	97.48	97.48	100
98.			2210-04-789-03 शासकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय	294.20	294.2	100
99.			2225-01-789-07 अनुसूचितजातियों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु स्वैच्छिक संस्थानों को अनुदान	30.00	30	100
100.			2225-01-789-09 शासकीय छात्रावासों/आश्रमनूमा शासकीय विद्यालयों का अनुरक्षण	500.00	334.28	67
101.			2225-01-789-11 कक्षा 9 और 10 के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए अनावर्तन सहायता छात्रवृत्ति	400.00	400	100
102.			2225-01-789-13 विभिन्न वर्गो के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण और कम्प्यूटरीकरण	250.00	128.38	51
103.		समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2225-80-789-03 कोल जाति हेतु विशेष उत्थान कार्यक्रम	679.50	679.5	100
104.	**83**		2230-02-789-03 अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों हेतु शैक्षिक एवं मार्गदर्शन केन्द्र	146.25	108.26	74
105.			2230-03-789-03 आई0टी0आई0 अलीगंज, लखनऊ में प्रांतीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र	96.55	93.76	97
106.			2230-03-789-05 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्प–कालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण	86.87	69.24	80
107.			2401-789-07 औद्यानिक विकास कार्यक्रम	300.00	150.43	50
108.			2506-789-01 केन्द्रीय योजनाएँ	10.00	8.79	88
109.			2515-789-01 केन्द्रीय योजनाएँ	4,977.50	3,289.02	66
110.			4202-01-789-03 अम्बेडकर ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालयों का सशक्तिकरण	8,788.00	5,276.19	60
111.			4202-02-789- अनुसूचित जाति बाहुल्य जनपदों में शासकीय पॉलिटक्नीक की स्थापना	254.26	254.26	100
112.			4202-03-789-03 अनुसूचित जाति के युवाओं हेतु ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण	200.00	200	100

113.			4210-03-789-04 शासकीय एलोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज	245.01	245.01	100
114.			4210-03-789-05 शासकीय एलोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, ओरई,जालौन	245.01	245.01	100
115.			4210-03-789-06 परा चिकित्सा महाविद्यालय, झांसी	6,500.01	6,500.01	100
116.			4210-03-789-07 शासकीय एलोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, सहारनपुर	5,000.01	5,000.01	100
117.			4225-01-789-03 अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लि0,उत्तर प्रदेश में पूँजी निवेश	3,181.38	3,116.38	98
118.			4225-01-789-05 शासकीय आश्रमनूमा विद्यालयों का कक्षा 12 तक उच्चीकरण	400.00	400	100
119.			4225-01-789-08 स्वैच्छिक संस्थानों /विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों/ अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु छात्रावास	100.00	100	100
120.			4225-01-789-09 अनुशिक्षण केन्द्र हेतु भवन का निर्माण	200.00	200	100
121.			4225-01-789-10 अत्यधिक पिछड़े अनुसूचित जाति के लिए समेकित विकास योजना	750.00	499.74	67
122.			4225-80-789-03 कोल जाति हेतु विशेष उत्थान कार्यक्रम	355.00	355	100
123.			4702-789-03 चौधरी चरण सिंह नलकूप परियोजना (नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित)	0.01	0.01	100
124.	**84**	सामान्य प्रशासन विभाग	2070-800-04 उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद	11.53	6.88	60
125.			3475-800-04 लोक उद्यम विभाग(लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ)	14.18	7.64	54
126.	**86**	सूचना विभाग	2220-60-103-03 प्रेस सूचना सेवा कार्यक्रम	53.04	33.2	63
127.			2220-60-800-07 फिल्म विकास निधि की स्थापना	50.00	50	100
128.			2220-60-800-08 सम्माननीय कांशीराम स्मरण समारोह	400.00	283.25	71
129.	**89**	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2040-800-05 व्यवस्थापन आयोग की स्थापना	55.85	45.29	81
130.			2040-800-03 वाणिज्यिक–कर आयुक्त की स्थापना	10.00	6.84	68
131.	**91**	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2030-02-001-03 स्थापना	78.17	47.3	61
132.	**92**	संस्कृति विभाग	2205-800-11 कला और संस्कृति शिक्षा, लोक परम्परा की दृश्याभिलेखबद्ध करने,योग्य विद्यार्थियों एवं वृद्ध कलाकारों हेतु आर्थिक सहायता योजना	20.00	20	100
			योग	**12,95,918.82**	**12,45,794.91**	

परिशिष्ट 2.8

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान	बचत/ आधिक्य(–)	अभ्यर्पित धनराशि	अधिक अभ्यर्पित धनराशि
		राजस्व –दत्तमत				
1	**41**	निर्वाचन विभाग	104.65	2.57	8.16	**5.59**
2	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,115.20	745.76	751.18	**5.42**
3	**91**	संस्थागत वित्त विभाग* (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	140.42	(-) 9.24	3.96	**13.19**
		कुल योग	**2,360.27**	**739.09**	**763.30**	**24.20**
		राजस्व –भारित				
4	**42**	न्याय विभाग	237.94	65.73	66.54	**0.81**
5	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)*	23,462.69	(-) 328.29	106.43	**434.72**
		कुल योग	**23,700.63**	**(-)262.56**	**172.97**	**435.53**
		पूंजीगत –दत्तमत				
6	**1**	आबकारी विभाग*	1.41	(-) 0.47	0.82	**1.29**
7	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	749.81	100.86	103.94	**3.08**
		कुल योग	**751.22**	**100.39**	**104.76**	**4.37**
		महायोग	**26,812.12**	**576.92**	**1,041.03**	**464.10**

* इन अनुदानों/विनियोगों में अधिक व्यय के बाद भी धनराशि अभ्यर्पित की गई।

परिशिष्ट 2.9

अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 55)

I – अनुदान				
क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत (₹ करोड़ में)	
			राजस्व	पूँजीगत
1.	**2**	आवास विकास	56.16	195.03
2.	**10**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	11.75	0.00
3.	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.00	191.83
4.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	34.21	7.88
5.	**16**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	1.76	0.00
6.	**17**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	11.10	0.00
7.	**19**	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	3.49	5.84
8.	**22**	खेल विभाग	3.54	1.14
9.	**25**	गृह विभाग (कारागार)	0.11	188.10
10.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	54.74	488.36
11.	**27**	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	6.73	11.12
12.	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	21.19	0.30
13.	**31**	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	10.91	29.21
14.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	145.70	147.14
15.	**34**	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	3.32	0.42
16.	**36**	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	52.59	0.00
17.	**37**	नगर विकास विभाग	625.51	0.00
18.	**39**	भाषा विभाग	0.62	0.00
19.	**44**	पर्यटन विभाग	4.77	24.65
20.	**45**	पर्यावरण विभाग	3.08	0.00
21.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	34.95	53.48
22.	**48**	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	13.69	373.36
23.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विकास	0.00	2.25
24.	**50**	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.00	4.21
25.	**51**	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	397.38	9.33
26.	**52**	राजस्व विभाग(राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.00	1.72
27.	**54**	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	238.54	0.00
28.	**56**	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	0.00	111.32
29.	**57**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	0.00	310.24
30.	**59**	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	0.00	2.98
31.	**60**	वन विभाग	4.87	5.05
32.	**67**	विधान परिषद सचिवालय	3.68	0.00
33.	**68**	विधान सभा सचिवालय	10.49	0.12
34.	**70**	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1.77	0·00
35.	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	0.00	0.52

36.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	8.55	13.82
37.	**80**	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	130.06	0.23
38.	**88**	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	0.30	0.00
39.	**92**	संस्कृति विभाग	4.01	30.28
40.	**94**	सिचाई विभाग (निर्माण)	504.35	734.86
41.	**95**	सिचाई विभाग (अधिष्ठान)	18.03	0.00
		योग	**2,421.95**	**3,679.65**
		II – विनियोग		
42.	**9**	उर्जा विभाग	1.19	0.00
43.	**10**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	0.01	0.00
44.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.03	0.00
45.	**20**	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	0.02	0.00
46.	**21**	खाद्य विभाग	0.00	110.04
47.	**25**	गृह विभाग (कारागार)	0.10	0.00
48.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	0.40	0.00
49.	**29**	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	0.09	0.00
50.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	0.09	0.00
51.	**36**	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.01	0.00
52.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	0.01	0.00
53.	**52**	राजस्व विभाग(राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.07	0.11
54.	**54**	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.03	0.00
55.	**55**	लोक निर्माण विभाग (भवन)	0.21	0.14
56.	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़के)	0.05	2.09
57.	**60**	वन विभाग	0.10	0.00
58.	**67**	विधान परिषद सचिवालय	0.26	0.00
59.	**68**	विधान सभा सचिवालय	0.27	0.00
60.	**94**	सिचाई विभाग (निर्माण)	0.00	24.72
61.	**95**	सिचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.47	0.00
		योग	**3.41**	**137.10**
		महायोग	**2,425.36**	**3,816.75**
		राजस्व और पूँजी का योग	**6,242.11**	

परिशिष्ट 2.10

अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना था
		राजस्व –दत्तमत			
1.	**2**	आवास विभाग	56.16	0.00	56.16
2.	**10**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	11.75	0.00	11.75
3.	**11**	कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	766.37	759.93	6.44
4.	**12**	कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	234.47	191.00	43.47
5.	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	134.31	24.26	110.06
6.	**14**	कृषि तथा अन्स सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	211.63	27.04	184.59
7.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	34.21	0.00	34.21
8.	**16**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	1.76	0.00	1.76
9.	**17**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	11.10	0.00	11.10
10.	**19**	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	3.49	0.00	3.49
11.	**22**	खेल विभाग	3.54	0.00	3.54
12.	**23**	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	36.76	34.97	1.79
13.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	54.74	0.00	54.74
14.	**27**	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	6.73	0.00	6.73
15.	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	21.19	0.00	21.19
16.	**31**	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	10.91	0.00	10.91
17.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	145.70	0.00	145.70
18.	**34**	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	3.32	0.00	3.32
19.	**35**	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	34.80	22.89	11.91
20.	**36**	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	52.59	0.00	52.59
21.	**37**	नगर विकास विभाग	625.51	0.00	625.51
22.	**40**	नियोजन विभाग	365.46	3.40	362.06
23.	**42**	न्याय विभाग	172.36	165.10	7.27
24.	**44**	पर्यटन विभाग	4.77	0.00	4.77
25.	**45**	पर्यावरण विभाग	3.08	0.00	3.08
26.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	34.95	0.00	34.95
27.	**48**	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	13.69	0.00	13.69
28.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विकास	636.11	547.18	88.93
29.	**50**	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	32.62	29.45	3.17
30.	**51**	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	397.38	0.00	397.38
31.	**52**	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	69.90	0.17	69.73
32.	**54**	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	238.54	0.00	238.54
33.	**59**	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	1.10	0.01	1.09
34.	**60**	वन विभाग	4.87	0.00	4.87
35.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	59.73	38.71	21.02

36.	**65**	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि)	5.69	4.28	1.40
37.	**67**	विधान परिषद सचिवालय	3.68	0.00	3.68
38.	**68**	विधान सभा सचिवालय	10.49	0.00	10.49
39.	**70**	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1.77	0.00	1.77
40.	**71**	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	888.00	717.85	170.15
41.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	582.87	439.68	143.19
42.	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	77.54	14.88	62.66
43.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	8.55	0.00	8.55
44.	**80**	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	130.06	0.00	130.06
45.	**81**	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	33.64	25.77	7.87
46.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	792.46	776.28	16.18
47.	**84**	सामान्य प्रशासन विभाग	46.26	44.46	1.80
48.	**86**	सूचना विभाग	61.14	5.32	55.82
49.	**92**	संस्कृति विभाग	4.11	0.00	4.11
50.	**94**	सिचाई विभाग (निर्माण)	504.35	0.00	504.35
51.	**95**	सिचाई विभाग (अधिष्ठान)	18.03	0.00	18.03
		योग	**7,664.24**	**3,872.63**	**3,791.62**
		पूंजीगत –दत्तमत			
1.	**2**	आवास विभाग	195.03	0.00	195.03
2.	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	191.83	0.00	191.83
3.	**14**	कृषि तथा अन्स सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	24.13	0.18	23.95
4.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	7.88	0.00	7.88
5.	**19**	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	5.84	0.00	5.84
6.	**21**	खाद्य एवं रसद विभाग	1811.78	8.38	1803.40
7.	**22**	खेल विभाग	1.14	0.00	1.14
8.	**25**	गृह विभाग (कारागार)	188.10	0.00	188.10
9.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	488.36	0.00	488.36
10.	**27**	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	11.12	0.00	11.12
11.	**31**	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	29.21	0.00	29.21
12.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	147.14	0.00	147.14
13.	**37**	नगर विकास विभाग	261.77	2.79	258.97
14.	**40**	नियोजन विभाग	659.52	10.00	649.52
15.	**44**	पर्यटन विभाग	24.65	0.00	24.65
16.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	53.48	0.00	53.48
17.	**48**	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	373.36	0.00	373.36
18.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विकास	2.25	0.00	2.25
19.	**50**	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	4.21	0.00	4.21
20.	**51**	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	9.33	0.00	9.33
21.	**52**	राजस्व विभाग(राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	1.72	0.00	1.72
22.	**56**	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	111.32	0.00	111.32
23.	**57**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	310.24	0.00	310.24
24.	**59**	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2.98	0.00	2.98
25.	**60**	वन विभाग	5.05	0.00	5.05

26.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	401.78	57.75	344.03
27.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	127.86	0.14	127.72
28.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	13.82	0.00	13.82
29.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	415.46	363.35	52.10
30.	**92**	संस्कृति विभाग	30.28	0.00	30.28
31.	**94**	सिचाई विभाग (निर्माण)	734.86	0.00	734.86
		योग	**6,645.5**	**442.59**	**6,202.89**
		राजस्व –भारित			
32.	9	उर्जा विभाग	1.19	0.00	1.19
		योग	**1.19**	**0.00**	**1.19**
		पूंजीगत – भारित			
33.	**21**	खाद्य विभाग	110.04	0.00	110.04
34.	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	2.09	0.00	2.09
35.	**94**	सिचाई विभाग (निर्माण)	24.72	0.00	24.72
		योग	**136.85**	**0.0**	**136.85**
		महायोग	**14,447.78**	**4,315.22**	**10,132.55**

परिशिष्ट

2.11 वेतन एवं भत्तों के लिए अपरिशुद्ध बजट अनुमान

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.5.3; पृष्ठ 60)

(₹करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की अवधि में बजट प्रावधान	व्यय	वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित बचत (कोष्ठक में प्रतिशत)
माध्यमिक शिक्षा विभाग			
2007-08	2,671.85	2,628.91	42.94 (2)
2008-09	3,208.43	3,114.10	94.33 (3)
2009-10	4,037.08	3,842.96	194.12 (5)
2010-11	5,924.19	5,129.24	794.96 (13)
2011-12	5,842.33	5,376.87	465.47 (8)
योग	**21,683.88**	**20,092.08**	**1,591.82 (7)**
नगर विकास विभाग			
2007-08	1.66	1.50	0.16 (10)
2008-09	1.72	1.52	0.20 (12)
2009-10	2.19	1.84	0.36 (16)
2010-11	2.17	2.05	0.12 (6)
2011-12	2.47	2.25	0.22 (9)
योग	**10.21**	**9.16**	**1.06 (10)**
जनजातीय कल्याण विभाग			
2007-08	4.27	1.61	2.88 (68)
2008-09	4.82	1.66	3.12 (65)
2009-10	5.64	2.36	3.16 (56)
2010-11	6.59	3.20	1.95 (30)
2011-12	4.12	2.95	0.57 (14)
योग	**25.44**	**11.78**	**11.89 (47)**
गृह (पुलिस) विभाग			
2007-08	2,927.56	2,923.16	4.40 (1)
2008-09	3,683.74	3,602.25	80.38 (2)
2009-10	5,258.80	5,226.41	32.38 (1)
2010-11	6,021.37	5,980.86	40.51 (1)
2011-12	6,605.27	6,563.39	29.95 (1)
योग	**24,496.74**	**24,296.07**	**187.62 (0.76)**
सिंचाई विभाग			
2007-08	1,044.14	1,001.16	42.49 (4)
2008-09	1,196.56	1,187.09	47.46 (4)
2009-10	1,779.27	1,455.53	73.81 (4)
2010-11	1,636.88	1,599.97	0.81 (-)
2011-12	1,896.96	1,896.96	-
योग	**7,553.81**	**7,140.71**	**164.57 (0.01)**
महायोग	**53,770.08**	**51,549.80**	**1,956.96 (3.64)**

स्रोत: विभागीय आकड़े

2.12 वेतन के अतिरिक्त अपरिशुद्ध बजट प्राक्कलन

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.5.4; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की अवधि में बजट प्रावधान	वर्ष की अवधि में व्यय	वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित बचत (कोष्ठक में प्रतिशत)
माध्यमिक शिक्षा विभाग			
2007-08	207.06	173.90	33.16 (12)
2008-09	495.85	275.81	220.05 (44)
2009-10	859.93	779.38	80.54 (9)
2010-11	741.44	735.76	18.06 (2)
2011-12	1,352.09	1,201.79	150.30 (11)
योग	**3,656.37**	**3,166.64**	**502.11 (14)**
नगर विकास विभाग			
2007-08	257.22	243.18	14.04 (5)
2008-09	200.00	188.80	11.20 (6)
2009-10	1,103.00	706.45	396.55 (36)
2010-11	1,456.84	895.45	519.43 (36)
2011-12	1,668.69	1,557.35	111.34 (7)
योग	**4,685.75**	**3,591.23**	**1,052.56 (22)**
जनजातीय कल्याण विभाग			
2007-08	26.41	13.91	12.28 (46)
2008-09	26.77	16.20	10.62 (40)
2009-10	27.60	15.35	12.37 (45)
2010-11	23.90	13.26	12.08 (51)
2011-12	24.18	14.02	10.77 (43)
योग	**128.86**	**72.74**	**58.12 (45)**
गृह विभाग (पुलिस)			
2007-08	631.59	583.01	48.58 (8)
2008-09	719.52	625.65	90.97 (13)
2009-10	998.35	804.77	193.57 (19)
2010-11	1,422.60	1,015.66	406.94 (29)
2011-12	1,851.66	1,333.81	529.78 (29)
योग	**5,623.72**	**4,362.90**	**1,269.84 (23)**
सिंचाई विभाग			
2007-08	2,107.24	2,051.17	56.07 (3)
2008-09	2,423.17	2,388.21	34.96 (2)
2009-10	2,657.79	2,005.09	652.70 (25)
2010-11	4,202.57	2,465.95	1,736.62 (41)
2011-12	3,339.05	2,050.52	1,288.53 (39)
योग	**14,729.82**	**10,960.94**	**3,768.87 (26)**
महायोग	**28,824.52**	**22,154.45**	**6,651.50 (23)**

परिशिष्ट

2.13 राजस्व प्राप्तियों का अपरिशुद्ध अनुमान

(संदर्भः प्रस्तर 2.5.5; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट में अनुमानित राजस्व प्राप्ति	वास्तविक प्राप्ति	आधिक्य (+)/कमी का अनुमान (कोष्ठक में आधिक्य कमी का प्रतिशत)
माध्यमिक शिक्षा विभाग			
2007-08	52.34	54.99	(+) 2.65 (5)
2008-09	55.54	58.44	(+) 2.90 (5)
2009-10	64.12	61.97	(-) 2.15 (3)
2010-11	63.11	68.51	(+) 5.40 (9)
2011-12	64.57	81.84	(+) 17.27 (27)
योग	**299.68**	**325.75**	**निवल (+) 26.07 (9)**
गृह विभाग (पुलिस)			
2007-08	367.15	147.17	(-) 219.98 (60)
2008-09	261.07	160.59	(-) 100.48 (39)
2009-10	246.11	118.43	(-) 127.68 (52)
2010-11	246.84	177.53	(-) 69.31 (28)
2011-12	308.22	196.41	(-) 111.01 (36)
योग	**1,429.39**	**800.13**	**निवल (-) 628.46 (44)**
सिंचाई विभाग			
2007-08	216.14	351.59	(+) 135.45 (62)
2008-09	229.10	285.33	(+) 56.23 (25)
2009-10	166.81	261.75	(+) 94.94 (57)
2010-11	580.18	186.44	(-) 393.74 (68)
2011-12	616.25	197.92	(-) 418.33 (68)
योग	**1,808.48**	**1,283.03**	**निवल (-) 525.45 (29)**
महायोग	**3,537.55**	**2,408.91**	**निवल (-) 1,127.84 (32)**

स्रोतः विभागीय आकड़े

परिशिष्ट

2.14 व्यय का निष्कर्ष

(संदर्भः प्रस्तर 2.6.3; पृष्ठ 62)

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	यू0आई0जी0		यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0	
			लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
जल आपूर्ति						
1	जल कार्य	सं0	7	शून्य	-	-
2	नलकूप(नए)	सं0.	245	182(74 प्रतिशत)	401	295 (74)
3	नलकूप(पुनवेधन)	सं0	102	98 (96 प्रतिशत)	29	20 (69)
4	आरोही/फीडर मुख्य	कि0मी0	413.98	73.66 (18 प्रतिशत)	224.71	132.49 (59)
5	सी0डब्लू0आर0	सं0.	175	19 (11 प्रतिशत)	46	20 (43)
6	ओ0एच0टी0	सं0	190	50 (26 प्रतिशत)	158	74 (47)
7	वितरण प्रणाली	कि0मी0	5,121.22	972.97(19 प्रतिशत)	3,266.01	2,149.02 (66)
8	अन्तरग्रही कूप	सं0			1	1 (100)
9	जल शोधन संयंत्र	सं0			1	1 (100)
10	पम्पिंग संयंत्र	सं0			466	240 (51)
मलजल निकास तंत्र						
1	मलजल शोधनसंयंत्र	सं0	10	एक(10 प्रतिशत)	6	1 (17)
2	मलजल दमकल केन्द्र	सं0	26	1(4)	9	1 (11)
3	मुख्य मोरी/शाखा मोरी	कि0मी0	2269.25	164.10 (7)	449.85	- (0)
4	आरोही मुख्य (मोरी)	कि0मी0	-	-	17.85	- (0)
अपवहन						
1	अपवाहिका नए	कि0मी0	-	-	13.95	- (0)
2	अपवाहिका पुनप्रतिरूपित	कि0मी0	-	-	7.41	- (0)
3	अपवाहिका	कि0मी0	-	-	4.41	- (0)
विप्लव जल अपवहन						
1	अपवाहिका (नए एवं पुनरोद्धारित)	कि0मी0	401.80	165.97 (41)	-	-
2	अपवाहिका (जीर्णोद्धार)	कि0मी0	30.08	-	-	-
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन						
1	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (परियोजना)	नगर	7	- (0)	19	- (0)

परिशिष्ट 2.15

ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग में मुख्य संकेतक का स्थान

(संदर्भः प्रस्तर 2.6.4; पृष्ठ 63)

नामांकन					
मद	10वीं योजना के अन्त में स्तर	10वीं योजना के दौरान प्रगति	11वीं योजना के अन्त में स्तर	ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रगति	टिप्पणी
कक्षा 9–10	57.96 लाख	24.46 लाख	68.97 लाख	11.01 लाख	11वीं योजना की अवधि में विद्यालयों में नामांकन वृद्धि 10वीं योजना की अपेक्षा 50 *प्रतिशत* कम थी
कक्षा 11–12	31.96 लाख	12.46 लाख	39.47 लाख	7.51 लाख	
विद्यालय की संख्या					
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय	5834	851	6115	281	11वीं योजना की अवधि में नये विद्यालयों की संख्या वृद्धि 10वीं योजना की अपेक्षा 33 *प्रतिशत* कम थी
कक्षा IX से XII (14–18 वर्ष) तक के सकल नामांकन अनुपात					
लड़कें	62 प्रतिशत			सकल नामांकन अनुपात 11वीं योजना के निर्धारित लक्ष्य से 65 *प्रतिशत* कम था	
लड़कियाँ	56 प्रतिशत				
योग	59 प्रतिशत				

लिंग–भेद			
वर्ष	नामांकित लड़के	नामांकित लड़कियाँ	अंतर
	(प्रतिशत में)		
2007-08	60.61	39.39	21.22
2008-09	62.94	37.06	25.88
2009-10	59.31	40.69	18.62
2010-11	55.49	44.51	10.98
2011-12	57.34	42.66	14.68

योजनाओं का निष्कर्ष				
अवधि	वित्तीय परिव्यय एवं व्यय (रैकरोड़ में)		भैतिक उपलब्धि/कार्यक्रम का निष्कर्ष	
	बजट परिव्यय/नियतित	व्यय	भैतिक लक्ष्य	उपलब्धि/निष्कर्ष
उच्च प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक उच्चीकरण				
2007-12	699.41	312.04	3753 विद्यालय	1021 (27)
माडल विद्यालय				
2007-12	446.96	184.80	200 विद्यालय	148 (74)
कन्या छात्रावास				
2007-12	8.70	-	344 छात्रावास	- (0)
ग्रामीण में निजी प्रबंध तंत्र द्वारा नए विद्यालयों की स्थापना हेतु अनार्वतन अनुदान				
2007-12	10.00	-	5000 विद्यालय	- (0)
नए शासकीय उच्च विद्याालयों की स्थापना तथा शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उच्च विद्यालय स्तर तक उच्चीकरण				
2007-12	3.43.	1.79	15 विद्यालय	6 (40)
हाईस्कूल का इंटर स्तर तक उच्चीकरण				
2007-12	149.27	101.12	257 विद्यालय	257 (100)
शासकीय विद्यालय में अतिरिक्त अनुभागों की स्थापना				
2007-12	1.26	1.00	25 विद्यालय	05 (20)
कस्तुरबा गाँधी कन्या विद्यालय का उच्च विद्यालय स्तर तक उच्चीकरण				
2007-12	13.02	-	अकार्यान्वित	
नबोदय विद्यालय के प्रतिरूप आवासीय शासकीय उच्च विद्यालय की स्थापना				
2007-12	-	-	अकार्यान्वित	

कोष्ठक के आकड़े उपलब्धि प्रतिशत दर्शाता है

स्रोतः विभागीय आकड़े

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2012 को अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्र

(संदर्भः प्रस्तर 3.1.2; पृष्ठ 67)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विभाग	अनुदान के भुगतान का वर्ष	कुल भुगतानित अनुदान		उपभोग प्रमाण–पत्र				उपभोग प्रमाण–पत्रों का अवशेष रहने का कारण
			संख्या	धनराशि	प्राप्त		अवशेष		
					संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	
1	दुग्ध विकास विभाग	2007-08	881	11,752.28	476	6,484.28	405	5,268.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2008-09	812	8,385.30	415	4,597.77	397	3,787.53	
		2009-10	552	1,082.07	321	595.46	231	486.61	
		2010-11	317	1,960.64	159	1,214.43	158	746.21	
2	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0	2009-10	09	8,494.97	8	8,376.10	1	118.87	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
3	पर्यटन विभाग	2005-06	उप.नहीं	30.00	उप.नहीं	23.24	उप. नहीं	6.76	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2006-07	उप.नहीं	45.00	उप.नहीं	36.63	उप.नहीं	8.37	
		2007-08	उप.नहीं	45.00	उप.नहीं	33.61	उप.नहीं	11.39	
		2008-09	उप.नहीं	22.50	उप.नहीं	21.28	उप.नहीं	1.22	
4	उद्योग विभाग (हथकरघा)	2007-08	उप.नहीं	264.45	उप.नहीं	155.70	उप.नहीं	108.75	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2010-11	273	198.23	263	191.64	10	6.59	
5	पर्यावरण विभाग	2009-10	03	84.34	02	4.34	1	80.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2010-11	01	2.48	शून्य	0.00	01	2.48	
6	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) अनुदान सं0–7	2010-11	27	27,056.56	25	26,996.56	02	60.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
7	समाज कल्याण विभाग	2009-10	उप.नहीं	2,23,486.98	उप.नहीं	2,18,822.11[1]	उप.नहीं	4,664.87	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2010-11	उप.नहीं	2,14,557.11	उप.नहीं	2,11,224.48[2]	उप.नहीं	3,332.63	
8	समाज कल्याण विभाग (जनजाति विकास)	2006-07	50	122.69	33	99.91	17	22.78	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2007-08	60	871.30	15	470.70	45	400.60	
		2008-09	50	859.85	13	352.87	37	506.98	
		2009-10	40	575.29	9	373.45	31	201.84	
		2010-11	44	207.08	9	26.43	35	180.65	
9	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2007-08	उप.नहीं	17,380.00	शून्य	0.00	उप.नहीं	17,380.00	लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया
		2008-09	उप.नहीं	1,82,290.94	शून्य	0.00	उप.नहीं	1,82,290.94	
		2009-10	142	93,322.90	शून्य	0.00	उप.नहीं	93,322.90	
		2010-11	उप.नहीं	1,24,739.36	शून्य	0.00	उप.नहीं	1,24,739.36	
10	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	2005-06	6	46.00	3	26.00	3	20.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2006-07	18	194.86	12	118.86	6	76.00	
11	आयुर्वेदिक सेवाएं विभाग, उ0प्र0	2010-11	01	6.87	01	6.78	शून्य	0.09	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
12	महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0	2010-11	27	2,422.50	18	224.77	09	2,197.73	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया

[1] प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्रों में ₹ 23,129.81 लाख की समर्पित धनराशि सम्मिलित।

[2] प्राप्त उपभोगप्रमाण पत्रों में ₹ 24,342.09 लाख की समर्पित धनराशि सम्मिलित।

13	निदेशक प्राविधिक शिक्षा	2010-11	उप. नहीं	287.51	उप.नहीं	144.89	उप.नहीं	142.62	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
14	नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग (राज्य नगर विकास अभिकरण)	2010-11	उप.नहीं	52,081.97	उप.नहीं	33,171.55	उप.नहीं	18,910.42	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
15	अल्प संख्यक विभाग उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ)	2006-07	3	186.35	2	176.35	1	10.00	जिलाधिकारी कार्यालय में ₹ 5–5 लाख दो दिवंगत हज यात्रियों को देने का कार्य प्रकिया में है
		2009-10	3	559.27	2	549.27	1	10.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
16	न्याय विभाग (उ0प्र0 राज्य विधि आयोग, लखनऊ)	2005-06	उप नहीं	10.40	उप.नहीं	7.93	उप.नहीं	2.47	सुनियोजित शासन एवं प्रबंधन के कारण
		2006-07	उप.नहीं	14.43	उप.नहीं	11.39	उप.नहीं	3.04	
		2007-08	उप.नहीं	3.47	उप.नहीं	1.04	उप.नहीं	2.43	
		2008-09	उप.नहीं	69.68	उप.नहीं	63.98	उप.नहीं	5.70	
		2009-10	उप.नहीं	96.70	उप.नहीं	50.71	उप.नहीं	45.99	
		2010-11	उप.नहीं	62.70	उप.नहीं	62.09	उप.नहीं	0.61	
17	भाषा विभाग	2008-09	उप.नहीं	399.67	उप.नहीं	393.53[3]	उप.नहीं	6.14	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2009-10	उप.नहीं	552.88	उप.नहीं	543.37	उप.नहीं	9.51	
18	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	2008-09	72	8.00	33	3.57	39	4.43	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2009-10	72	8.00	25	3.44	47	4.56	
		2010-11	72	8.00	24	2.07	48	5.93	
						योग	**1,525**	**4,59,194**	

[3] प्राप्त उपभोग प्रमाण–पत्रों में ₹ 14.15 लाख की समर्पित धनराशि सम्मिलित।

परिशिष्ट

3.2 स्वायत्त निकाय संस्थाओं द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 68)

क्र0 सं0	निकाय का नाम	इन्ट्रस्टमेंट की अवधि	वर्ष जब से लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	वर्ष जब तक कि पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गत की गयी	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना	लेखाओं को बिलम्ब से प्रस्तुत किया जाना	विलम्ब की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जल संस्थान, कानपुर	2001-10	2009-10	2009-10	यह विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।	-	9 माह
2	जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा	2001-10	2009-10	2009-10		-	8 माह
3	जल संस्थान, इलाहाबाद	2001-10	2009-10	2009-10		-	19 माह
4	जल संस्थान, लखनऊ	2001-10	2009-10	2009-10		-	8 माह
5	जल संस्थान, वाराणसी	2001-10	2009-10	2009-10		-	21 माह
6	जल संस्थान, झाँसी	2001-10	2009-10	2009-10		-	12 माह
7	जल संस्थान, आगरा	2001-10	2009-10	2009-10		-	11 माह
8	उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ	2004-14	2008-09	2008-09	2004-05 से 2008-09 का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान मण्डल में प्रस्तुत किया गया	2009-10, 2010-11 एवं 2011-12	2-26 माह
9	उ0प्र0 राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ	अधिनियम के प्रावधान के अनुसार	2006-07, 2007-08 एवं 2008-09	2006-07, 2007-08 एवं 2008-09	2006-07 से 2008-09 को समाप्त वर्ष का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया में है।	2009-10, 2010-11 एवं 2011-12	2-26 माह

3.3 विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशों का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 69)

क्र0 सं0	उपक्रम का नाम	लेखाओं के अंतिमीकरण का वर्ष	विगत अंतिम लेखे के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)
	सिंचाई विभाग		
1	सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ	2011-12	0.53
2	सिंचाई निर्माण खण्ड, झाँसी	2010-11	0.52
3	सिंचाई निर्माण खण्ड, बरेली	2011-12	2.36
4	सिंचाई निर्माण खण्ड, कानपुर	2011-12	0.26
5	सिंचाई निर्माण खण्ड, इलाहाबाद	2010-11	4.53
6	सिंचाई निर्माण खण्ड, गोरखपुर	2011-12	1.59
	पशुपालन विभाग		
7	राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म	2009-10	17.03
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
8	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2008-09	2,131.07
	स्वास्थ्य विभाग		
9	स्टेट फार्मेसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1987-88	0.09
	समाज कल्याण विभाग		
10	क्रिमिनल ट्राइब्स सेटलमेंट टेलरिंग फैक्ट्री, कानपुर	1979-80	0.04
		योग	**2,158.02**

3.4 दुर्विनियोग, गबन आदि के विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का ब्यौरा (जिसमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2012 तक लम्बित थी)

(संदर्भः प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 69)

(कोष्ठक में आँकड़े 'रु लाख में' प्रदर्शित हैं।)

क्र0 सं0	विभाग	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से अधिक	प्रकरणों का योग
1	कृषि विभाग	-	4 (9.09)	-	-		-	4(9.09)
2	पशुपालन विभाग	-	1(0.26)	2 (0.39)	7(4.06)	5(1.82)	1 (0.02)	16 (6.55)
3	सहकारिता विभाग	-	-	1(1.28)	1(0.17)		-	2(1.45)
4	शिक्षा विभाग	5(112.94)	-	1(5.00)	-	-	-	6(117.94)
5	मत्स्य विभाग	-	-		3(2.07)	-	-	3(2.07)
6	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	-	1(3.06)	-	1(0.3 0)	5(23.39)	2(2.03)	9(28.78)
7	सिंचाई विभाग	20(111.62)	10(0.52)	23(4.58)	3(5.33)	-	-	56(122.05)
8	न्याय विभाग	-	1(4.44)	-	-	-	-	1(4.44)
9	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3(331.78)	3(331.78)
10	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	4(5.79)	9(10.77)	-	13(16.56)
11	पुलिस विभाग	2(4.00)	-	-	1(1.21)	-	3(2.89)	6(8.10)
12	पी.ए.सी.	-	-	-	1(47.48)	1(0.51)	-	2(47.99)
13	लोक निर्माण विभाग	6(118.12)	6(36.41)	-	-	-	-	12(154.53)
14	राजस्व विभाग	2(9.29)	-	1 (1.72)	-	1(0.33)	3(6.09)	7(17. 43)
15	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	3(1.65)	4(0.73)	5(1.46)	12 (3.84)
16	समाज कल्याण विभाग	-	-	-	1(0.25)	-	2(0.70)	3(0.95)
17	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1(11.59)	-	-	-	1(11.59)
18	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	1(1.01)	-	1(1.01)
19	उद्यान विभाग	1(3.59)	-	-	-	-	-	1 (3.59)
20	वित्त विभाग	-	-	-	-	1(0.67)	-	1 (0.67)
	योग	**36 (359.56)**	**23 (53.78)**	**29 (24.56)**	**25 (68.31)**	**27 (39.23)**	**19 (344.97)**	**159 (890.41)**

परिशिष्ट

3.5 चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 69)

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		सरकारी सामग्रियों की हानि/दुर्विनियोग के प्रकरण		कुल प्रकरण	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
कृषि विभाग	1	1.47	3	7.62	4	9.09
पशुपालन विभाग	11	1.78	5	4.77	16	6.55
सहकारिता विभाग	1	1.28	1	0.17	2	1.45
शिक्षा विभाग	2	6.60	4	111.34	6	117.94
मत्स्य विभाग	0	0	3	2.07	3	2.07
खाद्य आपूर्ति विभाग	0	0	9	28.78	9	28.78
सिंचाई विभाग	47	15.54	9	106.51	56	122.05
न्याय विभाग	0	0	1	4.44	1	4.44
भूमि अध्याप्ति विभाग	0	0	3	331.78	3	331.78
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	10	12.58	3	3.98	13	16.56
पुलिस विभाग	0	0	6	8.10	6	8.10
पी.ए.सी.	0	0	2	47.99	2	47.99
लोक निर्माण विभाग	3	1.63	9	152.90	12	154.53
राजस्व विभाग	0	0	7	17.43	7	17.43
ग्राम्य विकास विभाग	5	1.38	7	2.46	12	3.84
समाज कल्याण विभाग	0	0	3	0.95	3	0.95
प्राविधिक शिक्षा विभाग	0	0	1	11.59	1	11.59
बाट एवंमाप विभाग	1	1.01	0	0	1	1.01
उद्यान विभाग	0	0	1	3.59	1	3.59
वित्त विभाग	0	0	1	0.67	1	0.67
				योग	**159**	**890.41**

परिशिष्ट 3.6

वर्ष 2011-12 में विभागवार निस्तारित/अपलिखित किए गए प्रकरणों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 70)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	गृह (पुलिस) विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	न्यायालय द्वारा शासकीय धनराशि के गबन का प्रकरण समाप्त कर दिया गया था।	एक	0.65
2	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	सितम्बर 1990 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेहना बाजार, गोण्डा के कैश चेस्ट की चोरी का प्रकरण	एक	0.32
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	जनवरी 1998 में डा0 राममनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, फर्रूखाबाद में चोरी का प्रकरण	एक	1.53
4	कृषि विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	सहायक निदेशक, मृदापरीक्षण/कल्वर, जिला वाराणसी कार्यालय में मोटरपार्ट्स् की चोरी का प्रकरण	एक	0.16
5	न्याय विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	जनपद न्यायालय आजमगढ़ में फर्जी टिकट का प्रकरण	एक	0.66
				योग	3.32

परिशिष्ट 4

शब्दावली (अतिरिक्त आँकड़े)

गणना का आधार

समीकरण	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि / सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (एक्स) की उत्प्लावकता अन्य प्राचल (वाई) के संदर्भ में	प्राचल (एक्स) की वृद्धि दर / प्राचल (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	[(वर्तमान वर्ष की धनराशि / विगत वर्ष की धनराशि)–1]x100
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान / [(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2]x100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि – आकलित ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टाक x ब्याज विस्तार
बकाया ऋण से ब्याज प्राप्ति का *प्रतिशत*	प्राप्ति ब्याज [(प्रारम्भिक अवशेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतिम अवशेष) / 2]x100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + शुद्ध ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी. सी. आर.)	राजस्व प्राप्तियां – लेखाशीर्ष 2048 – ऋण की कमी अथवा परिहार हेतु विनियोग के अंतर्गत व्यय को छोड़कर समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेतर व्यय

पदों की व्याख्या

पद	व्याख्या
उत्प्लावता अनुपात	आधारभूत चर में दिये गये परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय चर की अनुकूलता अथवा लचीलेपन को दर्शाता है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2008–09 में 0.8 राजस्व प्राप्तियों की ओर 0.8 *प्रतिशत* की वृद्धि को दर्शाता है यदि सकल राज्य घरेलू एक *प्रतिशत* की दर से बढ़ती है।
कोर पब्लिक गुडस एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी सामग्रियॉ जिनका उपभोग सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति करता है एवं किसी व्यक्ति द्वारा उस सामग्री के प्रयोग से दूसरे व्यक्ति को उस सामग्री के उपभोग पर कोई प्रभाव नही पड़ता है जैसे कानून एवं व्यवस्था का आरोहण, हमारे अधिकारों की संरक्षा एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय सामग्रियां तथा सड़क अवसंरचना इत्यादि। मेरिट गुडस ऐसी सामग्रियां हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मुफ्त या सहायतित दरों पर इसलिए उपलब्ध कराये जाते हैं, क्योंकि लोगों अथवा संस्थाओं को उन वस्तुओं की आवश्यकता है तथा जिसके भुगतान के लिए उनके पास न ही क्षमता है और न ही इच्छाशक्ति। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र उन वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देती है। उदाहरणार्थ गरीबों को पोषण प्रदान करने हेतु सहायतित या मुफ्त भोजन को उपलब्ध करना, मृत्यु दर को घटाने एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि।
विकास व्यय	व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यो पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूंजीगत परिव्यय एव ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं से विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर व्यय है।
ऋण एवं संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को परिभाषित करता है एवं संबंधित के ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्षित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने, तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थित होगा। बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो। आगणित दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर–ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण*दर विस्तार), के आधार पर यदि प्राथमिक घाटा के साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या अंततोगत्वा ऋण में स्थिरता होगी। दूसरी स्थिति में यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाय तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी एवं यदि किसी स्थिति में यह धनात्मक हो तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर–ऋणप्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती है तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी।
उधार निधियों की निबल उपलब्धता	उधार निधियों की निबल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निबल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है।

विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अंतर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) निधियों की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरूद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अंतर्गत बचत या अधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय को विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन–प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर लचीलेपन के साथ कुछ कियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर मुख्यतया ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं।
राज्य क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य सरकार द्वारा जिसमें कोई संगठन/संस्था, अशासकीय संगठनों को सम्मिलित कर राज्य में विशेष कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है राज्य क्रियान्वयन अभिकरण होते है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इत्यादि।
आकस्मिक देयतायें	किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन किया/नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
शोधन निधि	सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है।
प्रत्याभूति विमोचन निधि	राज्य के समेकित निधि पर ऋणी जिसके लिए प्रत्याभूति विस्तारित की गयी, ऋणी द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में उत्पन्न आकस्मिक प्रत्याभूति देयतायें होती है। प्रत्याभूति विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बकाया प्रत्याभूतियों के प्राप्त न हुए एवं वर्तमान वर्ष में वृद्धिमान प्रत्याभूतियों के प्राप्त न होने वाली धनराशि की स्थिति में उसके कम से कम पांचवें हिस्से के योगदान निधि में होना चाहिए।
आन्तरिक ऋण	भारत में लोगों द्वारा नियमित प्राप्त ऋणों के आंतरिक ऋण कहते है। जिसे "भारत में एकल ऋण" भी कहा जाता है यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है।
पुनर्विनियोग	मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों पर, रिपोर्ट की जाँच करें एवं यह समिति जिसकी जॉच करना आवश्यक समझें।

प्रथमाक्षरी

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
ए सी बिल	आकस्मिक सार बिल
ए ई	कुल व्यय
बी ई	बजट अनुमान
सी ए जी	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सी ई	पूँजीगत व्यय
डी सी सी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल
डी सी आर एफ	ऋण संकलन एवं राहत सुविधा
डी ई	विकास व्यय
एफ सी पी	राजकोषीय सुधार पथ
एफ आर बी एम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004
जी ओ आई	भारत सरकार
जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
आई पी	ब्याज भुगतान
एम टी एफ आर पी एस	मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति विवरण
एन पी आर ई	आयोजनेतर राजस्व व्यय
ओ एण्ड एम	संचालन एवं रख–रखाव
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पी आर आई	पंचायती राज संस्थायें
आर ई	राजस्व व्यय
आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
एस एण्ड डब्ल्यू	वेतन एवं मजदूरी
एस ए आर	पृथक लेखापरीक्षक प्रतिवेदन
एस एस ई	सामाजिक सेवा व्यय
टी ई	कुल व्यय
टी एफ सी	तेरहवां वित्त आयोग
यू सी	उपभोग प्रमाण–पत्र
यू एल बी	नगरीय स्वायत्त निकाय